खण्ड-351, अंक-5
गुरूवार, 12 चैत्र, शक संवत् 1903
(2 अप्रैल, 1981 ई0)

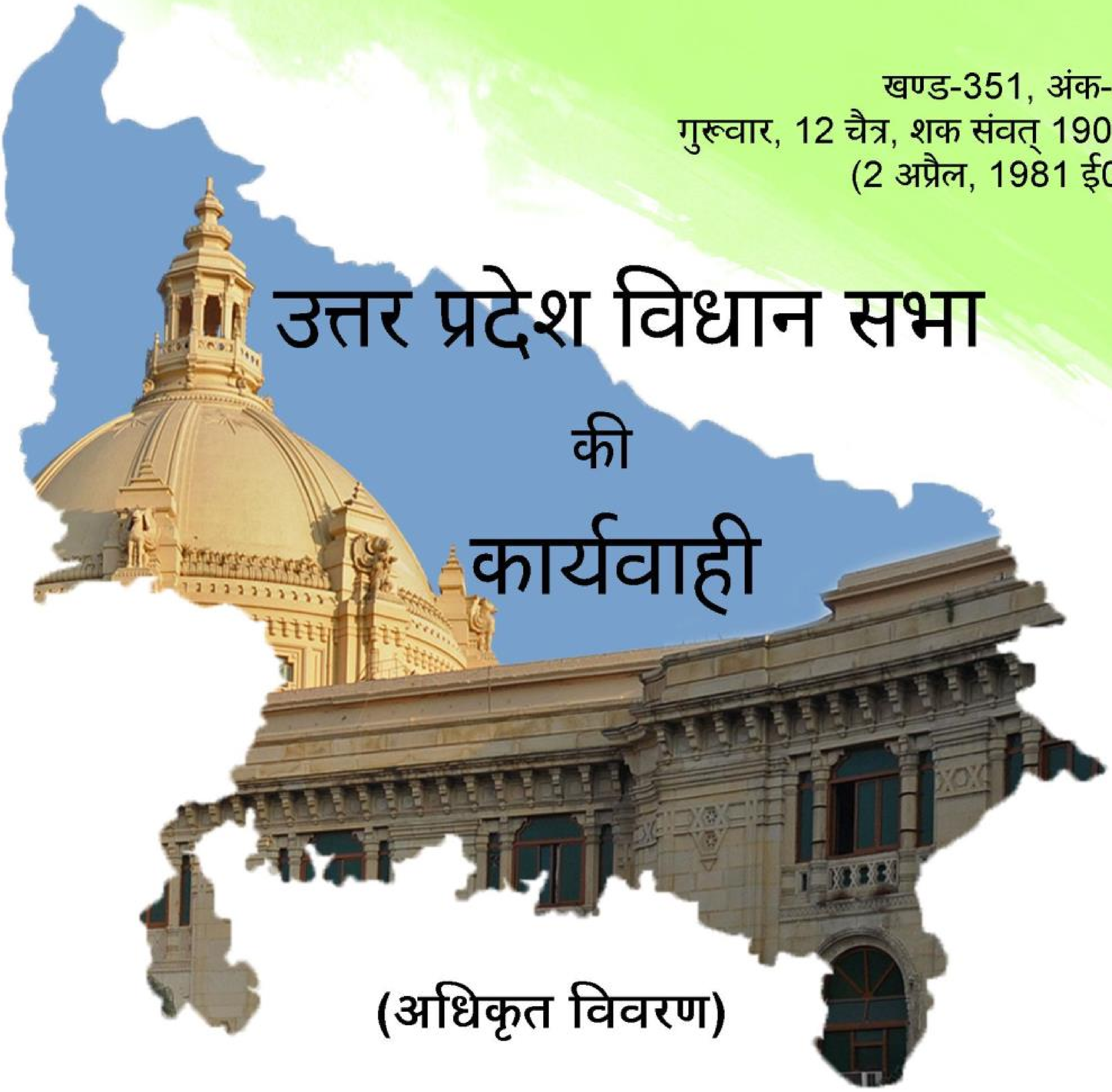

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 351 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1981

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	407–411
प्रश्नोत्तर	411–449
बहराइच जिले के विकास खण्ड मिहीपुरवा के अन्तर्गत सरजू लिंक चैनेल के निर्माणाधीन साइफन का पानी किसानों के खेतों में डाल देने से फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	449
मुजफ्फरनगर जनपद में यमुना की धारा बदलने से कतिपय ग्रामों की फसल हरियाणा की पुलिस द्वारा काटे जाने की आशंका के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	450
देवरिया जिले के तरियासुजान थाने की पुलिस द्वारा कतिपय व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	450–451
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट गृह विज्ञान की प्रैक्टिकल परीक्षा लिखित परीक्षा से पूर्व न कराये जाने से लड़कियों में असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	451
तहसील पीलीभीत के ग्राम खिरकिया में रेंज आफिसर श्री ओंकार सिंह व फारेस्ट गार्ड श्री हौसला प्रसाद तिवारी द्वारा हरिजनों की झोपड़ियां जला देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	451–452
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (सातवां संशोधन) नियमावली, 1980 (सदन के पटल पर रखी गयी)	452
मुख्य मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	45 –453
राजस्व मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	453
जिलाधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर निर्णय का स्थगन	453
विधान सभा सदस्य, श्री यदुनाथ द्वारा कांग्रेस (अर्स) की सदस्यता ग्रहण करने के सम्बन्ध में सूचना	454
प्रक्रिया नियमावली के नियम 218 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	454
सीलिंग तथा ग्रामसभा की भूमि पर भू-आवंटियों को "कब्जा दिलाओ अभियान" में विधायकों के योगदान के सम्बन्ध में वक्तव्य	454–455
संविधान विरोधी साहित्य प्रतिबन्धन विधेयक, 1981 (पुरः स्थापित) ..	455
कार्य स्थगन-प्रस्ताव की सूचनायें	455–456

विषय	पृष्ठ संख्या
आय-कर सीमा से नीचे के अभिभावकों के उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सभी छात्र एवं छात्राओं को शिक्षा शुल्क से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प (अस्वीकृत)	456–472
राष्ट्रीय गान "जन गण मन अधिनायक" के स्थान पर "बन्देमातरम्" रखे जाने के सम्बन्ध में संकल्प (अस्वीकृत)	472–479
प्रदेश के पूर्वांचल के विकास हेतु पूर्वांचल विकास आयोग के गठन के सम्बन्ध में संकल्प..... (जारी)	479–482
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981.. (अस्वीकृत)	482–486
संविधान विरोधी साहित्य प्रतिबन्धन विधेयक, 1981.... (अस्वीकृत) ..	486–499
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	499
27 मार्च, 1981 को सदन में श्री जैराज गौतम, उप मंत्री पर भूमि खरीदने का आरोप तथा मोहन सिंह के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना पर श्री अध्यक्ष के निर्णय की सूचना	499–500
डाक्टर सूर्य प्रसाद, जिलाधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न	500–501
सुल्तानपुर जिले के आनापुर गांव के निकट एक बस के बिजली के तार छू जाने से 3 व्यक्तियों की मृत्यु तथा कतिपय व्यक्तियों के घायल हो जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	501–505
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 .....(पारित)	506–512
नत्थियां	513–516

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 2 अप्रैल, 1981

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 1 मिनट पर अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 330

अकबर अहमद, श्री .. नैनीताल
अकबाल हुसैन, श्री .. गोंडा
अजहर ईमाम, श्री .. मिर्जापुर
अजीत कुमार सिंह, श्री कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री मेरठ
अब्दुल रहमान खां नश्तर श्री कानपुर
अमरनाथ सिंह, श्री .. फतेहपुर
(उर्फ अनिल सिंह)
अमर सिंह, श्री .. सहारनपुर
अम्बिका सिंह, श्री .. बस्ती
अम्मार रिज़वी, श्री .. सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी बस्ती
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
आजाद कुमार कर्दम, श्री .. आगरा
इन्द्रजीत, श्री .. फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री .. गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री .. शाहजहांपुर
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री ..
(उर्फ सुत्तन भैय्या) खीरी
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री .. गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी एटा
ऊदल, श्री .. वाराणसी
ए0 सी0 ग्राइस, श्री .. कानपुर
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री .. आगरा
कन्हैया लाल, श्री .. मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री .. लखनऊ
कमला देवी, श्रीमती .. हरदोई
कमला प्रसाद सिंह, श्री .. जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती .. बस्ती
कल्याण सिंह, श्री .. बरेली
कल्लू राम, श्री .. मिर्जापुर
काशीनाथ मिश्र, श्री .. बलिया
किशोरी शुक्ला, श्रीमती .. गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री .. हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री .. चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती .. हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री .. देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री .. रायबरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) फतेहपुर
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री .. इलाहाबाद
कृष्ण मगन सिंह, श्री .. बाराबंकी
केदार सिंह, श्री .. आजमगढ़
केदारनाथ सिंह, श्री .. गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री .. जौनपुर
केशोराम, श्री .. बदायूं
कैलाश चन्द्र, श्री .. एटा
कैलाश टण्डन, श्री .. वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री .. गोरखपुर
खरपत, श्री .. वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री फतेहपुर
खुदादीन अन्सारी, श्री .. देवरिया
खुर्शीद अहमद, अन्सारी, श्री मुरादाबाद
खुर्शेद अहमद, श्री .. बहराइच
खैरुल बशर, श्री .. आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री .. अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री .. कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री .. इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री .. बाराबंकी

गया सिंह, श्री .. उन्नाव
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री .. नैनीताल
गुलाम नबी, श्री .. आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती .. बस्ती
गोपाल राम दास, श्री .. अल्मोड़ा
गोपी नाथ दीक्षित, श्री .. उन्नाव
गोपी नाथ वर्मा, श्री .. फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री .. इटावा
गौरी देवी, श्रीमती .. गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री .. इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री .. बलिया
चन्दन सिंह, श्री .. मथुरा
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री .. बांदा
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री .. आजमगढ़
चन्द्रशेखर त्रिवेदी, श्री .. लखनऊ
चन्द्र सिंह, श्री .. मेरठ
चरनजीत सिंह, श्री .. पीलीभीत
चारु चन्द्र ओझा, श्री .. पिथौरागढ़
छेदी लाल, श्री .. गोंडा
जंग बहादुर, श्री .. जौनपुर
जगदीश प्रसाद, श्री .. इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री .. शाहजहांपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री .. मैनपुरी
जटाशंकर सिंह, श्री .. बहराइच
जमुना प्रसाद, श्री .. बाराबंकी
जयदीप सिंह, श्री .. बरेली
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री .. अल्मोड़ा
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री .. मुरादाबाद
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री .. फैजाबाद
जीराज सिंह मौर्य, श्री .. मुरादाबाद
जैराज गौतम, श्री .. सुल्तानपुर
झिलमिट राम, श्री .. गाजीपुर
तपेश्वर, श्री .. आजमगढ़
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री .. खीरी
तेज बहादुर सिंह, श्री .. जौनपुर
त्रिवेनी, श्री .. आजमगढ़
थम्मन सिंह गहलौत, श्री .. बिजनौर
दलगंजन सिंह, श्री .. जालौन
दल सिंगार, श्री .. आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री .. मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री .. बस्ती
दीना नाथ श्री .. बस्ती
दीपक कुमार, श्री .. मुजफ्फरनगर
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री आजमगढ़
दूधनाथ राजभर, श्री .. आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री .. बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री .. सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री .. कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री .. देहरादून
धनी राम वर्मा, श्री .. इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती .. वाराणसी
धर्मपाल डाक्टर .. अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री .. मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री .. मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री .. बुलन्दशहर
धुप राय, श्री .. देवरिया
नत्थूलाल, श्री .. हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री .. देवरिया
नन्द राम, श्री .. बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री .. मेरठ
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री .. पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल श्री .. हरदोई
नियाज हसन खां, श्री .. प्रतापगढ़
निर्मल कुमार, श्री .. फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह, श्री .. एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी .. इलाहाबाद
पंचानन, श्री .. आजमगढ़
पन्नालाल, श्री .. गोरखपुर
परमाई लाल, श्री .. हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री .. बस्ती
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री .. बुलन्दशहर
परागी लाल चौधरी, श्री .. सीतापुर
पहलवान, श्री .. जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती .. बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री .. मिर्जापुर
पूरन चन्द्र, श्री .. अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री .. बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री .. प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री .. जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री .. प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री .. फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती .. बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती .. लखनऊ
फखरे आलम, श्री .. बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री गोरखपुर
बंशीधर राज, श्री .. खीरी
बच्चा पाठक, श्री .. बलिया
बदन सिंह, श्री .. आगरा

बनवारी राम, श्री .. वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री .. बलिया
बलवीर सिंह, श्री .. फर्रुखाबाद
बलवीर सिंह, श्री .. रामपुर
बल्देव सिंह आर्य, श्री .. उत्तरकाशी
बाबू लाल, श्री .. गोंडा
बाबू लाल, श्री .. हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री .. अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री .. नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री .. फर्रुखाबाद
बुद्ध पाल सिंह, श्री .. बुलन्दशहर
बृज किशोर मिश्र, डा० .. देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती .. झांसी
बैजनाथ कुरील, श्री .. लखनऊ
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री इलाहाबाद
भगवती सिंह विशारद, श्री .. उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री .. कानपुर
भास्कर पाण्डेय, श्री .. देवरिया
भीखा लाल, श्री .. उन्नाव
भूधर नारायण मिश्र, श्री कानपुर
भूपसिंह केन, श्री .. गाजियाबाद
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री .. गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री .. बलिया
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री .. बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री .. मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री .. बस्ती
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) गोंडा
महाबीर सिंह, श्री .. सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री .. आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती .. इटावा
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा आगरा
महेश उपाध्याय, श्री .. आगरा
महेश प्रसाद, श्री .. देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री .. वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री .. बस्ती
माधव प्रसाद, श्री .. फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री एटा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री .. गोरखपुर
मित्रसेन, श्री .. फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री .. बदायूं
मुईद अहमद, श्री .. सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री .. सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री .. मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री .. गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री .. रामपुर
मेंहदी असगर, श्री .. मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री .. कानपुर
मोहन लाल, श्री .. हमीरपुर
मोहन सिंह, श्री .. देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री बदायूं
मोहम्मद उमर, डाक्टर .. गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री .. बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री लखनऊ
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री .. वाराणसी
यदुनाथ, श्री .. मिर्जापुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर .. फर्रुखाबाद
योगेश चन्द्र, श्री .. वाराणसी
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री गोंडा
रघुबीर सिंह यादव, श्री .. मैनपुरी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री .. झांसी
रती राम, श्री .. बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री .. इलाहाबाद
रमेश चन्द्र, श्री .. रायबरेली
राज किशोर राव, श्री .. बहराइच
राज कुमार राय, श्री .. आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती .. सुल्तानपुर
राजमंगल पाण्डेय, श्री .. देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री .. झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री .. सीतापुर
राधेश्याम पटेल, श्री .. इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री .. फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री .. बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री .. बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री .. हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री .. हरदोई
राम कुंवर सिंह, श्री .. आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री .. सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० जौनपुर
रामकृष्ण माहेश्वरी, श्री .. मुरादाबाद
राम चन्द्र, श्री .. वाराणसी
राम चरण सिंह श्री .. मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री .. वाराणसी
रामजी राम, श्री .. फैजाबाद
राम नरायन, श्री .. गाजीपुर
राम नारायण पाठक, श्री .. कानपुर
रामपाल सिंह, श्री .. मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री .. फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री .. जालौन
राम भजन लाल, श्री .. खीरी

राम यश सिंह, श्री .. सहारनपुर
राम लाल, श्री .. सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री .. हरदोई
राम शिरोमणि, श्री .. जौनपुर
राम समुझावन, श्री .. जौनपुर
राम सागर, श्री .. बाराबंकी
राम सिंह, श्री .. सुल्तानपुर
राम सिंह खन्ना, श्री .. बरेली
राम सिंह रावल, श्री .. एटा
राम सेवक, श्री .. सुल्तानपुर
राम स्वरूप निगम, श्री .. सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री .. कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री .. बहराइच
राम हर्ष राय, श्री .. गाजीपुर
रामेश्वर प्रसाद, श्री .. बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री बाराबंकी
रुद्र प्रताप सिंह, श्री .. देवरिया
रूल्हा सिंह, श्री .. सहारनपुर
लल्लू सिंह चौहान, श्री .. मैनपुरी
लालप्रताप सिंह, श्री .. प्रतापगढ़
लालसा, श्री .. आजमगढ़
लोकपति, श्री .. मिर्जापुर
वासुदेव सिंह, श्री .. प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री .. लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री .. गाजियाबाद
विजय प्रकाश, श्री .. इलाहाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री .. गाजीपुर
विजय सिंह, श्री .. मिर्जापुर
विजय सिंह राना, श्री .. आगरा
विद्या भूषण, श्री .. मुजफ्फरनगर
विनोद कुमार तिवारी, डा० पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री .. फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती .. सहारनपुर
विश्राम दास, श्री .. इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री .. मैनपुरी
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री .. सीतापुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री .. मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर .. गाजियाबाद
वृद्धि नारायन सिंह, श्री .. वाराणसी
शंकर सिंह, श्री .. जालौन
शम्भूनाथ, श्री .. आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री .. मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री .. बांदा
शिव दर्शन, श्री .. रायबरेली
शिव नरेश, श्री .. बांदा
शिव नारायणसिंह नेगी, श्री .. नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री .. उन्नाव
शिव बालक, श्री .. रायबरेली
शिवमंगल सिंह, श्री .. मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री .. अलीगढ़
शेर बहादुर, श्री .. फैजाबाद
शोनाथ सिंह, श्री .. बिजनौर
श्याम लाल बाजपेयी, श्री .. बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री .. बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री .. इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री .. बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री .. वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री .. सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री .. वाराणसी
संजय सिंह, श्री .. सुल्तानपुर
सच्चिदानन्द, श्री .. उन्नाव
सतीश अजमानी, श्री .. खीरी
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री इलाहाबाद
सन्त बक्स रावत, श्री .. लखनऊ
सन्तोष कुमारी, श्रीमती .. बदायूं
सरदार सिंह, श्री .. मथुरा
साहब सिंह, श्री .. गाजीपुर
सीताराम निषाद श्री .. फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती .. इटावा
सुग्रीव सिंह, श्री .. देवरिया
सुनीता चौहान, श्रीमती .. रायबरेली
सुन्दर सिंह, श्री .. बहराइच
सुमन लता दीक्षित, कुमारी कानपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नो) .. गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री .. बस्ती
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री .. अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री .. जालौन
सूबेदार सिंह, श्री .. मैनपुरी
सूरजभान, पंडित .. अलीगढ़
सूर्यनाथ, उपाध्याय श्री, .. जौनपुर
सोमांश प्रकाश, श्री .. मुजफ्फरनगर
स्वामी नेमपाल, श्री .. बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री .. हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री .. एटा
हर गोविन्द वर्मा, श्री .. सीतापुर
हरदेव, श्री .. बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री .. बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री .. गोरखपुर
हरि प्रसाद, श्री .. उन्नाव

हरिवंश सहाय, श्री	..	देवरिया	हाफिज मोहम्मद सिद्दीक,		मुरादाबाद
हरि सिंह, श्री	..	बुलन्दशहर	हुकम सिंह, श्री	..	मुजफ्फरनगर
हरीशंकर, श्री	..	हरदोई			

नोट:—मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 2 अप्रैल, 1981

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

नान मेडिकल असिस्टेन्ट तथा नान मेडिकल सुपरवाइजर (कुष्ठ विभाग) एवं कर्मचारियों के कुष्ठ भत्ते की मांग

*1—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-2-79 के अनुसार नान-मेडिकल असिस्टेंट तथा नान-मेडिकल सुपरवाइजर (कुष्ठ विभाग) उत्तर प्रदेश को विशेष वेतन कुष्ठ भत्ता क्रमशः 25 रु0 प्रतिमाह तथा 50 रु0 प्रति-माह दिया जा रहा है ? यदि हां, तो 1-2-79 के पूर्व से कार्यरत समस्त कुष्ठ विभाग के कर्मचारियों को यह सुविधा सरकार देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

जनस्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)—

जी नहीं। सन्दर्भित शासनादेश द्वारा इन कर्मचारियों को विशेष वेतन अथवा कुष्ठ भत्ता दिये जाने की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी थी। उक्त शासनादेश में उल्लिखित कुष्ठ भत्ता उन्हीं क्षेत्रीय कुष्ठ अधिकरियों को अनुमन्य था जिन्हें उक्त भत्ता दिये जाने की स्वीकृति इसके पूर्व दी जा चुकी थी। तथापि प्राप्त सूचना- नुसार कुछ जनपदों में भ्रमवश नान मेडिकल असिस्टेन्ट तथा नान-मेडिकल सुपरवाइजरों को कुष्ठ भत्ता दिया गया है। वेतन आयोग की संस्तुतियों पर विचारोपरान्त इस मामले में निर्णय लिया जायेगा।

श्री नन्द किशोर सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न बहुत साफ था कि 1-2-79 से नियुक्त कर्मचारियों को यह भत्ता दिया जा रहा था 25 और 50 रुपये प्रति माह की दर से, लेकिन 1-2-79 के पहले उसी ग्रेड के कर्मचारियों को वह नहीं दिया जा रहा था। मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि कुछ जगह भ्रमवश दिया गया था तो वह कौन से जिले हैं जहां भ्रमवश यह भत्ता दिया जा रहा था और कितना रुपया दो साल के बीच में दिया गया ?

श्री हरि सिंह—

जो रुपया दिया गया है नान मेडिकल असिस्टेन्ट को 25 रुपया और नान- मेडिकल सुपरवाइजर को 30 रुपये जो आपने पूछा कि कौन से जिलों में दिया गया है तो वह जिले हैं—सुल्तानपुर, बाराबंकी, देवरिया, इटावा, पीलीभीत तथा बुलन्दशहर इत्यादि जिले हैं, श्रीमन्।

श्री नन्द किशोर सिंह—

मैंने पूछा था कि कितना रुपया भ्रमवश बिना आदेश के दिया गया है ?

श्री हरि सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा तब यह तथ्य सरकार की जानकारी में आये । इस सम्बन्ध में सारे जिलों से जानकारी हासिल की जा रही है ।

श्री सूबेदार सिंह—

जो रुपया भ्रमवश दिया गया है तो क्या मंत्री जी उसे रिफण्ड करायेंगे ?

श्री हरि सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने कहा, इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो कुष्ट विभाग के कर्मचारी है उनको सुविधा देने का प्रश्न विचाराधीन है । वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वेतन आयोग के समक्ष उक्त विषय से संबंधित विभाग से कोई संस्तुति इस सिलसिले में भेजी गयी है ? यदि भेजी गयी है, तो वह क्या है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)—

जो संस्तुतियां हैं वह शासन के विचाराधीन हैं और जब वह लागू होंगा, 1—7—79 से ही लागू होंगी ।

श्री राम आसरे वर्मा—

कुष्ठ विभाग के कर्मचारियों के बारे में स्पष्टरूप से है, स्वास्थ्य विभाग से कोई संस्तुति की गई है ?

श्री लोकपति—

स्वास्थ्य विभाग के हर संवर्ग के बारे में आयोग ने संस्तुति दी है और वह शासन के विचाराधीन है । अखबारों में भी पब्लिश्ड कर दी गई थी, आपने पढ़ा होगा ।

[दिनांक 2 अप्रैल, 1981 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत जनसंख्या परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में निर्मित अस्पताल तथा परिवार एवं शिशु कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वीकृत धनराशि

*1—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारत जनसंख्या परियोजना के मातृ एवं शिशु कल्याण तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु विश्व-स्वास्थ्य संगठन से उत्तर प्रदेश में अस्पतालों के निर्माण तथा परिवार एवं शिशु कल्याण कार्यक्रमों हेतु लगभग 51 करोड़ रुपये गत वर्ष स्वीकृत हुए, इसमें से 41 करोड़ रुपये केवल बनारस जिले में व्यय करने के निर्देश दिये गये हैं? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री हरि सिंह—

जी नहीं । विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा भारत जनसंख्या परियोजना के अन्तर्गत गत वर्ष कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है ।

विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से प्रदेश के 6 जिलों में 58.24 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वर्ष 1980—81 से द्वितीय भारत जनसंख्या परियोजना प्रारम्भ की गई है । परियोजना की अवधि पांच वर्ष है ।

इसके अन्तर्गत वाराणसी जिले में भवन निर्माण तथा परिवार एवं शिशु कल्याण कार्यक्रमों पर लगभग रु0 5.05 करोड़ का व्यय अनुमानित है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि विश्व बैंक की जो आर्थिक सहायता हमारे प्रदेश को मिलती है उसके लिये प्रदेश सरकार को किन-किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है ?

श्री हरि सिंह--

इस सम्बन्ध में कोई विशेष शर्तें नहीं हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कोई शर्तें नहीं हैं । बिना शर्त के सहायता मिलती है । तो उस पैसे का उपयोग जहां चाहें मंत्री जी जिस रूप में चाहें कर सकते हैं । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जिन 6 जिलों का जिक्र किया है 58.24 करोड़ रुपये मिला है तो वह 6 जिले कौन-कौन से हैं और प्रति जिले को कितना-कितना रुपया इसमें दिया गया है ?

श्री लोकपति--

इसमें दो प्रश्न पूछे हैं । एक शर्त है, किसी भी विदेशी संस्था या सरकार से कोई भी सहायता जब आती है तो वह शर्त भारत सरकार द्वारा तय की जाती है, प्रदेश सरकार का कोई संबंध नहीं होता ।

श्री राम आसरे वर्मा--

सहायता इस प्रदेश की सरकार को मिलती है और भारत सरकार किन्हीं शर्तों में बंधा हो सकता लेकिन प्रदेश की सरकार को भी कुछ न कुछ शर्तें, भारत सरकार के प्रति ही सही, पूरी करनी पड़ती होंगी । मंत्री जी बड़ी उत्तेजना में जो जवाब दिये हैं बिल्कुल इंकार कर रहे हैं । तो जो बाद का सवाल था उसका तो जवाब दिया नहीं कि 6 जिले कौन कौन से हैं और उन को अलग-अलग कितना कितना पैसा आवंटित किया गया ?

श्री हरि सिंह--

वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर, मिर्जापुर, बस्ती और देवरिया हैं । और इसमें जो रुपया आप जानना चाहते हैं, भवन निर्माण पर वाराणसी में 2 करोड़ 84 लाख 80 हजार तथा परिवार एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम पर 2 करोड़ 19 लाख 50 हजार 550 रुपये, आजमगढ़ में 3 करोड़ 80 लाख 11 हजार भवन निर्माण पर और शिशु कल्याण पर 4 करोड़ 54 लाख 78 हजार 9 सौ 1 इसी तरह गाजीपुर में भवन निर्माण पर 1 करोड़ 71 लाख 98 हजार और शिशु कल्याण पर 1 करोड़ 38 लाख 47 हजार 850 रुपये, मिर्जापुर में 2 करोड़ 77 लाख 1 हजार भवन निर्माण और शिशु कल्याण पर 9 करोड़ 66 लाख 14 हजार 950 रुपये तथा बस्ती में भवन निर्माण में 4 करोड़ 29 लाख 50 हजार और शिशु कल्याण में 2 करोड़ 83 लाख 9 हजार 990 रुपया और देवरिया में भवन निर्माण में 2 करोड़ 69 लाख 67 हजार तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम में 4 करोड़ 32 लाख 71 हजार 450 रुपये आवंटित किये गये । देवरिया में 2 करोड़, 79 लाख 76 हजार रु0 भवन निर्माण पर और मातृ शिशु कल्याण पर 4 करोड़ 32 लाख 71 हजार 750 रु0 दिये गये ।

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से संबंधित, इन जिलों के चयन करने का आधार क्या था और क्या उस आधार पर गोण्डा जनपद नहीं आता था ?

श्री लोकपति---

यह श्रीमन, आबादी के अनुपात पर उन्होंने किया है । इसके पूर्व प्रथम चरण में लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर का किया था । मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वे फैजाबाद, गोण्डा, बहराइच और बाराबंकी भी ले लें और जहां बनारस लिया है वहां जौनपुर और बलिया ले लें तथा गोरखपुर मंडल में गोरखपुर और लखनऊ मण्डल में सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई और उन्नाव आदि ले लें । इस पर उन्होंने कहा कि इस पर वह भारत सरकार के साथ विचार-विनिमय करेंगे । यह स्थान का चयन भारत सरकार और विश्व बैंक परियोजना के जो अधिकारी होते हैं, उनके द्वारा होता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने भारत सरकार और उनके बीच समझौता जो मानक जनसंख्या के आधार पर बताया है तो कुछ जिले ऐसे हैं जिनको, जो मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही हैं, उससे उनको उपेक्षित कर दिया गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि अगली कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी ?

श्री लोकपति---

वह उपेक्षित नहीं हुए हैं । यह एक्सपेरिमेन्ट के आधार पर शुरू किया गया था और प्रथम योजना में कुछ सफलता प्राप्त हुई है, उसके बाद मैंने अनुरोध किया है कि यदि ऐसा कर देंतो यह एक कंपैक्ट क्षेत्र हो जाय और उसके ऊपर और अधिक विश्लेषण हो पायेगा ।

श्री शंकर सिंह---

आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो आपने नाम लिये और जो राज्य मंत्री ने गिने, क्या उसमें कहीं बुन्देलखण्ड का नाम आता है ? यदि हां, तो बताने की कृपा करें कि वहां क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लोकपति---

श्रीमन्, बुन्देलखण्ड में इसी प्रकार की योजना छठीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश सरकार प्रारम्भ कर रही है ।

*2---श्री श्यामलाल वाजपेयी---[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त] ।

प्रदेश में आयुर्वेदिक तथा यूनानी शिक्षा का प्रान्तीयकरण

*3---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आयुर्वेदिक तथा यूनानी शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी तथा निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री हरि सिंह---

प्रदेश में आयुर्वेदिक तथा यूनानी शिक्षा के प्रान्तीयकरण तथा उसकी रूप-रेखा का प्रश्न शासन के विचाराधीन है । इस विषय में शीघ्र निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या मा0 मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने प्रान्तीयकरण करने का मामला सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है और उसकी रूप-रेखा विचाराधीन है या प्रान्तीयकरण करने का मूल मामला ही शासन के विचाराधीन है ?

श्री हरि सिंह --

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रान्तीयकरण करने का विचार सरकार के समक्ष है और सरकार इसमें बड़ी गम्भीर है कि इसका प्रान्तीयकरण किया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मेरे प्रश्न के दो हिस्से बनते हैं । एक तो क्या सरकार ने प्रान्तीयकरण करने का मामला सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है ? तथा अगला उसकी रूप-रेखा पर बनता है । मंत्री जी ने उत्तर दिया कि सब मामले विचाराधीन हैं । मैं जानना चाहता हूं कि प्रान्तीयकरण और उसकी रूप-रेखा पर विचार करने के लिये कोई नीति निर्देशन बिन्दु भी विचार किये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ? शीघ्र से तात्पर्य कब तक तय हो जाने का है ?

श्री लोकपति---

श्रीमन्, शासन ने सिद्धान्तः यह स्वीकार कर लिया है कि इस पद्धति का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय, प्रान्तीयकरण कर दिया जाय, अधिग्रहण कर लिया जाय, जो भी शब्द है, वह कर लिया जाय । रूप-रेखा के सम्बन्ध में भारत सरकार के न्याय विभाग से उत्तर प्रदेश शासन का विचार विनिमय चल रहा है । यह प्रयास है कि शीघ्र इसका निर्णय हो जाय ।

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री राम आसरे वर्मा---

बहुत इम्पोरटेन्ट सवाल है, मान्यवर.....

श्री अध्यक्ष---

अब हो गया.....

श्री लोकपति---

श्रीमन्, होम्योपैथी भी जोड़ लिया जाय, वही इनका था ।

जौनपुर जनपद के मुफ्तीगंज विकास क्षेत्र के अन्तर्गत न्याय पंचायत राजेपूर में बीज गोदाम का निर्माण

*4---श्री प्रभु नारायण सिंह---

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि जौनपुर जनपद के मुफ्तीगंज विकास क्षेत्र के अन्तर्गत न्याय पंचायत राजेपुर में गत वर्ष से ही बीज गोदाम भवन का निर्माण स्वीकृत है? क्या इस बीज गोदाम भवन के निर्माण हेतु धन का आवंटन भी हो चुका है और गांव सभा राजेपुर द्वारा भूमि का पट्टा कर दिये जाने पर भी निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया? क्या सरकार सार्वजनिक हित में इस बीज गोदाम भवन का निर्माण शीघ्र करायेगी ?

खाद्य मंत्री (श्री वासुदेव सिंह) ---

जनपद जौनपुर के मुफ्तीगंज विकास क्षेत्र के अन्तर्गत न्याय पंचायत राजेपुर में विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गोदाम का निर्माण वर्ष 1979-80 में स्वीकृत किया गया था । निर्माण कार्य हेतु धन तथा भूमि उपलब्ध है । निर्माण कार्य हेतु निविदा स्वीकृत की जा चुकी है परन्तु ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है । निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री प्रभु नारायण सिंह---

मान्यवर, इस योजना को स्वीकृत हुए वर्षों बीत गये और श्रीमन्, उस क्षेत्र के किसानों को आशा दी गई थी कि उनको खाद और बीज वहां पर मिलने लगेगा । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस योजना के लिये आप ने कितना धन आवंटित किया था और क्या उस ठेकेदार को उस में कुछ धन एडवान्स कर दिया गया था?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, 79,750 रुपये की लागत स्वीकृत है । दो बार ठेका दिया गया । एक बार कोई निविदा नहीं आई । दूसरी बार एक वीरेन्द्र बहादुर की आयी । लेकिन वह अनुबन्ध पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं । वह आ नहीं रहे हैं । नियमानुसार अब तीसरी बार निविदा मांगने की प्रक्रिया भी चलाई जायगी और उस समिति को अधिकृत कर दिया जायगा कि वह शीघ्र उस भवन का निर्माण करें ।

श्री राम करन शास्त्री, स्वस्थ्य प्रसार प्रशिक्षक, वाराणसी द्वारा लिया गया प्रशिक्षण एवं बकाया वेतन

5—श्री जंग बहादुर—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को यह ज्ञात है कि श्री रामकरन शास्त्री स्वास्थ्य प्रसार प्रशिक्षक, वाराणसी को स्वास्थ्य निदेशक, लखनऊ ने स्वास्थ्य शिक्षाके एक वर्ष के कोर्स के लिए स्वास्थ्य एवं हाईजीन इस्टीट्यूट कलकत्ता, जुलाई, 80 में प्रशिक्षण के लिए भेजा और दो माह वेतन देने के बाद उप निदेशक, प्रशिक्षण, लखनऊ ने वेतन न देने का आदेश दिया ? यदि हां, तो वेतन रोकने के क्या कारण हैं ? शासन वेतन भुगतान की शीघ्र व्यवस्था करेगी ?

श्री हरि सिंह—

जी नहीं । श्री राम करन शास्त्री बिना शासन/स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की स्वीकृति प्राप्त किये एक वर्ष के स्वास्थ्य शिक्षा डिप्लोमा कोर्स के लिए आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ हाईजीन एण्ड पब्लिक हेल्थ, कलकत्ता चले गये थे । इसलिये नियमानुसार उनका वेतन रोक दिया गया । श्री शास्त्री को उक्त कोर्स करने की स्वीकृति देने का प्रश्न विचाराधीन है जिसके उपरान्त उनके वेतन का भुगतान करने पर तद्नुसार कार्य वाही की जायगी ।

श्री जंग बहादुर—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि कलकत्ता हाईजीन इन्स्टीट्यूट में डिप्लोमा करने के लिये जो लोग जाते हैं वे केवल सरकारी सिफारिश पर ही जाते हैं, सामान्य लोग उसमें भर्ती नहीं होते ? यदि हां, तो क्या इन को भेजने की निदेशक ने सिफारिश की थी ?

श्री लोकपति—

यह सही है कि उनका नाम उस सूची में था जिन व्यक्तियों को वहां पर अतिरिक्त शिक्षा ग्रहण करने, को लिये जाना था । यह भी सही है कि वह बिना स्वीकृति के ही चले गये । सिर्फ नाम उनका था उसी के आधार पर स्थानीय स्तर पर उन्होंने छुट्टी ले कर, यह व्यवस्था कर के, वहां चले गये । निदेशालय से उन को आदेश नहीं प्रसारित हुआ था । अतएव, शासन विचार कर रहा है कि जो उन्होंने अनुशासनहीनता की बात की है उस को समाप्त कर के उन्हें वेतन आदि दे या न दे । यह विचाराधीन है ।

अकबरपुर नगरपालिका, जिला फैजाबाद में वैक्सीनेटर के चयन का आधार

*6 —श्री प्रियदर्शी जेटली तथा श्री गोरे लाल शाक्य—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वैक्सीनेटर के पद पर नियुक्ति की क्या अर्हताएं शासन द्वारा निर्धारित हैं? क्या यह सही है, कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद नगरपालिका में जो व्यक्ति उस पद पर कार्य कर रहा है उसका चयन उक्त निर्धारित अर्हताओं के आधार पर किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त चयन के लिये कौन जिम्मेदार है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री श्रीकृष्ण गोयल)--

नगरपालिकाओं में वैक्सीनेटर पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक योग्यता जूनियर हाई स्कूल तथा अन्य अर्हता मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त वैक्सीनेशन कार्य का दक्षता प्रमाण-पत्र है।

नगरपालिका अकबरपुर में वैक्सीनेटर पद पर कार्यरत व्यक्ति चयन के समय उक्त निर्धारित अर्हताओं में से वैक्सीनेशन दक्षता प्रमाण-पत्र की अर्हता नहीं रखता था जिसको बाद में उसने अर्जित कर लिया।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से प्रश्नगत व्यक्ति को अंक तालिका के आधार पर चयनित किया गया था। उक्त पद पर चयन/नियुक्ति की कार्यवाही तत्कालीन अधिशासी अधिकारी तथा प्रभारी अधिकारी द्वारा की गयी अतः वे ही इस सम्बन्ध में उत्तरदायी हो सकते हैं।

श्री प्रियदर्शी जेतली --

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि उक्त पद के लिये स्वास्थ्य विभाग में वैक्सीनेटर की ट्रेनिंग होती है और उक्त इन्टरव्यू के दिन ग्राम सैदपुर, नगरपालिका अकबरपुर, जिला फैजाबाद का एक ट्रेन्ड शुदा व्यक्ति आया था, उसने प्रार्थना पत्र दिया था किन्तु उसके बाद भी उक्त पद पर उसकी नियुक्ति नहीं की गई और वहां के एक्जीक्यूटिव अफसर जो हैं उनके रिश्तेदार को उस पद पर नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो क्या आप उस ई० ओ० के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

मान्यवर, माननीय सदस्य जो बात बता रहे हैं उसकी मैं छानबीन कर लूंगा और अगर यह बात सही है तो उस अधिशासी अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रियदर्शी जेतली---

मान्यवर, उक्त कर्मचारी के चयन होने के बाद किस नियम और किस विशेष परिस्थितियों में ट्रेनिंग करने के आदेश दे दिये गये और क्या उस ट्रेनिंग पीरियेड का वेतन भी उस कर्मचारी को नगरपालिका ने दिया है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

मान्यवर, इसी सारे मामले में गड़बड़ी प्रतीत होती है। मैं पूरे मामले की जांच करा लूंगा और जो भी अनियमिततायें हुई हैं, उनके सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर प्रदेश में सहकारी संघों द्वारा संचालित शीत-गृहों में घाटा

*7-- श्री विमल प्रसाद तिवारी --

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितने शीतगृह सहकारी संघ द्वारा चलाये गये जा रहे हैं और 1 अप्रैल, 1979 से 31 मार्च, 1980 तक उनमें कितना घाटा हुआ तथा इस घाटे को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री वासुदेव सिंह---

प्राप्त सूचना के अनुसार, विभिन्न जिला सहकारी संघों, सहकारी विकास संघों एवं प्रादेशिक सहकारी संघ लि०, लखनऊ के वर्ष 1979-80 में 23 सहकारी शीतगृह कार्यरत थे। उक्त वर्ष में 23 में से 16 शीतगृहों में लगभग रु० 31.58 लाख की हानि हुई। सहकारी शीतगृहों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:---

(क) शीतगृहों को प्राविधिक परामर्श देने, सही प्रकार के संचालन एवं आवश्यक वस्तुओं और उपकरणों की व्यवस्था करने, मशीनों की मरम्मत, केन्द्रीय रूप से इकाइयों की देख-रेख के लिये उत्तर प्रदेश सहकारी विधायन एवं शीतगृह संघ लि0, को सुदृढ़ किया जा रहा है।

(ख) विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जैनरेटिंग सेट क्रय करने हेतु अनुदान दिया गया है।

(ग) शीतगृहों की क्षमता बढ़ाने एवं जहां आवश्यक हो, वहां शीतगृह के साथ-साथ बर्फखाना स्थापित करने की योजना है।

(घ) प्रबन्ध में सुधार लाने के लिये योग्य एवं अनुभवी व्यवस्थापकों की व्यवस्था एक कामन कैडर बना कर की जा रही है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी ---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उत्तर में यह आया है कि एक वर्ष में 16 शीतगृहों में 31.58 लाख रुपये की हानि हुई है और उसमें सुधार के लिये प्राविधिक परामर्श और सही उपकरण की व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि ये कदम उठाये जा रहे हैं। पहले शीतगृह के निर्माण में जो लागत निजी और सहकारी क्षेत्र में आती थी उसमें दुगने का अन्तर है। उस समय कहा गया था कि चूंकि शीत-गृहों को अब बेटर उपकरण दिये जाते हैं, टेक्निकल एडवाइस दी जाती है इसलिये क्या माननीय मंत्री जी इतने बड़े घाटे को देखते हुए कोई उच्चस्तरीय समिति बनायेंगे जिसमें सहकारिता विभाग से अलग के भी लोग रहे और जो जांच करके घाटे को कम करने की व्यवस्था करे ?

श्री वासुदेव सिंह ---

श्रीमन्, इस हानि के सम्बन्ध में सहकारिता विभाग स्वयं चिंतित है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया और हमारा ध्यान आकर्षित किया है इससे शासन को अति-रिक्त बल मिला। प्रश्न यह है कि जो प्रबन्ध है उसकी कमी के कारण जो हानि हुई उसके लिये प्रबन्ध में पटुता लानी पड़ी। जो हानि हुई उसमें आलू की कमी या बिजली की कमी है या आलू खराब है। तो आलू खराब न हो और आगे कोई कमी के कारण हानि न हो इस बारे में कदम उठाये गये हैं। इसके अलावा माननीय सदस्य कोई सुझाव देंगे जो उपयोगी हों और जिसके कारण हमारी क्षमता बढ़ सकती हो वह स्वागत योग्य होगा।

श्री सूबेदार सिंह---

मान्यवर मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो घाटे के कारण हैं उसमें भ्रष्टाचार प्रमुख है जो बड़े पैमाने में सहकारिता विभाग में है और जिसके कारण शीतगृहों में घाटा हुआ है। तो क्या उसकी जांच कराकर माननीय मंत्री जी दोषी व्यक्तियों को दंड देने की कृपा करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह---

मान्यवर, यह ऐसा प्रश्न है जो इससे उत्भूत नहीं है। माननीय सदस्य कह रहे हैं सामान्य भ्रष्टाचार जो है उससे आंखें ओझल नहीं की जानी चाहिये उसे देखेंगे।

श्री श्यामलाल बाजपेयी---

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जैसा उन्होंने स्वीकार किया है कि प्रबन्ध में शिथिलता है तो उसको दूर करने के लिए क्या वह माननीय विधायकों संसद सदस्यों की कोई समिति बनायेंगे जो उन पर सुपरवाइजरी कार्य कर सके ?

श्री वासुदेव सिंह---

यह सुझाव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, जो मूल प्रश्नकर्त्ता ने प्रश्न पूछा था उसी को दुबारा दुहराता हूं क्योंकि उसके एक अंश का उत्तर नहीं मिला जो 32 लाख रु0 का घाटा शासन के प्रकाश में आया तो उसके सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि अलग अलग कोल्ड स्टोरेज के घाटे के कारण जानने का शासन ने प्रयास किया ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि अलग अलग कोल्ड स्टोरेज के घाटे के कारण जानने का प्रयास किया उसकी आडिट रिपोर्ट शासन को आई होगी? अधिकांश कोल्ड स्टोरेज ऐसे हैं जिनके लेखे जोखे पी0 सी0 एफ0 के पास नहीं आये, तो क्या इस बात की जांच कराई गयी तो क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं? यदि जांच नहीं कराई, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह---

यह 971 9 के सम्बन्ध में सवाल है । आमतौर पर आडिट रिपोर्ट बहुत देर में आती है, लेकिन यह माननीय सदस्य बिलकुल सही कह रहे हैं हर एक के अलग अलग कारण हैं, इसका संज्ञान विभाग को है । जैसे एक सलोन का है, चार लाख चौदह हजार...

श्री अध्यक्ष---

क्या सब का अलग अलग सुनेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह---

इसके ब्योरे की सूचना हम माननीय सदस्य को दे देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मेरा मतलब पूरा हो जायेगा यदि मेरे प्रश्न के अंतिम वाक्य का उत्तर दिला दें । अलग अलग कोल्ड स्टोरेज की रिपोर्ट आ गयी तो सरकार ने कोई प्रयास सुधार का किया और इसके लिये जैसा स्वीकार किया जो प्रबन्धक हैं वह कितने जिम्मेदार हैं, अगर प्रबन्धक उसके लिए दोषी हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही सरकार कर रही है ?

श्री वासुदेव सिंह---

परिस्थितियां दोषी हैं

(व्यवधान) ।

माननीय सदस्य धीरज से पहले सुनें, नहीं सुनना चाहते हैं तो बता दें । जैसे रायबरेली में वह मिल लगी वहां शीतगृह का सामान मिला नहीं था, एक चीनी की भी मिल लगी है, उसको गन्ना नहीं मिला तो कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं---जैसे आलू मिल या चीनी मिल आदि हैं इनको बिजली नहीं मिली या और जो बातें हैं । तो तमाम बातें इसमें हैं और प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार करके, आवश्यक सामान उन्हें उपलब्ध कराकर और ईमानदार आदमियों को वहां भेजकर उनको ठीक करने की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी---

मंत्री जी बिजली की कमी का एक कारण बताया, किन्तु इसके बावजूद जो निजी शीतगृह हैं उनका इतना लाभ कैसे होता है कि वह उस लाभ से हर वर्ष एक नया चैम्बर बना लेते हैं? शासन डेढ़ सौ नये कोल्डस्टोरेज विश्व बैंक से सहायता लेकर बनाने जा रहा है, तो क्या वह प्रबन्ध के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए वह कोई उच्चस्तरीय कमेटी बनायेंगे, जिसमें कुछ विशेषज्ञ और सदस्य दूसरे विभागों के भी हों ?

श्री वासुदेव सिंह---

मान्यवर, 16 में हमारी हानि है और 7 में लाभ भी हुआ है। अब भ्रष्टाचार है, कहां है, कैसे है, यह कोई निर्दिष्ट नहीं है, तो किस चीज की जांच होगी। मान लीजिए आडिट रिपोर्ट से कोई चीज निकली है माननीय सदस्य समझते हैं कि सदस्यों की कोई कमेटी बना दी जाए, जो शीतगृहों को देखें, तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन प्रश्न यह है कि जो माननीय सदन की समिति है वह और उपयुक्त समिति भी उसे देख सकती है फिर भी यदि इस मामले में नई समिति बनाने की आवश्यकता श्रीमन्, समझते हैं तो मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री राजकुमार राय---

जैसा मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि इसमें करीब 31 लाख का घाटा हुआ है और जन साधारण का अनुभव है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो इसे देखते हुए क्या वह सहकारिता विभाग द्वारा सम्पादित कार्यों को सीमित करने की कृपा करेंगे? यानी विभाग नये-नये कामों को अपने हाथ में न ले जैसे सहकारिता विभाग द्वारा अब चीनी के वितरण का कार्य लिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष---

यह दूसरा प्रश्न है।

प्रदेश के जिला अस्पतालों में फर्जी दवाइयों की खरीद के सम्बन्ध में जांच

* 8---श्री मोहन सिंह---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा निदेशक ने 23 मई, 1980 को गाजीपुर के एक समाजिक कार्यकर्त्ता की शिकायत पर बदायूं, देवरिया, झांसी और ललितपुर के जिला अस्पतालों में फर्जी दवाओं की खरीद के सिलसिले में कोई जांच आयोग बैठाया था ? यदि हां, तो जांच के मुद्दे क्या-क्या थे और जांच के बाद क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आए ?

श्री हरि सिंह---

तत्कालीन स्वास्थ्य सेवा निदेशक को दिनांक 16 अप्रैल, 1980 को गाजीपुर के एक सामाजिक कार्यकर्त्ता को इस आशय का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ कि जनपद बदायूं, गाजीपुर, देवरिया, झांसी और ललितपुर में कुछ फर्मों से, जो सेल्सटैक्स के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है और जिनके पास औषधि बेचने के लाइसेन्स नहीं है, घटिया किस्म की दवाइयां अधिक मूल्य पर खरीद कर 50 लाख रुपये की वित्तीय हानि की गई है। इस शिकायत की जांच करने के लिये स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने कोई जांच आयोग नहीं बैठाया वरन् विभागीय सम्प्रेक्षा दल द्वारा जांच कराई जो अभी पूर्ण नहीं हुई है।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार की बहुत बातें यहां हो चुकी हैं और भ्रष्टाचार के प्रति विभाग की जो उदासीनता है, उसका यह ज्वलन्त प्रमाण है कि साल भर होने को है, किन्तु विभागीय सम्प्रेक्षा दल द्वारा अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा कि मूल प्रश्न में भी पूछा है कि जांच के मुख्य मुद्दे क्या हैं ?

श्री हरि सिंह---मैंने तो लिखित माननीय सदस्य को बताया है कि जांच यह थी कि औषधियों के ज्यादा दाम दिये गये हैं और जो रजिस्टर्ड फर्म नहीं हैं, उनसे सामान खरीदा गया है।

श्री मोहन सिंह—

अब तक इस सन्दर्भ में कोई अन्तरिम रिपोर्ट शासन को क्या मिली है ?

श्री हरि सिंह—

विभाग द्वारा जो जांच की गई है, उसकी कुछ रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। जैसे कि बदायूं के सी0 एम0 ओ0 के खिलाफ जो शिकायत थी, उसमें पाया गया कि इन्होंने कुछ पैसा ज्यादा दिया, सरचार्ज देकर पैसा ज्यादा भुगतान किया रिकार्ड पर रिसीट्स उपलब्ध नहीं थी, स्टाक का सत्यापन पूर्ण नहीं कराया गया। इसी प्रकार से ललितपुर की शिकायतें मिली हैं कि वित्तीय नियमों के उल्लंघन करके और स्टोर परचेज के नियमों का उल्लंघन करके सामान खरीदा गया। इसके अलावा बैंक ड्राफ्टस से रुपया न देकर नकद भुगतान किया गया इसी प्रकार की शिकायतें देवरिया में भी थी कि सामान अनुबन्धित फर्मों से न खरीद कर सीधे बाहर से खरीद कर प्राप्त कर लिया गया और वहां भी पैसे का भुगतान ड्राफ्ट के जरिए नहीं किया गया। इसी तरह की शिकायतें थीं।

श्री मोहन सिंह—

अब यह बात उत्तर से साफ हो गयी है कि जो शिकायतें लिख कर दी गयी थीं वे जांच के दौरान सिद्ध हो गयी हैं। तो इस बीच अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हरि सिंह—

माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा। ललितपुर के श्री आर0 के0 बंसल को सस्पेन्ड कर दिया गया है, बदायूं के सी0 एम0 ओ0 को चार्ज शीट दे दी गयी है। अब 2 शेष रह गये हैं। उनके खिलाफ भी आरोप सिद्ध होने पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर के जिस सी0 एम0ओ0 को भ्रष्टाचार के कारण से निलम्बित किया गया है क्या उनको बहाल करने की कोशिश हो रही है। मुझे जानकारी मिली है कि वे हाई कोर्ट से स्टे आर्डर ले आये हैं और फिर उनको ललितपुर में उसी पोस्ट पर भेजा जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

अब ये कोशिश के बारे में क्या उत्तर देंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जितने सी0 एम0 ओज के खिलाफ शिकायतें थीं अन्तरिम रिपोर्ट में सब के खिलाफ आरोप सिद्ध पाये गये जिसके कारण किसी को निलम्बित किया गया और किसी को चार्जशीट दी गयी और किसी के खिलाफ अभी तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो यह विभेद क्यों हो रहा है ? अब सरकार सब के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है ?

श्री हरि सिंह—

श्रीमन्, मैंने पहले ही निवेदन किया कि 2 व्यक्तियों के खिलाफ जांच कम्पलीट हो गयी है और एक्शन भी ले लिया है। शेष 2 के खिलाफ पूरी जांच रिपोर्ट आ जायेगी तो अवश्य ही कार्यवाही करेंगे।

बस्ती शहर के पेयजल के लिए नई टंकी की निर्माण योजना

*9—कुमारी अलमेलु अम्माल—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के अगस्त, 1980 के पत्र पर बस्ती शहर के पेयजल के लिए नई टंकी बनाने तथा पुरानी टंकी की मरम्मत तत्काल करने के लिये जो आदेश जारी किये थे उनका परिपालन 7 जनवरी, 1981 तक हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

बस्ती शहर को पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में अगस्त, 1980 का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

दिनांक 23 जुलाई, 1980 व 28 जुलाई, 1980 के दो पत्र मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्राप्त हुए हैं ।

नगरपालिका बस्ती की पुरानी टंकी ठीक प्रकार से कार्य कर रही है तथापि पेयजल की आपूर्ति में सुधार हेतु बस्ती पेयजल व्यवस्था की एक पुनर्गठन योजना जिसकी लागत 45.396 लाख रु0 है, बनाई जा चुकी है । इस योजना में नई टंकी बनाये जाने का प्राविधान है इसके कार्यान्वियन हेतु वर्ष 1981–82 के बजट में रु0 13 लाख का प्राविधान कर दिया गया है एवं निर्माण-कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ करने का प्रयास है ।

कुमारी अलमेलु अम्माल—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि जब बस्ती में टंकी बनी थी तब से बस्ती शहर की आबादी करीब चार गुना बढ़ गयी है । आज जो वहां पर वाटर सप्लाई होती है, प्रात: आधा घंटे और शाम को आधा घंटे, उसका प्रेशर भी बिल्कुल कम होता है और आवश्यकतानुसार पानी नहीं मिल पाता है ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी इसी पेयजल योजना को वर्तमान वर्ष के बजट में पूरा करने की कोशिश करेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, इन्हीं कठिनाइयों को देखते हुए इस योजना के लिये साढ़े 45 लाख का प्राविधान किया गया है और 13 लाख का व्यय इसी वर्ष 1981—82 में होना है । मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी यह कार्य पूरा करवा दूं ।

मारी अलमेलु अम्माल—

माननीय मंत्री जी ने जिन दो पत्रों का जिक्र अपने उत्तर में किया है वे पत्र किस के हैं और उन पर माननीय मुख्य मंत्री जी के क्या आदेश हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

पत्र कुमारी अलमेलु अम्माल का है और उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह आदेश दिये हैं कि "स्वायत्त शासन सचिव आख्या दें, क्या सम्भव है जन आवश्यकता है ।"

जनपद फैजाबाद में नजूल भूमि के पट्टे की स्वीकृति के लिए श्रीमती स्वर्ण कुमारी द्वारा दिया गया प्रत्यावेदन

*10—श्री मोहन लाल (अनुपस्थित)—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत भूमि संख्या 682 (नजूल विभाग की) के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन श्रीमती स्वर्ण कुमारी का आवासीय पट्टे हेतु जिलाधिकारी, फैजाबाद की संस्तुति सहित 22–10–79 को उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को नजूल अनुभाग को स्वीकृति हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो अब तक इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां, मामले में शासन द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका है क्योंकि प्रस्तावित नजूल भूमि का पट्टा स्वीकृत किये जाने के विरुद्ध स्थानीय व्यक्तियों द्वारा आपत्ति उठाई गई जिस पर आवश्यक छान-बीन की जा रही है ।

टाउन एरिया, मोठ, जिला झांसी के रिकार्ड की चोरी की थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट

*11—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि दिनांक 7/8, दिसम्बर, 1980 की रात को टाउन एरिया, मोठ (झांसी) के सभी रिकार्ड ट्रक में भर कर कुछ दूर जाकर जला दिये गये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में श्री कौशल किशोर टिकरिया के द्वारा थाने में लिखाई गयी पुलिस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

दिनांक 7/8 दिसम्बर, 1980 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा टाउन एरिया कमेटी मोठ के कार्यालय का ताला तोड़कर टाउन एरिया का रिकार्ड चुरा लेने की रिपोर्ट श्री परसुराम, चौकीदार टाउन एरिया कमेटी, मोठ ने दिनांक 8-12-1980 को प्रातः 9.30 बजे थाना मोठ में दर्ज कराई। तदनुसार मुकदमा अपराध संख्या 215, धारा 457/380 थाने में कायम होकर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान उसी दिन मोठ से लगभग 3 कि0मी0 दूर मोठ शाहपुर रोड पर बकवां नहर पुल के पास काफी रिकार्ड जलती दशा में पाकर आग बुझा कर व कुछ रिकार्ड नहर के अन्दर से लगभग 3-4 फुट गहरे पानी से बरामद कर उसकी सूची बनाकर पुलिस अधिकार में लिया गया और थाना माल खाने में जमा किया गया। दिनांक 9-12-1980 को श्री कौशल किशोर टिकारिया ने थाने में एक प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें उन्होंने इस घटना में टाउन एरिया के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री टीकाराम यादव की साजिश होना व्यक्त किया। उनके प्रार्थना पत्र का अंकन थाना रिकार्ड में करके पुलिस द्वारा जांच प्रारम्भ कर दी गई। उक्त मामले की विवेचना विशेष जांच शाखा झांसी के द्वारा की जा रही है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय टाउन एरिया का ताला तोड़ कर सारा रेकार्डस ट्रक में भर कर ले जाया जा रहा था उस समय चौकीदार वहां पर था ? चौकीदार की ड्यूटी 24 घंटे रहती है। इसके अलावा पुलिस ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है और क्या किसी को पकड़ा है या फाइनल रिपोर्ट दी है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

यह तो इससे साफ जाहिर है कि चौकीदार वहां उपस्थित नहीं था क्योंकि अगले दिन उसने रिपोर्ट लिखायी। पुलिस ने कोई फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं दी है। मामला विवेचना में है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

पुलिस ने अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की, और क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि इस मामले में शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ? यह मामला कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

इस बात की पूरी कोशिश की जायेगी कि पुलिस की छानबीन जल्दी पूरी हो जाये और चौकीदार के मामले में भी जांच करवाई जायेगी और अगर वह दोषी पाया जायेगा तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।

श्री अकबाल हुसैन—

उत्तर में यह बताया गया है कि टाउन एरिया के भूतपूर्व चेयरमैन श्री टीका राम की साजिश के बारे में एक प्रार्थना-पत्र दिया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री टीकाराम के विरुद्ध टाऊन एरिया के धन का गबन करने का भी आरोप था ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच हुई ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

यह सूचना इस समय नहीं है ।

राजाजीपुरम आवास एवं विकास कालोनी, लखनऊ की भूमि को फ्री-होल्ड करने का निर्णय

*12--श्री राम शिरोमणि दुबे (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजाजीपुरम आवास एवं विकास कालोनी, लखनऊ को फ्रीहोल्ड करने हेतु शासन द्वारा लिये गये निर्णय को अब तक लागू न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त निर्णय को तुरन्त लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

राजाजीपुरम आवास एवं विकास कालोनी, लखनऊ की भूमि को फ्रीहोल्ड करने का मामला शासन के विचाराधीन है । शासन का निर्णय होते ही उसे लागू किया जायेगा ।

रुदौली रेलवे स्टेशन, जिला बाराबंकी में अवैध खाद्यान्न का पकड़ा जाना

*13---श्री हरिवंश सहाय---

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 14-5-80 को उत्तर रेलवे रुदौली रेलवे स्टेशन, जिला बाराबंकी में 972 बोरी गेहूं और 604 बोरी चावल रामसनेही घाट के परगनाधिकारी ने गिरफ्त में लिया जिसके सम्बन्ध में कोई कागजात अथवा वैधानिक रक्षक-पत्र नहीं मिला क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हनुमान इंडस्ट्रीज, सीतापुर के विरुद्ध इस अवैध खाद्यान्न को तस्करी में बेचने के आरोप में मुकदमा कायम किया गया यदि नहीं, तो शासन ने अभी तक इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की है ?

श्री वासुदेव सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री हरिवंश सहाय---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि हरचन्द उद्योग ने रुदौली रेलवे स्टेशन से दिनांक 3-5-80 से 9-5-80 के बीच लगभग 25 वैगन खाद्यान्न आसाम भेजा था जब कि खाद्यान्न प्रदेश से बाहर भेजने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ था ?

श्री अध्यक्ष---

यह इससे कहां उठता है ।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, इसके उत्तर दिलवा दें, यह बड़ा गम्भीर मामला है । यह खाद्यान्न अगर पकड़ा न गया होता तो यह भी प्रदेश के बाहर चला गया होता । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उस माह में कुल मिला कर कितना खाद्यान्न उस उद्योग द्वारा रुदौली रेलवे स्टेशन से बाहर के लिये बुक कराया गया दो चार दिन की तारीख इधर उधर हो सकती है, पर यह सूचना मिलना जरूरी है क्योंकि काफी खाद्यान्न उसके द्वारा प्रदेश के बाहर भेजा गया है ।

श्री वासुदेव सिंह---

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

(श्री हरिवंश सहाय के खड़े होने पर)

श्री श्यामलाल बाजपेयी---

मान्यवर, यह बाराबंकी से सम्बन्धित है, मुझे पूछ लेने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय हरिवंश सहाय का प्रश्न है ।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

बाद में मौका दे दीजिएगा, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष--

बाद में पूछ लीजियेगा ।

श्री हरिबंश सहाय--

मान्यवर, क्या यह सही है कि उस समय के सी0आई0 डी0 के आई0 जी0, श्री नरेश कुमार और खाद्य सचिव श्री सुब्रामणियम ने इस पार्टी के पक्ष में विशेष रुचि दिखाई, जिससे यह खाद्यान्न इस उद्योग को पुनः वापस दे दिया गया ?

श्री बासुदेव सिंह--

मान्यवर, यह आरोप निराधार है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, यह बात मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो परगनाधिकारी, रामसनेही घाट ने रुदौली रेलवे स्टेशन पर चावल के बोरे पकड़े थे और थाना रुदौली में माल सहित पकड़े गये व्यक्तियों के विरुद्ध एक एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गयी थी । श्री ए0 हरखचन्द्र उद्योगपति जो इस अवैध पकड़े गये चावल के बोरे के मालिक हैं, इन्होंने बाराबंकी के जिलाधिकारी पर यह दबाव डाला कि अगर उसमें फाइनल रिपोर्ट नहीं लगी, तो 1 महीने के अन्दर तुम्हारा तबादला करवा देंगे । उस भ्रष्ट अधिकारी और पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी की सांठ-गांठ से यह निरन्तर प्रयत्न किया जा रहा है कि उस मामले को दबा दिया जायगा । क्या मेरी सूचना को सही मान कर, क्या माननीय मंत्री जी इस मामले में कोई प्रभावी कदम उठायेंगे ?

श्री बासुदेव सिंह--

मान्यवर, पकड़े गये अवैध गेहूं और चावल के बोरों की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष रुदौली श्री हरिनाथ सिंह तथा श्री राधे श्याम पाण्डेय द्वारा की गयी थी। इस मामले में फाइनल रिपोर्ट वर्तमान थानाध्यक्ष श्री राधेश्याम पाण्डेय द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाराबंकी न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में फाइनल रिपोर्ट के विरुद्ध एक श्री मोहम्मद शमीम खां द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी जिस पर निर्णय देते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अन्तिम रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया बल्कि अपने आदेश दिनांक 31 जनवरी, 1981 द्वारा संबंधित कागजात जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी को पूर्व स्वीकृत अस्वीकृत की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अभाव के कारण जिला मजिस्ट्रेट; बाराबंकी को विचारार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिये हैं, जो विचाराधीन हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह स्पष्ट है कि पुलिस विभाग बराबर स्टेट को दफन करने में जुटा हुआ है और जिलाधिकारी यह चाहते हैं अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हुए कि यह मामला उजागर हो । इस मामले में यह कोशिश की जा रही है कि फाइनल रिपोर्ट लगा दो, वरना तबादला करा दिया जायगा । क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी कोई सख्त कार्यवाही करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

मान्यवर, यह जो जानकारी माननीय सदस्य दे रहे हैं, यह सब जमा है। लेकिन नियमम ऐसा है कि यह आसाम जाने को था और आसाम जाने में कोई रुकावट नहीं थी ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी। जहां तक पुलिस का प्रश्न है, जिस अधिकारी के जिम्मे यह तफतीश थी, उसने तो फाइनल रिपोर्ट लगा दी। यह तो न्यायालय ने हम लोगों को संरक्षण दिया कि उसने रिपोर्ट रिजेक्ट कर दिया। जो हमारे मित्र ने आरोप लगाया था, जिस दरोगा के तहत यह इन्क्वायरी थी उसने अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं लगाई, तो उस दरोगा को हटा कर दूसरा दरोगा नियुक्त किया गया, उसने फाइनल रिपोर्ट अदालत में दाखिल की। इसमें एक स्मगलिंग पार्टी है। इसमें कोई राजस्थान, कोई देवरिया का है, कोई सीतापुर का है। तो मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इसके पूर्व सीतापुर में भी 10-5-80 को जो एस0 एम0 आई0 हैं, उन्होंने इस उद्योग रजिस्टर की चेकिंग किया था और उस चेकिंग में उन्होंने यह प्रमाणित किया था कि 2-3 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के बीच में इस कम्पनी ने एक भी नये पैसे की खरीद-फरोख्त नहीं की और उसकी रिपोर्ट आर0 एफ0 सी0, लखनऊ को कर दी, तो इतने बड़े पैमाने पर खाद्यान्न कहां से आ गया ? तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि खाद्य सचिव और उस जमाने के डी0आई0जी0, जो अब आई0जी0 हैं, तो क्या माननीय मन्त्री जी यह सारा मामला विजिलेन्स के जिम्मे देंगे इस बात की इन्क्वायरी के लिये कि कौन कौन से व्यक्ति जिम्मेदार हैं और यह फर्जी उद्योग इतने बड़े पैमाने पर खाद्यान्न की तस्करी करता है क्योंकि बाहर खाद्यान्न भेजने पर प्रतिबन्ध नहीं है, लेकिन अपने यहां किसी कम्पनी के स्टाक रखने पर प्रतिबन्ध है तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्पूर्ण मामले को तथा इतनी बड़ी कम्पनी के प्रभाव क्षेत्र में जो आदमी हैं, उनके आचरण की जांच विजिलेन्स द्वारा करायेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, श्री निर्मल कुमार पुत्र श्री हरख चन्द बहुत बड़ी पार्टी ही धनी है, लेकिन मेरी कोई हमदर्दी उनके साथ नहीं है। प्रश्न यह है कि नियमानुसार हम क्या कर सकते हैं, किस चीज की हम इन्क्वायरी करायें।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, एक बात साफ हो गयी माननीय मन्त्री जी के ही बयान से कि मुकामी दरोगा ने एक फाइनल रिपोर्ट लेकर अदालत में दाखिल कर दी कि यह मामला होना ही नहीं चाहिये ऐसेन्शियल कामोडिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत। किसी दरोगा की यह हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े मामले को दबाने के लिये अदालत में वह यह लिख कर दाखिल कर दे। इसको आपने स्वयं भी स्वीकार किया। तो क्या इस आरोप के तहत इस मामले की जांच विजिलेन्स द्वारा कराने की कोशिश करेंगे कि कौन-कौन से अधिकारी इस पार्टी से मिले हुए हैं तथा मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान लीजिये, मैं किसी के दबाव में हुकुम दे रहा हूं कि इसका इन्क्वायरी करायी जाय, तो क्या हम इसको जब्त कर सकते हैं। माननीय सदस्य चाहते हैं कि सरकार माल जब्त कर ले जिससे सरकार को काफी माल मिल जायगा। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह सही है कि प्रश्न यह है कि एक दरोगा ने चार्जशीट लगा दी, एक ने अन्तिम रिपोर्ट दे दी। अब न्यायालय ने यह किया कि उसको रेफर कर दिया जिलाधिकारी को। एक तरह से यह मामला अभी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अब देखिये जिलाधिकारी क्या रिपोर्ट देते हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

जिलाधिकारी पर भी दबाव डाल रहे हैं ?

[श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, इसमें एक संवैधानिक बिन्दु है, मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूं।

*14—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

[32वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*15—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री सन्त बख्श रावत, श्री शंकर सिंह, श्री अकबर हुसैन, श्री विजय सिंह राना—

[29-1-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 63 द्वारा उत्तरित।]

तीन बच्चों वाले राजकीय कर्मचारियों को वैयक्तिक वेतन दिये जाने सम्बन्धी कथित आदेश

*16—श्री गुलाब सेहरा (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तीन बच्चों वाले राजकीय कर्मचारियों, जिनकी आयु 40 वर्ष है तथा जिनके सबसे छोटे बच्चे की आयु 10 वर्ष से ऊपर है को प्रोत्साहन के रूप में वैयक्तिक वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में आदेश दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो आदेश जारी क्यों नहीं हुए हैं ? इसे तुरन्त जारी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला अस्पतालों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर औषधियों की चोरी के कारण औषधि आपूर्ति बन्द किये जाने की मांग

*17—श्री छत्तर सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या स्वास्थ्य विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि जिला अस्पतालों व प्रा० स्वा० केन्द्रों पर औषधियों की चोरी रोकने के लिये औषधि देना बन्द कर दिया जावे तथा इस बजट से हुई बचत को नये स्वा० केन्द्र खोलकर व डाक्टरों की संख्या बढ़ा कर जनता को सुविधा दी जावे ?

श्री लोकपति—

जी नहीं। ऐसी कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है।

*18—श्री मोती लाल देहलवी तथा श्री मुख्तार अनीस—

[32 वें मंगलवार से तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*19—श्री राम लाल—

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया।]

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी राशन की दुकानों के माध्यम से दालों की आपूर्ति की मांग

*20—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दालों की कमी व महंगाई को देखते हुए सरकार फसल पर अरहर, मसूर, चना व मटर को खरीद कर गांव के लोगों को सरकारी राशन की दूकानों पर उपलब्ध कराने की सोच रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बासुदेव सिंह—

जी नहीं। भारत सरकार द्वारा घोषित मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत केवल गेहूं की खरीद की जाती है और इसके समर्थन मूल्य का निर्धारण भी उनके द्वारा किया जाता है। जहां तक दालों के समर्थन मूल्य पर क्रय किये जाने का सम्बन्ध है, रबी

मारकेटिंग वर्ष 1980-81 में भारत सरकार ने प्रथम ग्रेड के चने का समर्थन मूल्य रु0 145 प्रति कुन्तल निर्धारित किया था। इस समर्थन मूल्य के विरुद्ध बाजार में चने के भाव ऊंचे थे, अतएव चने की कोई सरकारी खरीद नहीं हुई। रबी मारकेटिंग वर्ष 1981-82 के लिये दालों के समर्थन मूल्य का निर्धारण भारत सरकार ने अभी तक नहीं किया है। अतएव, गेहूं के साथ दालों की खरीद की कोई योजना इस समय राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

स्वायत्त शासन कर्मचारी संघ की हड़ताल की नोटिस

**1--श्री मंजूर अहमद तथा श्री सुरेन्द्र कुमार---

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों के संबंध में दिनांक 15-2-81 से हड़ताल करने का कोई नोटिस शासन को दिया है? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन मांगों के मानने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ ने 13 फरवरी, 1981 से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का नोटिस दिया था लेकिन हड़ताल नहीं हुई। उनकी मुख्य मांग राज्य कर्मचारियों के समान वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं के देने तथा वेतन आयोग की रिपोर्ट के विषय में है। इस समय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को सभी सुविधाएं राज्य कर्मचारियों के समान ही दी जा रही हैं। उन्हें वेतनमान भी वही दिया जा रहा है जो पिछले वेतन आयोग ने संस्तुत किया था। नये वेतन आयोग की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है और शासन के विचाराधीन है। इसलिये अभी उस रिपोर्ट के विषय में कुछ कहना सम्भव नहीं है।

श्री मंजूर अहमद--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि स्थायी निकाय कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के बराबर वेतनमान दिये जा रहे हैं तो वह कब तक दिये जा रहे हैं और उसका फैसला कब तक करके मंत्री जी घोषणा कर देंगे?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

माननीय शीघ्र ही किया जायेगा।

श्री मंजूर अहमद--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि मूल मांग-पत्र इन कर्मचारियों का क्या था? मुख्य मांग के सम्बन्ध में तो मंत्री जी ने बता दिया लेकिन बाकी मांगें क्या थीं वह भी क्या मंत्री जी बतायेंगे?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

मान्यवर, मूल मांग-पत्र मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री मन्जूर अहमद---

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उन मांगों में यह भी एक मांग थी कि जैसे स्थायी निकाय में क्लास-1 के अधिकारी बढ़े हैं और क्लास-4 के कर्मचारी नहीं बढ़े हैं जिससे दिक्कत है। इसलिये क्या क्लास-4 के कर्मचारियों को बढ़ाने की बात शासन के विचाराधीन है जिससे हर नगर में जो सफाई न होने के कारण गन्दगी रहती है वह दूर हो सके?

---

*नोट : तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त तारांकित प्रश्न समाप्त हो गये।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, यह मांग भी उनके मांग-पत्र में है इसकी जानकारी मुझे है और इस पर शासन गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा है ।

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानकारी चाहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जायेगा । ताज्जुब हो रहा है कि मंत्री जी और मुख्य मन्त्री जी कह देते हैं कि जल्द पूरा किया जायेगा लेकिन इनको बता दें कि जल्द की मुद्दत कितने वर्ष की होगी ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

निश्चित समय तो नहीं बता सकता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वेतन आयोग की संस्तुतियां जो विचाराधीन हैं उसमें बताया कि इसी वित्तीय वर्ष में फैसला हो जायेगा लेकिन वित्तीय वर्ष पूरा हो गया और फैसला अभी नहीं हुआ । तो मैं जानना चाहता हूं कि अभी शासन और कितना समय लेगा उन संस्तुतियों पर विचार करने के लिये और कब तक निर्णय शासन लेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

शीघ्र ।

श्री सुरेन्द्र कुमार--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि नगरपालिका कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान वेतन तथा भत्ते मिल रहे हैं ? मेरी यह जानकारी में कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों से कम वेतन मिलता है । सन् 72 के वेतन आयोग ने, मेरी जानकारी है कि इनको कम वेतन दिया है राज्य कर्मचारियों से ।

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, माननीय सदस्य कुछ पढ़ रहे थे उनका मुंह माइक पर नहीं था फिर से प्रश्न कर दें ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न स्पष्ट कर दें ।

श्री सुरेन्द्र कुमार--

जो कर्मचारी अस्थाई हैं पक्के नहीं हुए हैं क्या उनको मंत्री जी स्थायी करने की घोषणा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो इस प्रश्न से अलग प्रश्न है ।

श्री सूबेदार सिंह--

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बात को देखते हुए चूंकि महंगाई तेजी से बढ़ रही है और वेतन आयोग की रिपोर्ट पर फैसला नहीं हो रहा है इस बात को देखते हुए क्या कर्मचारियों को सरकार अन्तरिम सहायता देने की व्यवस्था करेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

इस पर फैसला शीघ्र ही करने का इरादा है

श्री यदुनाथ--

स्वायत्त शासन मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके उत्तर से सम्बन्धित क्या स्वायत्त शासन कर्मचारियों में सफाई मजदूरों की दयनीय दशा को देखते हुए उनको अन्तरिम सहायता देंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मान्यवर, इस वर्ष जहांन्जहां वेतन नहीं मिला था 2 करोड़ रुपया अलग से देकर सब देयों का भुगतान करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि सफाई कर्मचारियों का वेतन प्रथम चार्ज होगा उसके बाद अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय होगा ।

श्री मन्जूर अहमद--

माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नगरपालिका, नगर महापालिका, टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया के कर्मचारियों का वेतन एक सा है या अलग-अलग है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

अलग-अलग ग्रेड है ।

श्री मंजूर अहमद--

जब एक सा काम करते हैं तो प्रदेश के सफाई कर्मचारियों का वेतन एक सा करने में आपको क्या कठिनाई है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

यह मामला विचाराधीन है ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

नगरपालिका और महापालिका में जो वर्कचार्ज पर कर्मचारी काम करते हैं और उनके काम करते 240 दिन हो गये हैं और लगातार 3 वर्ष से काम कर चुके हैं क्या कोई ऐसी राजाज्ञा प्रसारित हुई कि उनको नियमित कर दिया जाय। तो क्या उस राजाज्ञा के तहत उन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी बना दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों, यदि बना रहे हैं, तो कब तक ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो वेतन के बारे में मांग है ।

श्री मसरूर जाफरी--

जिला गोंडा में बलरामपुर नगरपालिका के सफाई कर्मचारी अपने 4 महीने के बकाये वेतन के लिये 12 मार्च से अनशन और हड़ताल कर रहे हैं क्या माननीय मंत्री उनके बकाये वेतन का भुगतान कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह अलग से प्रश्न है । अलग से प्रश्न कर लें अलग से उत्तर लीजिये ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रदेश शासन की स्पष्ट घोषित नीति है कि दैनिक वेतन पर मजदूर नहीं रखे जायेंगे। जहां नगरपालिकाओं में दैनिक वेतन पर काम करने वालों को कई वर्ष हो गये हैं और जो राजाज्ञा है कि 3 वर्ष के अनिश्चित मजदूर जो हैं वह सभी निश्चित कर दिये जायें, रेगुलर कर दिये जायं। तो क्या नगरपालिकाओं में जो दैनिक वेतन वाले कर्मचारी हैं जिनके बारे में मांग-पत्र में भी लिखा हुआ है तो क्या ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवायें 265 दिन की हो गयी हैं, आप उन सभी को नियमित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जो राजाज्ञा है उसका परिपालन करा दिया जायगा।

किसान रैली के लिये बसों को डीजल देने हेतु जिलाधिकारी और अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये आदेश

****2--श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)---**

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके विभाग से कोई ऐसा आदेश जिलाधिकारी या अन्य संबंधित अधिकारियों को जारी किया गया था कि 12 फरवरी, 1981 से 16 फरवरी, 1981 तक किसी भी बस, ट्रैक्टर को जो दिल्ली में 16 फरवरी, 1981 को प्रस्तावित किसान रैली में जा रही हो उसको डीजल की कमी न हो ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या था ? प्रदेश के अन्दर उक्त रैली से संबंधित कितना डीजल दिया गया ?

श्री वासुदेव सिंह---

शासन द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 1981 को इस आशय के निर्देश गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल के जिलों को छोड़ कर प्रदेश के शेष समस्त जिलाधिकारियों को भेजे गये थे कि जो गाड़ियां रैली के लिये दिल्ली जा रही हैं उन्हें आवश्यकतानुसार डीजल उपलब्ध कराया जाय। डीजल जारी करने के लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं की गयी थी---

उक्त प्रयोजन हेतु डीजल देने का औचित्य यह था कि प्रथमतः पूर्वी क्षेत्रों के तेल शोधक कारखानों के कार्यरत हो जाने से पर्याप्त मात्रा में पाइप लाइन से भी डीजल उपलब्ध हो रहा है तथा दूसरे माल की कोई कमी नहीं है।

उक्त रैली से सम्बन्धित प्रदेश के अन्दर कितना डीजल जारी किया गया, यह सचना देना सम्भव नहीं है क्योंकि इस समय सभी गाड़ियों, ट्रैक्टरों आदि को आवश्यकतानुसार डीजल दिया गया है तथा रैली स सम्बन्धित अथवा रैली सं इतर उपयोग क बीच कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस प्रश्न में मेरी रुचि है।

मान्यवर, यह जो प्रश्न का उत्तर है वह इस बात का ज्वलंन्त प्रमाण है कि सत्तारूढ़ दल अपने दलीय हितों के लिये शासन तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है। इस प्रश्न के उत्तर की दूसरी खंडिका में कहा गया है कि तेल शोधक कारखानों के चालू हो जाने के कारण तेल की कोई कमी नहीं थी। तो जब तल की कमी नहीं थी तो यह आदेश जारी करने का औचित्य खत्म हो जाता है। तो इसके पहले के महीने के बाद दूसरा तेल का कोटा कब आवंटित हुआ ? सरकार द्वारा संसदीय नियमों की व्यवस्था, संविधान की मर्यादा का उल्लेख करते हुय मैं कहना चाहता हूं कि एक राजनीतिक दल को सुविधा पहुंचाने के लिये इस आदेश को जारी किया गया। इसके जारी करने का क्या कारण है ?

नोट :--अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की रुचि पर लिया गया।

श्री वासुदेव सिंह--

माननीय सदस्य का आरोप नितांत निराधार है। आरोप को छोड़कर शेष का जवाब यह है कि डीजल अब सभी लोगों के लिये मुक्त कर दिया गया है। 11 मार्च से डीजल का वितरण सबके लिये मुक्त कर दिया है। माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया है तो जनता पार्टी के सम्मेलन (सारनाथ) के लिये हमने 50 हजार लीटर डीजल दिया है और यह आदेश दिया है कि जितनी गाड़ियां आ रही हैं उनको डीजल दिया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि तेल की कमी नहीं है। मेरा सवाल है कि जब तेल की कमी नहीं थी तो उस समय यह आदेश क्यों जारी किया गया कि सत्तारूढ़ दल की रैली को डीजल की कमी न पड़े। मेरा प्रश्न यह है कि पहले महीने जो प्रदेश को कोटा मिला है उसके बाद दूसरा कोटा कब मिला ? जब सबको डीजल मिल सकता था तो यह आदेश जारी करने का क्या कारण है ?

श्री वासुदेव सिंह--

सरकार इसके लिये संवेदनशील है।

श्री मोहन सिंह--

सरकार कितनी संवेदनशील है, इसका पूरा ज्ञान प्रदेश के लोगों को है। आपकी जो 16 फरवरी की किसान रैली हुयी उसमें यह आदेश दिये गये कि गाड़ियों में डीजल की कमी न होने पाये और जब हमारी रैली 10 तारीख को हुयी उसमें काफी गाड़ियां डीजल के अभाव में रुक गयीं। केवल अपनी रैली को खूबसूरत बनाने के लिये सारे प्रयास किये गये और साथ ही मान्यवर, मुझे यह भी जानकारी मिली है कि रैली के नाम पर तमाम कांग्रेस आई0 के कार्यकर्ताओं ने काफी डीजल लेकर उसको ब्लैक भी किया है। तो मा0 मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जब उस समय डीजल इतना इफराद था, तो आपको ऐसे आदेश क्यों करने पड़े ? (शोर)

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मोहन सिंह जी यह साफ आरोप लगा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं पर। यह बहुत गलत है। अगर इनके जमान में ऐसा हुआ है, तो जरूरी नहीं कि हम लोग भी उसकी नकल करें। (शोर)

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, यह जो अभी माननीय मोहन सिंह जी ने कहा कि डीजल लेकर बेचा गया, तो इसका आधार क्या है, यह किस बिना पर इन्होंने कहा है ?

श्री मोहन सिंह--

इसका आधार मंत्री जी के आदेश है।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि शासन की मन्शा यह नहीं थी कि किसान रैली को कोई अतिरिक्त डीजल दें। इसलिए माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि जनपद बलिया में 10 बसें रोडवेज की हैं, जो जिलाधिकारी के आदेशों से वह किसान रैली में भेज दी गयी। अब उन दस बसों का किराया और डीजल के बिल जिलाधिकारी के नाम आया है, क्योंकि उन्हीं के आदेश से बसें वहां गयी, तो मैं मा0 मंत्री जी जानना चाहता हूं कि जिलाधिकारी महोदय उन बिलों का भुगतान किस मद से करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री देवेन्द्र पाण्डेय--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। यह जो आरोप मा0 मोहन सिंह जी ने लगाये हैं, वह टोटल निराधार है। (शोर)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है। श्री मोहन सिंह जी को उनके प्रश्न के ऊपर बुलाया था कि वह अपना प्रश्न साफ कर दें।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मेरा सूक्ष्म प्रश्न यह है कि सन्दर्भित महीने है उसमें डीजल का कोटा प्रदेशों में कितना, आबंटित हुआ और इसके पहले और इसके बाद कितना कोटा केन्द्र सरकार से मिला, जिससे सारी स्थिति लोगों के सामने स्पष्ट हो सके ?

श्री वासुदेव सिंह--

अध्यक्ष महोदय, 1164 किलो लीटर तक प्रदेशों के तमाम जिलों को आवंटित किया गया है। यह आंकड़े हमारे पास 10-2-81 से 16-2-81 तक के है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इसके पहले और बाद के आंकड़े तुलनात्मक रूप में चाहते हैं, वह मंत्री जी दें, कृपया।

श्री वासुदेव सिंह--

ऐसे आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं।

अतारांकित प्रश्न

पर्वतीय जिलों में एलोपथिक डाक्टरों के रिक्त स्थान

1--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय 8 जिलों में दिनांक 31-1-1981 को कितने एलोपैथिक डाक्टरों के स्थान रिक्त थ तथा उनको भरने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही हैं ? तथा इसमें विलम्ब होने का कारण क्या है ?

श्री लोकपति--

पर्वतीय 8 जिलों में दिनांक 31-1-1981 को 174 एलोपैथिक डाक्टरों के स्थान रिक्त थे जिन्हें भरने के लिये यथा शीघ्र कार्यवाही की जा रही है। पर्वतीय क्षेत्र के लिये पृथक उप संवर्ग बनाया जा रहा है।

जालौन जनपद में राजस्व और पूर्ति विभाग द्वारा कोटेदारों के विरुद्ध थानों में लिखाई गई रिपोर्ट

2--श्री शंकर सिंह--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 तक जालौन जनपद में राजस्व और पूर्ति विभाग के कर्मचारियों द्वारा किस-किस थानें में किस-किस कोटेदार के विरुद्ध 3/7 अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखायी गयी और जांच के बाद इनमें से किस-किस के मामले में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी ?

नोट :--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री वासुदेव सिंह---

वांछित सूचना संलग्न है

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 513 पर)

जनपद गोरखपुर की टाउन एरिया गोला बाजार के राशन कार्ड की यूनिट

3---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत टाउन एरिया गोला बाजार की राशन कार्ड धारकों की कुल यूनिट संख्या अगस्त, 1980 तक क्या थे और अब इस समय क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगर क्षेत्र, गोला बाजार, जनपद गोरखपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें

4---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या खाद्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शासकीय विज्ञप्ति के अनुसार नगर क्षेत्रों तथा उप नगरों (टाउन एरिया) में 2,000 (दो हजार) यूनिट संख्या होने पर एक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का प्राविधान है ? यदि यह सच है, तो नगर क्षेत्र गोला बाजार (गोरखपुर) में इस समय कितनी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें कार्यरत हैं और उन दुकानों में प्रत्येक पर कितनी यूनिट संख्या कार्ड धारकों की सन्निहित (संलग्न) है ?

श्री वासुदेव सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है

नगरपालिकाओं, नोटीफाइड एरियाओं व टाउन एरियाओं के कर्मचारियों के पिछड़े वेतन का भुगतान

5---डाक्टर धर्मपाल---

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिकाओं, नोटीफाइड एरियाओं व टाउन एरियाओं के कर्मचारियों के पिछड़े वेतन, नगरों की व्यवस्था के लिये साधनों के अभाव एवं नगरों के बढ़ते क्षेत्रफल व जनसंख्या के अनुपात में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के स्थायी समाधान के लिये सरकार द्वारा कोई ठोस योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

कर्मचारियों के पिछड़े वेतन के भुगतान के लिये शासन द्वारा अनुदान दिया गया है । कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिये शासन ने आदेश जारी कर दिये हैं कि बिना शासन की स्वीकृति के कोई नया पद सृजित न किया जाय । आय के 50 प्रतिशत से अधिक अधिष्ठान पर व्यय न करने के भी आदेश जारी किये गये हैं । अपने संसाधनों में वृद्धि करने के लिये भी स्थानीय निकायों को निर्देशों दिये गये हैं । जहां तक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के स्थायी रूप से समाधान का प्रश्न है, कर्मचारियों की संख्या कार्य से संबंधित है । अतः नगरों के विकास एवं तत्सम्बन्धित कार्यों के परिपेक्ष्य में ही कर्मचारियों की संख्या निर्धारित की जाती है ।

अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण तथा सहायक निदेशक, मातृ शिशु कल्याण में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का विनियमितीकरण

6—श्री हरिवंश सहाय, श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में दैनिक वेतन लिपिकों को नियमित अभी हाल में ही किया जा रहा है ? यदि हां, तो यह नियम अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण/मातृ शिशु कल्याण तथा सहायक निदेशक, मातृ शिशु कल्याण, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के कार्यालय में कार्य करने वाले दैनिक वेतन लिपिकों पर भी लागू होगा ?

श्री लोकपति—

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियों को सीधी भर्ती द्वारा विनियमित करने का मामला विचाराधीन है। सीधी भर्ती की निर्धारित प्रक्रिया अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण, मातृ शिशु कल्याण तथा सहायक निदेशक, मातृ शिशु कल्याण, लखनऊ के कार्यालय में भी लागू होगी।

जनपद गोरखपुर की साधन सहकारी समितियों के सदस्यों की वसूली एवं कुड़की सम्बन्धी शिकायती-पत्र

7—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में कुल कितनी साधन सहकारी समितियां है ? कितनी ऐसी हैं जिनके सदस्यों, जन प्रतिनिधियों आदि ने माह जनवरी, 80 ई0 से अब तक अनेक शिकायती पम्फलेट एवं पत्र इस आशय का स्थानीय अधिकारियों व शासन को भेजा है कि पास-बुक बेबाक होने काफी धनराशि की वसूली व कुड़की की जा रही है ? क्या इसमें साधन सहकारी समिति, टीकर, ब्लाक मिठोरा व सा0 स0 समिति, बिशुनपुरा, ब्लाक ब्रह्मपुर भी है ? यदि हां, तो क्या यहां की वसूली रोकते हुये तत्काल सत्यापन करा दिया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जनपद गोरखपुर में कुल 261 साधन सहकारी समितियां हैं। 9 समितियां ऐसी हैं जिनके सदस्यों ने जनवरी, 80 से शिकायती-पत्र भेजे हैं।

जी हां। जांच शुरु कर दी गई है तथा सत्यापन होने तक वसूली स्थगित कर दी गई है।

श्री राम जी पाण्डेय, एक्सटेंशन एजूकेटर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रुदौली, जिला बस्ती के विरुद्ध शिकायतों की जांच

8—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के प्रथम गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं0 122 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिकायतें कब प्राप्त हुयीं और उनकी जांच उप मुख्य चिकित्साधिकारी ने कब किया और आरोप संख्या 4 के संबंध में क्या मुख्य चिकित्साधिकारी ने टी0ए0 बिल तथा मौके की जांच की ? यदि हां, तो किस निष्कर्ष पर पहुंचे और पुनः जांच के आदेश कब और किस वरिष्ठ अधिकारी को दिये गये हैं ?

श्री लोकपति—

शिकायतें अगस्त, 1977 व उसके बाद प्राप्त हुई। जांच उप मुख्य चिकित्साधिकारी ने नहीं वरन् मुख्य चिकित्साधिकारी ने सितम्बर, 1977 तथा अप्रैल, 1979 में की। जांच आख्या अप्रैल, 1979 में प्रस्तुत की थी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में टी0 ए0 बिल या स्थानीय जांच का कोई उल्लेख नहीं है। पुनः जांच के आदेश दिनांक 24 जनवरी, 1981 को क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, गोरखपुर को दे दिये गये हैं।

देवरिया जिले के देसही देवरिया, बैतालपुर गौरी, बाजार आदि विकास खण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन की स्थापना

9—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के देसही देवरिया, बैतालपुर गौरी बाजार एवं रामपुर कारखाना विकास खंडों में कहां-कहां प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है? और कब तक बन जायेंगे?

श्री लोकपति—

देवरिया जिले के देसई देवरिया, बैतालपुर, गौरी बाजार एवं रामपुर कारखाना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सभी स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन बनाये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा दी गयी थी जिसमें गौरी बाजार व रामपुर कारखाना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन बन गया है तथा प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र देसई एवं बैतालपुर में भवन बन रहा है जिसके शीघ्र ही पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

संयुक्त निदेशक, संचारी रोग द्वारा वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ का दौरा

10—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

प्रथम सत्र 1981 के पहले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 32 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त निदेशक, संचारी रोग ने प्रदेश के जिन तीन जिलों का दौरा किया उनके नाम क्या हैं? मुआयना रपट क्या है? क्या यह जिले सर्वाधिक रूप से संक्रामक रोग में प्रभावित थे? क्या यह सही है कि मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद जनपद मुख्य रूप से प्रभावित हुये थे? यदि हां, तो इन जिलों में संयुक्त निदेशक, संचारी रोग क्यों नहीं गए? क्या इस लापरवाही के लिये उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी?

श्री लोकपति—

संयुक्त निदेशक, संचारी रोग ने वाराणसी, जौनपुर तथा आजमगढ़ जिलों का दौरा किया था उनके मुआयना रिपोर्ट म पायी गई मुख्य बातों का ब्योरा संलग्न है। उल्लिखित जिलों में से उस समय वाराणसी तथा आजमगढ़ सर्वाधिक रूप से संक्रामक रोक से प्रभावित थे तथा जौनपुर में भयंकर बाढ़ आयी थी और संक्रामक रोग फैलने की आशंका थी। मिर्जापुर, वाराणसी, इलाहाबाद जनपद भी संक्रामक रोक से पीड़ित थे। संयुक्त निदेशक संचारी रोग वाराणसी गये थे। मिर्जापुर जनपद के लिये सहायक निदेशक संक्रामक रोक के साथ विशेष टीम भेजी गई, व एक चिकित्साधिकारी की भी इस जनपद में नियुक्ति की गई थी। इलाहाबाद जनपद में अतिरिक्त निदेशक (पर्वतीय) संयुक्त निदेशक (ग्रामीण स्वास्थ्य) तथा सहायक निदेशक (संक्रामक रोग) को भेजा गया था। इसके अतिरिक्त निदेशालय तथा भारत सरकार की ओर से विशेष जेट गन टीमों को भी संक्रामक रोक निरोधी कार्यवाहियों हेतु भेजा गया था संयुक्त निदेशक संचारी रोग हेडक्वार्टर पर दवाओं की आपूर्ति का भी महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं तथा संक्रामक रोगों की रोकथाम के

सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारी भी अपने क्षेत्र का कार्य देखते हैं। इस प्रकार सभी प्रभावित जनपदों में दौरा व आवश्यक कार्यवाही की गई। संयुक्त निदेशक की इस विषय में कोई लापरवाही न होने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 514 पर)

आयुर्वेदिक अस्पतालों में नियुक्तियों हेतु दैनिक समाचार पत्र 'आज' के विज्ञापन के अनुसार बिहार और दूसरे प्रदेशों के डाक्टरों को न लिया जाना

11—श्री ऊदल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक अस्पतालों में नियुक्तियों हेतु तारीख 12-1-81 को वाराणसी से निकलने वाले दैनिक अखबार 'आज' के पृष्ठ 4, कालम 4 पर एक विज्ञापन निकाला गया जिसमें उत्तर प्रदेश के निवासियों द्वारा प्रदेश के अलावा बिहार तथा दूसरे प्रदेशों से आयुर्वेद में पांच वर्ष के प्रशिक्षण एवं डिग्री के लिये डाक्टरों को नहीं लिया जा रहा है ?

श्री लोकपति—

जी हां।

प्रदेश में आयुर्वेद एवं यूनानी डाक्टरों की नियुक्ति हेतु अर्हतायें

12—श्री ऊदल—

क्या यह सही है कि बिहार के पटना, भागलपुर, मोतीहारी, छपरा, बेगूसराय आदि कालेजों से उत्तीर्ण एवं उत्तर प्रदेश के झांसी, बरेली, पीलीभीत, वाराणसी वगैरह से उत्तीर्ण लोगों का रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश में पैरा 1 में ही होता है ? यदि हां, तो ऐसे डाक्टरों को प्रदेश में नौकरी में न रखने का कारण क्या है ?

श्री लोकपति—

जी हां। राजपत्रित चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) नियमावली 1964 के अनुसार केवल उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्ब की डिग्री अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही प्रदेश में नियुक्ति के लिये अर्ह है।

ग्राम सक्तेशगढ़ एवं बधोर, जिला मिर्जापुर में पेयजल की टंकी का निर्माण

13—श्री राम चरण सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सक्तेशगढ़ एवं बधोर विकास खण्ड राजगढ़, जिला मिर्जापुर में पेयजल की टंकियां कई वर्षों से बन रही हैं? यदि हां, तो अब तक पूर्ण न होने का कारण क्या है और वह टंकी कब तक पूर्ण होगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी हां। सक्तेशगढ़ पेयजल योजना के अन्तर्गत टंकी का निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा 2/74 में प्रारम्भ किया गया था तथा 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है कार्य की प्रगति, कार्य स्थल अन्प्ररेनी क्षेत्र (Remote area) में होने, बरसात में रास्ता बन्द होने तथा धनाभाव एवं समय-समय से सीमेन्ट न उपलब्ध होने के कारण धीमी रही। ठेकेदार के द्वारा दरों की बढ़ोत्तरी तथा नुक्सान के भुगतान की मांग की गयी जो कि अनुबन्ध के शर्तों के अनुसार देय नहीं है। फलस्वरूप ठेकेदार ने कार्य बन्द कर दिया और विभाग से आर्बीटेशन की मांग की है। आर्बीटेशन के निर्णय तक कार्य कराना विभाग के हित में उचित नहीं है। आर्बीटेशन का निर्णय प्राप्त होने के पश्चात् कार्य को पूर्ण करने के लिये 6 माह का समय लगेगा।

(ख) राजगढ़ सुकृत पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम बधोर में टंकी का निर्माण कार्य पूर्ण है।

मिर्जापुर जिले की सक्तेशगढ़ एवं बधोर पेयजल योजना की लागत

14—श्री राम चरण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सक्तेशगढ़ एवं बधोर की पेयजल योजना कितनी लागत है और कितने गांवों को पानी देने की योजना है? क्या सरकार उन गांवों की एक सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

(क) सक्तेशगढ़ ग्राम समूह पेयजल योजना की लागत रु0 46.836 लाख है तथा इस योजना अन्तर्गत कुल 37 ग्रामों को पेयजल देने का प्राविधान है।

(ख) राजगढ़ एवं सुकृत ग्राम समूह पेयजल योजना की लागत रु0 69.83 लाख है तथा इस योजना के अन्तर्गत 43 ग्रामों को पानी देने का प्राविधान है।

(ग) प्राविधानित ग्रामों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 515 पर)

अध्यक्ष, केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लिमिटेड, हरदोई के विरुद्ध शिकायती पत्र

15—श्री प्रताप नारायण द्विवेदी—

क्या सहकारिता मंत्री, कृपया बतायेंगे कि अध्यक्ष, केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार, लिमिटेड, हरदोई के भ्रष्टाचार, गोलमाल एवं पद के दुरुपयोग के संबंध में श्री राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा, अध्यक्ष नगर युवक कांग्रेस, शाहाबाद, हरदोई ने एक पत्र दिनांक 30-1-81 को संयुक्त सचिव, सहकारिता को दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह—

जांच करायी गयी।

देवरिया जनपद के अन्तर्गत सस्ते गल्ले की दुकानों का निलम्बन

16—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद 1-1-80 से 30-1-81 तक कितने सस्ते गल्ले की दुकानें निलम्बित की गई और उनमें से कितने के खिलाफ जांच हो रही है?

श्री वासुदेव सिंह—

जनपद देवरिया में 1 जनवरी, 1980 से 30 जनवरी, 1981 तक 180 सस्ते गल्ले की दुकानें निलम्बित की गई। इनमें से 81 दुकानें आरोप सिद्ध न होने के फलस्वरूप बहाल कर दी गयी। 36 दुकानें आरोप सिद्ध होने के फलस्वरूप निरस्त कर गयी तथा 15 दुकानों के विरुद्ध थानें में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई जिसकी विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है। 59 दुकानों के विरुद्ध जांच चल रही थी परन्तु यह ज्ञातव्य है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शासन के नवीनतम आदेशानुसार ये दुकानें स्वतः समाप्त हो गयीं।

श्री त्रिलोकी नाथ मिश्र, कम्पाउण्डर, नगरमहापालिका वाराणसी की बी0 एम0 एस0 की डिग्री के सम्बन्ध में जांच

17—श्री दीप नारायन बन महन्त—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री त्रिलोकीनाथ मिश्र, कम्पाउन्डर. नगरमहापालिका, बाराणसी के विरुद्ध सेवा में रहते हुए पूर्णकालिक आयुर्वेदाचार्य (बी0 एम0 एस) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में डिग्री प्राप्त करने के बारे में कोई जांच प्रशासक, नगर महापालिका, वाराणसी ने बर्ष 79–80 में कराई है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उसके आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

श्री त्रिलोकी नाथ मिश्र, कम्पाउन्डर, नगर महापालिका वाराणसी के विरुद्ध सेवा में रहते हुये पूर्णकालिक आयुर्वेदाचार्य (बी0 एम0 एस0) सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में डिग्री प्राप्त करने के संबंध में प्रारम्भिक जांच कराई गई है जिसके आधार पर श्री मिश्र से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है ।

देवरिया जिलान्तर्गत ब्लाक तमकुही, सेवरही व दुधही में सस्ते गल्ले की दुकानों का निलम्बन

18--श्री ध्रुपराय--

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत ब्लाक तमकुही, सेवरही व दुधही में 1–1–80 मे 30–1–81 के बीच कितने सस्ते गल्ले की दुकानें निलम्बित हुई तथा कितने के खिलाफ शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ ? उन सभी पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री बासुदेव सिंह--

विकास क्षेत्र तमकुही राज, सेवरही तथा दुधही में प्रश्नगत अवधि में कुल 23 सस्ते गल्ले की दुकानें निलम्बित हुई तथा 19 के विरुद्ध शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे। बाद जांच सरसरी तौर पर प्रथम दृष्टया मामला बनने पर 19 दुकानें तत्काल निलम्बित कर दी गई तथा 1 दुकान को मौके पर जांच के समय पाई गयी गम्भीर अनियमितता के फलस्वरूप दुकानदार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गई एवं दुकान निलम्बित कर दी गयी है ।

राम सागर मिश्र कालोनी, लखनऊ में पार्क की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

19--श्री मुईद अहमद--

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की कालोनी राम सागर मिश्र नगर में जनता भवन के मकान नं0 सी- 1357/1 से लेकर सी- 1357/8 तक के भवनों के सामने उक्त भवनों को आवंटित करने के समय एक पार्क बनवाने की योजना थी ? यदि हां, तो अभी तक पार्क न बन पाने का क्या कारण है ? उक्त पार्क कब तक बनवा दिया जायेगा ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी, हां। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् की कालोनी राम सागर मिश्र नगर में जनता भवन के मकान नं0 सी- 1357/1 से लेकर सी-- 1357/8 तक के भवनों के सामने केवल एक खुली जगह का प्राविधान ले-आउट प्लान में किया गया था। तदनुसार खुली जगह छोड़ दी गई हैं। चूंकि प्राविधान केवल खुली जगह का ही था इसलिए पार्क बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

20--श्री मुईद अहमद--

क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त भवनों के सामने जो पार्क की जगह खाली थी उसमें लोगों ने अधिकृत रूप से मकान बनवा लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवनों के निर्माण को रोकने तथा हटाने के संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी, हां। यह सही है कि उक्त खुली जगह में दो व्यक्तियों ने अधिकृत रूप से मकान बनवा लिये हैं। अब इनको हटाने की कानूनी कार्यवाही की जायगी।

जिला देवरिया, ग्राम चकिया में अस्पताल की भूमि

21--श्री हरिवंश सहाय--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया ब्लाक बनकटा, ग्राम चकिया में सरकारी अस्पताल के भवन हतु 5 एकड़ भूमि प्राप्त हो गयी ह ? यदि हां, तो अस्पताल का भवन बनकर कब तक तैयार हो जायेगा ?

श्री लोकपति--

ग्राम चकिया में चिकित्सालय भवन बनाने हेतु यद्यपि पांच एकड़ भूमि प्राप्त हो गयी है किन्तु ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय चिकित्सालयों के भवन निर्माण की योजना न होने के कारण अस्पताल भवन का निर्माण कराया जाना सम्प्रति सम्भव न हो सकेगा।

सस्ते गल्ले की दुकानों को सहकारी समितियों के अधीनस्थ किया जाना

22--श्री नन्द किशोर सिह--

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सस्ते गल्ले की दुकानें शासन के आदेशानुसार 1 दिसम्बर, 1980 से सहकारी समितियों के जिम्मे कर दी गयीं ? और क्या यह सही है कि सभी दुकानें सहकारी समितियों को दी जायेंगी ?

श्री वासुदेव सिह--

निजी क्षेत्र में कार्यरत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को अधिकाधिक सहकारी क्षेत्र कोहस्तांतरित करके सहकारी समितियों द्वारा संचालित कराये जाने की योजना शासन ने दिनांक 1 जनवरी, 1981 से लागू की है। शासन का प्रयास यही है कि उक्त दुकानें सहकारी समितियों द्वारा ही संचालित की जाय।

कोआपरेटिव बैंक इम्प्लाइज यूनियन का शिकायती-पत्र

23--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको कोआपरेटिव बैंक इम्पलाइज यूनियन का दिनांक 11-9-80 को जिला सहकारी बैंक, लखनऊ के सचिव/सामान्य प्रबन्धक की श्रम विरोधी नीति के संबंध में सहकारिता मन्त्री को सम्बोधित कोई पत्र मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिह--

जी हां, श्री रमादत्त अवस्थी महामंत्री, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बक इम्प्लाइज यूनियन का एक शिकायती पत्र दिनांक 10-9-80 का प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच कराई गई। शिकायत निराधार पाई गई।

टाउन एरिया कमेटी स्याना, जनपद बुलन्दशहर के सफाई कर्मचारी श्री अजमेरी को सेवा से मुक्त किया जाना

24--श्री छत्तरपाल सिंह--

क्या नगर विकास मन्त्री को ज्ञात है कि अजमेरी, सफाई कर्मचारी, टाउन एरिया कमेटी स्याना, जनपद बुलन्दशहर को वहां के बक्शी ने 29-11-77 को कार्य से मुक्त करने का एक नोटिस दिया था ? क्या 27-1-78 को प्रभारी अधिकारी महोदय ने उपरोक्त आदेश को स्थगित कर दिया ? इसके बावजूद भी अजमेरी को सेवा में नहीं लिया गया ? ऐसा क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

दिनांक 29-11-77 को कार्यमुक्त करने का नहीं बल्कि भली प्रकार कार्य न करने, लापरवाही बरतने तथा अनुशासनहीनता बरतने के कारण श्री अजमेरी को प्रभारी अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस दिया था। बख्शी ने नहीं दिया था।

प्रभारी अधिकारी ने 17-1-78 को कार्यमुक्त करने के आदेश दिए थे जिस पर पुनर्विचार हेतु श्री अजमेरी ने दिनांक 21-1-78 को प्रार्थना-पत्र दिया था। प्रभारी अधिकारी ने इस प्रार्थना-पत्र के निस्तारण तक दिनांक 17-1-78 के आदेश को स्थगित करने के आदेश 21-1-78 को दिए न कि 27-1-78 को।

प्रभारी अधिकारी ने सुनवाई के पश्चात् श्री अजमेरी का प्रार्थना-पत्र 27-2-78 को निरस्त कर दिया और आदेश दिनांक 17-1-78 के कार्यान्वियन के आदेश दिए। फलतः श्री अजमेरी 17-1-78 से कार्यमुक्त रहे। अनियमिताओं के कारण श्री अजमेरी को दिनांक 17-1-78 के तथा 27-2-78 के प्रभारी अधिकारी के आदेशानुसार सेवा में नहीं लिया गया।

अकबरपुर, जिला फैजाबाद के पूर्व मुख्य अधिशासी के विरुद्ध शिकायत

25--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद के पूर्व मुख्य अधिशासी के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र माह जुलाई व अगस्त, 1980 में सभी आरोपों के साथ प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां। निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश को जांच करवाकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

26--श्री चन्दन सिंह--

[9वें गुरुवार के लिए स्थगित।]

फैजाबाद जनपद की अकबरपुर तहसील में नियन्त्रित वस्तुओं के वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच

27--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, 1981 में फैजाबाद जनपद की अकबरपुर तहसील में नियंत्रित वस्तुओं के वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचारों की जांच के लिये श्री वी० के० पाण्डेय, उप पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, जवाहर भवन, लखनऊ, अकबरपुर तहसील में गये थे और श्री हरिराम वर्मा, भूतपूर्व विधायक ने साक्ष्य के लिये कोई आरोप पत्र श्री पाण्डेय को दिया था ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट का विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री वासुदेव सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

28--श्री बल्देव सिंह आर्य--

[8वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न सं0 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

लखनऊ विकास प्राधिकरण के नजूल विभाग की सम्पत्ति पुस्तिका एवं नजूल भूमि का आवंटन

29-- श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के नजूल विभाग के पास वर्ष 1907 के बाद की सम्पत्ति पुस्तिका नहीं है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिये कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं ? क्या सरकार इस महत्वपूर्ण पुस्तिका के सम्बन्ध में जांच करवाने की कृपा करेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

30-- श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ शहर में 3000 हेक्टर नजूल की भूमि है ? यदि हां, तो वह जमीन कहां-कहां है उक्त भूमि को कितने व्यक्तियों को किस दर से दिया गया है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

भूमि विकास बैंक लिमिटेड से ऋण लेने वालेकृषकों को मोटर व पम्प पी0 सी0 एफ0 से खरीद की अनिवार्यता

31--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0रा0 सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 से ऋण लेने वाले कृषकों को बिजली मोटर व पम्प लेने के लिये केवल पी0सी0एफ0 से ही बाध्य किया जाता है ? क्या उन्हें जानकारी है कि कृषक अपनी इच्छानुसार मोटर भी पी0सी0एफ0 से नहीं पाता है और खुले बाजार से वे कम से कम कीमत में मिल सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनिवार्यता को समाप्त करने पर विचार करेगी ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इस अनिवार्यता के कारण गत वर्षों की अपेक्षा इधर कम ऋण वितरण भूमि विकास बैंक से हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस नीति को परिवर्तित करेगी ?

श्री वासुदेव सिंह--

जी नहीं। पी0 सी0 एफ0 के माध्यम से कृषकों को उनकी इच्छानुसार मोटर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह व्यवस्था भी की गयी है कि कृषक बैंक द्वारा अनुमोदित मोटरों में से तीन मोटरों को पसंद कर ले। कृषक की पसन्द के बाद पी0सी0एफ0 उक्त तीन मोटरों में से किसी एक मोटर की आपूर्ति बैंक के अधिकार पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर सम्बन्धित कृषक को करेगा। यदि पी0सी0एफ0 किसान के मनपसन्द मोटर की आपूर्ति एक सप्ताह के अन्दर नहीं कर पायेगा तो कृषक बैंक द्वारा अनुमोदित प्राइवेट डीलर से अपनी मनपसन्द का मोटर क्रय करने के लिये स्वतन्त्र है।

जल निगम में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ताओं की पदोन्नति

32--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 जल निगम में पिछड़े वर्गों एवं अनुसूचित जातियों से संबंधित क्रमशः 15 व 18 प्रतिशत कोटा पदोन्नति द्वारा अधिशासी अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, जे0ई0 व अन्य श्रेणी की सेवाओं को 31-1-81 तक पूरा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी नहीं। चयन के समय अर्हताओं को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कोटे से कम उपलब्ध होने के कारण निर्धारित कोटा पूर्ण नहीं हो सका है।

रिफ्रेक्शनिस्ट और फिजियो-थिरेपिस्ट के वेतनमान में असमानता

33--श्री झिलमिट राम--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिफ्रेक्शनिस्ट व फिजियोथिरेपिस्ट की योग्यता व प्रशिक्षण अवधि समान है किन्तु वेतन मानों में रिफ्रेक्शनिस्ट को रु0 430 से 685 व फिजियोथिरेपिस्ट को रु0 570 से 1070 का वेतनमान दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी रिफ्रेक्शनिस्ट का वेतनमान फिजियोथिरेपिस्ट के समान देने का और असमानता दूर करने का आदेश निगत करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति--

फिजियोथिरेपिस्ट पद के लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यता इण्टर साइन्स (बायलोजी) तथा फिजियोथिरेपिस्ट का 2 वर्षीय डिप्लोमा है, और रिफ्रेक्शनिस्ट की शैक्षिक योग्यता इण्टर साइन्स तथा आप्टोमेट्री में 2 वर्षीय डिप्लोमा है। फिजियोथिरेपिस्ट का वर्तमान वेतनमान रु0 350-700 तथा रिफ्रेक्शनिस्ट का वर्तमान रु0 230-385 है। रिफ्रेक्शनिस्ट का वेतनमान फिजियोथिरेपिस्ट के समान किये जाने की मांग विचाराधीन है।

स्थानीय निकायों द्वारा कृषि संयंत्रों पर दी जाने वाली चुंगी की छूट

34--श्री राम करन तथा श्री राम नारायण--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के समस्त नगर महापालिकाओं का नगरपालिकाओं, टाउन एरियाओं, नोटीफाइड एरियाओं में कृषकों को राहत देने हेतु कृषि यंत्रों पर चुंगी मुक्त करने का विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जल निगम में अनुसूचित जाति के अधीक्षण अभियन्ता

35--श्री झिलमिट राम--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वायत्त शासन के अधीन कार्यरत जल निगम में कुल कितने अधीक्षण अभियन्ता हैं ? और उसमें आरक्षण के अनुसार कितने अनुसूचित (हरिजन) अधीक्षण अभियन्ता हैं ? क्या यह सत्य है कि विगत तीन वर्षों से अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता के पद पर की गई पदोन्नतियों में दो पिछड़ी जाति के अभियन्ता प्रोन्नत किये गये ? क्या उसमें अनुसूचित जाति के किसी भी सदस्य को अवसर नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

उत्तर प्रदेश जल निगम में कुल 50 अधीक्षण अभियन्ता हैं जिनमें कोई भी अनुसूचित (हरिजन) जाति का नहीं है।

वर्ष 1979 में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर की गई प्रोन्नतियों में पिछड़ी जाति के दो व्यक्तियों को भी प्रोन्नत किया गया।

अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु अनुसूचित जाति का कोई भी अधिकारी पात्रता के क्षेत्र में नहीं आता था अतः अनुसूचित जाति के किसी भी सदस्य को आरक्षण के आधार पर अधीक्षण अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति का अवसर नहीं प्राप्त हो सका।

क्षेत्रीय हाट अधिकारी, इलाहाबाद मण्डल के विरुद्ध शिकायती-पत्रों की जांच

36--श्री हरिवंश सहाय--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्रीय हाट अधिकारी, इलाहाबाद मण्डल, मुख्यालय कानपुर के भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती-पत्र दिनांक 8 अक्टूबर, 1980 माननीय मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्त्ता का प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री वासुदेव सिंह--

जी हां। प्रश्नगत शिकायती-पत्र में क्षेत्रीय हाट अधिकारी, इलाहाबाद मण्डल, मुख्यालय कानपुर के विरुद्ध ये आरोप लगाये गये थे कि उनका संबंध तस्करों एवं अवांछनीय तत्वों से रहा है, एक दो राजनैतिक नेताओं की कृपा से विशेष धंधा चलाते हैं, कुमायूं और फजाबाद मण्डलों के गम्भीर मामलों में सतर्कता विभाग में जांच चल रही है तथा विवेचना अधिकारी कुमायूं मण्डल द्वारा चार्जशीट दी गयी है, कानपुर के अपने कार्यालय में सही कर्मचारियों को आतंकित और अपमानित करते हैं, अपने चहेते लोगों को धन कमवाकर स्वयं भी लाभान्वित होते हैं। उनके व्यवहार से कर्मचारियों में असंतोष है और कार्यालय में वाद-विवाद होता है। बाजार में छापा मारने के बाद गम्भीर मामलों को उन्होंने दबवा दिया।

आरोपों की जांच करायी गयी किन्तु विशिष्ट आरोपों एव किसी प्रमाण के अभाव में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। कुमायूं मण्डल के कतिपय--कार्य-कलापों के सम्बन्ध में उक्त अधिकारी को आरोप-पत्र दिया गया है।

क्षेत्रीय हाट अधिकारी, कुमायूं मण्डल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जांच आख्या

37--श्री हरिवंश सहाय--

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1976-77 में क्षेत्रीय हाट अधिकारी, कुमायूं मण्डल के भ्रष्टाचार की जांच फूड सेल्स ने कर शासन को चार्जशीट दी है? यदि हां, तो चार्जशीट में क्या है तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री वासुदेव सिंह--

कुमायूं मण्डल, हल्द्वानी में वर्ष 1976-77 में तैनात क्षेत्रीय हाट अधिकारी के विरुद्ध खाद्य विभाग के पुलिस सेल ने जांच कर, जांच आख्या शासन को प्रस्तुत की थी। इस जांच आख्या के आधार पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही करने हेतु पुलिस सेल से आरोप-पत्र का आलेख्य तैयार कराया गया। पुलिस सेल से आरोप-पत्र प्राप्त होने पर उसमें आवश्यक संशोधन/परिवर्धन कर उसे जांच अधिकारी को सम्बन्धित अधिकारी पर तामील करके अग्रिम कार्यवाही करने के आदेश के साथ भेज दिया गया है।

आरोप पत्र में सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कतिपय चावल मिलों के लाइसेन्स को जल्दबाजी में निलम्बित कराने और बाद में जूठा बहाना लेकर लाइसेन्स की बहाली की अनुचित व असंगत संस्तुति देने, मिल को परेशान कर अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके विरुद्ध भ्रामक रिपोर्ट देने एवं बिना सही स्थिति के ज्ञान के लाइसेंस की बहाली की अनुचित संस्तुति करने, एक दाल मिल के लाइसेंस के विरुद्ध भ्रामक रिपोर्ट प्रस्तुत करने, वर्ष 1976 में खरीफ खाद्यान्न खरीद योजना से सबंधित शासनादेशों, व उत्तर प्रदेश चावल और धान (उद्ग्रहण, व्यापार विनियमन और संचलन नियंत्र) आदेश, 1976 के प्राविधानों में निहित निर्देशों का उल्लंघन कर कतिपय मिलों को अनुचित लाभ व सरकार को हानि पहुंचाने के लिये एक श्रेणी के चावल के स्थान पर दूसरी श्रेणी के चावल की खरीद की अनुचित संस्तुति करने और आज्ञा देने तथा लेवी आदेश के प्राविधानों और पूर्ववर्ती आंकड़ों को बिना देखे चावल की रिकवरी की अनुचित संस्तुति करने के आरोप हैं ।

नगरपालिका, मथुरा के स्टोरकीपर श्री विष्णुदत्त शर्मा के विरुद्ध गबन का कथित आरोप एवं निलम्बन

38—श्री चन्दन सिंह— -

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका, मथुरा के एक लिपिक श्री विष्णुदत्त शर्मा के विरुद्ध कोई गबन आरोप सिद्ध हुआ था ? यदि हां, तो उसकी धनराशि कितनी थी ? उसमें से कितनी धनराशि जमा करायी गयी तथा कितनी धनराशि शेष रही? वह इस संबंध में कितने दिन निलंबित रहे और किस शर्त पर उन्हें बहाल किया गया तथा मेरी शिकायत दिनांक 15-10-80 के संबंध में निर्देशक स्थानीय निकाय को जो भेजी गयी उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विष्णुदत्त शर्मा, तत्कालीन स्टोर कीपर, जलकल विभाग, नगरपालिका मथुरा, एक अन्य मामले में दिनांक 18-1-74 से 11-2-75 (25 दिन) तक निलम्बित रहे तथा तत्कालीन पालिका अध्यक्ष के आदेशानुसार, उनके विरुद्ध जांच जारी रखते हुए, उन्हें सेवा में बहाल किया गया ।

निदेशक, स्थानीय निकाय को सम्बोधित माननीय विधायक (प्रश्नकर्त्ता) के कथित शिकायती-पत्र दिनांक 15-10-80 पर, निदेशक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा से जांच करके आख्या मांगी गयी है ।

तहसील डुमरियागंज, जनपद बस्ती में सीमेन्ट का आवंटन

39—श्री माता प्रसाद पाण्डेय तथा मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील डुमरियागंज, जनपद बस्ती में मई, 1980 से जनवरी, 1981 तक कुल कितनी सीमेन्ट प्राप्त हुई तथा कितनी-कितनी सीमेन्ट तहसील के विकास खण्डों में जनता को आवंटित कर परमिट जारी किये गये ? क्या यह सत्य है कि परमिटें जारी करने में अनियमितता बरती गई ?

श्री वासुदेव सिंह—

तहसील डुमरियागंज, जनपद बस्ती में प्रश्नगत अवधि में 27,475 बोरी सीमेन्ट प्राप्त हुई जिसमें 1,243 बोरी सीमेन्ट विकास व उद्योग तथा सरकारी कार्य हेतु

वितरित की गई एवं शेष 26,232 बोरी सीमेन्ट जनता में वितरित की गई। तहसीलवार वितरण निम्न प्रकार है :

(मात्रा बोरी में)

क्रम-संख्या	ब्लाक का नाम	कुल मात्रा	सरकारी कार्य आदि हेतु वितरण	जनता में वितरण
1	डुमरियागंज ..	10,248	939	9,309
2	रामनगर	4,346	73	4,276
3	मनवापुर	4,857	85	4,772
4	खुनियांव ..	4,754	65	4,689
5	इटवा	3,267	81	3,186
	योग ..	27,475	1,243	26,232

परमिटों के जारी करने में कोई अनियमितता नहीं बरती गई। सरकारी भवनों की मरम्मत व बिजली तूफान से क्षतिग्रस्त मकानों तथा सैनिक परिवारों को सीमेन्ट के परमिट जारी करने में वरीयता बरती गई।

40—श्री भीखालाल—

[9वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

पर्वतीय जनपदों में डाक्टर विहीन एलोपैथिक व आयुर्वेदिक चिकित्सालय

41—श्री बल्देव सिंह आर्य—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 8 पर्वतीय जनपदों में 31-1-81 को कितने एलोपैथिक व आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में डाक्टर नहीं हैं? क्या जिन चिकित्सालयों में डाक्टर नहीं हैं, उनकी जिलेवार सूची देने की कृपा करेंगे और यह बतलाने का भी कष्ट करेंगे कि खाली चिकित्सालयों में डाक्टर भेजने की व्यवस्था कब तक हो जावेगी?

श्री लोकपति—

दिनांक 31-1-1981 को 8 पर्वतीय जनपदों में 125 एलोपैथिक चिकित्सालयों में तथा 31 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में डाक्टर नहीं थे जिनकी जिलेवार सूची संलग्न† है। खाली चिकित्सालयों में डाक्टर भेजने हेतु यथासंभव शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

42—श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

43—श्री शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी—

[8वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न सं0 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

†छापी नहीं गई।

नगरमहापालिका, लखनऊ में फोरमैन के रिक्त पद

44--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल तथा श्री कुंवर सिंह नेगी---

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नगरमहापालिका, लखनऊ में कितने फोरमैन के पद हैं, इनमें से कितने पदों पर फोरमैन कार्यरत हैं, कितने फोरमैन के पद ऐसे हैं जिन पर अन्य लोग कार्यरत हैं तथा कूड़ा हटाने वाले अनुभाग (रबिश रिमूवल विभाग) में रिक्त पड़े फोरमैन के पद पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

नगरमहापालिका, लखनऊ में फोरमैन के तीन पद हैं जिनमें से एक ही फोरमैन दो पदों का फिलहाल कार्य देख रहा है । इनको कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जा रहा है तथा तीसरे पद पर उसके पदाधिकारी के स्थानान्तरण के कारण उत्पन्न स्थिति में एक वरिष्ठ मैकेनिक अस्थाई रूप से कार्य देख रहा है इसको वेतन मैकेनिक का ही दिया जा रहा है । एक पद नियमित रूप से भरने की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र कर दी जायगी ।

इलाहाबाद जिले के ग्राम किरांव, जाम्हा, करनाइपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की शाखाओं की स्थापना की मांग

45---श्री राधेश्याम पटेल---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की शाखायें स्थापित करने की सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार जनपद इलाहाबाद के विकास खंड बरिया में स्थित किरांव, जाम्हा, करनाइपुर व महूली ग्रामों में शाखायें खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति---

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की शाखायें स्थापित करने की अभी शासन की कोई नीति नहीं है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर में वाटर वर्क्स के पीछे बिल्लोचपुरा रोड पर पाइप लाइन डालने का कार्य

46---श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी---

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में वाटर वर्क्स के पीछे बिल्लोचपुरा रोड पर जो पाइप लगभग दो वर्ष से डाला जा रहा है यह कार्य कब तक समाप्त होगा एवं इस कार्य में इतना विलम्ब का क्या कारण है ? इस कार्य की निर्धारित अवधि क्या थी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल---

लखनऊ जल-कल के पीछे बिल्लोचपुरा रोड पर सीवर लाइन बिछाने का कार्य नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा प्रारम्भ करवाया गया था । पाईपों की आपूर्ति में कठिनाई तथा अन्य कठिनाइयों के कारण कार्य की प्रगति में बाधा पड़ी । सीवर योजनाओं हेतु धन की कमी के कारण उक्त कार्य रोक दिया गया है ।

लखनऊ नगर में जल निगम द्वारा नलकूपों का निर्माण

47--श्री मोहम्मद रफी सिद्दीकी---

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष लखनऊ नगर में जल निगम द्वारा कितने ट्यूबवेलों का निर्माण कराया गया और उनमें से कितने ट्यूबवेल ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं ? इस प्रकार त्रुटिपूर्ण निर्माण के लिये कौन जिम्मेदार है एवं उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? ग्रीष्म ऋतु में जल की समस्या के निराकरण हेतु क्या आगामी कदम उठाये गये हैं ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा लखनऊ नगर में साठ नलकूपों का निर्माण किया गया जिसमें तीन नलकूप नगर की पेयजल योजना के अन्तर्गत बनाये गये हैं:—

1—कृष्णा नगर नं0—1

2—कृष्णा नगर नं0—2

3—आलमबाग ।

जो अभी क्रियान्वित नहीं हुए हैं । इन पर पंपिंग प्लान्ट अधिष्ठापित करके एवं विद्युत संयोजन प्राप्त करके मई, 81 तक चालू करने का लक्ष्य है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त जल निगम द्वारा लखनऊ नगर में निम्न नलकूपों का निर्माण अन्य विभागों के लिये पिछले वर्ष कराया गया है:—

1—एम0 ई0 एस0 नलकूप नं0—1

2—एम0 ई0 एस0 नलकूप नं0 2

3—एम0 ई0 एस0 नलकूप नं0—3

4—सार्वजनिक निर्माण विभाग कालोनी बंगला बाजार ।

5—बोटेनिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट ।

इन नलकूपों को अभी क्रियान्वित नहीं किया गया है ।

इन सभी नलकूपों के क्रियान्वित होने पर पेयजल की समस्या का निराकरण होगा ।

48—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

[8वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न सं0 33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहम्मदाबाद—गोहना, आजमगढ़ में अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री राम चरन राम का अनशन

49—श्री पंचानन—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 79 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहम्मदाबाद—गोहना, आजमगढ़ के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं के विरुद्ध स्थानीय नागरिक श्री राम चरन राम द्वारा अनशन किया गया था तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के आश्वासन पर उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया था ? यदि हां, तो उनकी प्रमुख मांगें क्या थीं और उनके संबंध में 22 जनवरी, 81 तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोकपति—

जी हां । अनशनकर्त्ता श्री राम चरन राम की प्रमुख मांगों की एक सूची संलग्न है । मांगों की जांच की जा रही है ।

(देखिय नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 516 पर)

मिर्जापुर जिले के कोल एजेन्टों को कोयले का कथित आवंटन

50—श्री मित्रसेन—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, 80 से जून, 80 तक मिर्जापुर के कोल एजेन्टों ने कितना-कितना कोयला उठाया था और उसका वितरण कहां-कहां किया ? कोयला वितरण हेतु राज्य की नीति क्या है ?

श्री वासुदेव सिंह—

जनवरी, 1980 से जून, 1980 की अवधि में मिर्जापुर जनपद को आवंटित कोयले के मासिक कोटे में से किसी भी कोल एजेन्ट को कोयला आवंटित नहीं किया

गया है, केवल ईंट भट्ठा लाइसेंसियों को ही कोयला आवंटित किया गया है। अतः कोल एजेन्टों द्वारा प्रश्नगत अवधि में आवंटित कोयले के उठाने तथा वितरण का प्रश्न ही नहीं उठता। कोल एजेन्टों द्वारा निम्न श्रेणी के नान-कुकिंग कोयले के फ्री-सेल की भारत सरकार की नीति के अन्तर्गत प्रश्नगत अवधि में विभिन्न कोयला खदानों से उठाये गये कोयले के सम्बन्ध में शासन को पूर्ण जानकारी नहीं है क्योंकि इस प्रकार के कोयले की कोयला खदानों से बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा भी निर्गत किये गये कोयले के सम्बन्ध में कोई सूचना राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं करायी जाती है।

कोयला वितरण हेतु राज्य की वर्तमान नीति के अनुसार जनपद को आवंटित कोयले का वितरण कोल एजेन्टों अथवा भट्ठा लाईसेंसियों/कोल डिपो होल्डर (यदि वे स्वयं कोयला आयात करना चाहते हैं तो) के मध्य कर दिया जाता है। कोल एजेन्टों द्वारा उनको आवंटित कोयले के कोटे का कोयला खदानों से आयात कर सम्बन्धित जनपद के विभिन्न लाईसेन्स प्राप्त भट्ठा मालिकों/कोल डिपो होल्डरों के मध्य वितरित किया जाता है।

बहराइच जिले के विकास खण्ड मिहीपुरवा के अन्तर्गत सरजू लिंक चैनेल के निर्माणाधीन साइफन का पानी किसानों के खेतों में डाल देने से फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत आज 14 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिनमें से 5 स्वीकृत की गयी हैं।

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

श्री जटाशंकर सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आदरणीय, सदन एवं सरकार के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि जनपद बहराइच तहसील नानपारा, विकास खण्ड, मिहीपुरवा के अन्तर्गत सरजू लिंक चैनेल के 150 किलोमीटर पर निर्माणाधीन साइफन का पानी ड्रेन बनाकर निकटवर्ती नाले में फेंकने के बजाय सीधे किसानों के खेतों में डाल दिया जा रहा है। इसका विरोध संबंधित ग्राम चफरिया के किसान, 1980 से प्रार्थना-पत्र एवं स्वयं मिल कर स्थानीय अधिकारियों एवं जिला प्रशासन से करते रहे हैं। परन्तु आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। परिणाम स्वरूप 200 एकड़ से भी अधिक फसल जलप्लावित हो गयी है और किसानों की लगी हुई गेहूं की फसल पूर्णरूपेण से सड़ कर नष्ट हो गयी है।

मान्यवर, सर्वाधिक चिन्ता की बात यह है कि उक्त साइफन का पानी अब भी पूर्ववत् खेतों में ही डाला जा रहा है जिसके कारण और अधिक खेतों में फैलने की संभावना है। यदि यह स्थिति रोकी न गयी तो किसान आगामी धान की फसल भी न बो सकेंगे। इससे चफरिया एवं आसपास की ग्रामीण जनता में घोर रोष एवं उत्तेजना व्याप्त है और सम्बन्धित नगर अधिकारी बराबर उनके साथ दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है।

अस्तु, शासन से मेरी मांग है कि पानी का खेतों में डालना तत्काल रोका जाय तथा किसानों की क्षतिपूर्ति मुआवजा दे कर की जाय एवं इस प्रकार की उपेक्षा एवं अनियमितता बरतने वाले दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाय।

मुजफ्फरनगर जनपद में यमुना की धारा बदलने से कतिपय ग्रामों की फसल हरियाणा की पुलिस द्वारा काटे जाने की आशंका के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री वीरेन्द्र सिंह---

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन एवं सरकार के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न लाना चाहता हूं। जनपद मुजफ्फरनगर में मेरे चुनाव क्षेत्र कांधला के तीन गांव हरसापुर टीनल डुन्डू खेड़ा एवं गढ़ी राम कोर यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर पड़ते हैं। यमुना नदी द्वारा बार बार धारा का प्रवाह बदलने के कारण इन तीनों गांवों की भूमि प्रभावित होती चली आ रही है। उक्त गांवों के कृषकों द्वारा सैकड़ों एकड़ भूमि में मसूर व गेहूं की फसल बो हुई है जिस में मसूर की फसल पक कर तैयार हो चुकी है। गत सप्ताह से हरियाणा की पुलिस कुछ व्यक्तियों को लेकर उक्त ग्रामीणों द्वारा बोयी गयी एवं परवरिश की हुई फसल को जबरदस्ती काटने की धमकी दे रही है। चूंकि इससे पूर्व भी हरियाणा पुलिस जबरदस्ती एवं अनियमित रूप से इन लोगों की कटी कटाई फसल को उठाने में फल हो गयी थी। इसी कारण इस वर्ष भी पूर्ण आशंका इस बात की बन गयी है कि किसी समय में फसल को उनके द्वारा कटवा लिया जायेगा।

दो दिनों से इसी आशय की पूर्ति के लिये हरियाणा पुलिस हथियारों से लैस होकर ग्रामीणों को डरा धमका रही है। यदि प्रदेश सरकार के स्तर से तुरन्त प्रभावित कदम नहीं उठाये गये तो तीनों ग्रामों के कृषक लाखों रुपयों की फसल से वंचित रह जायेंगे।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि तुरन्त जिला प्रशासन को निर्देशित करें और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिये अतिरिक्त पुलिस की व्यवस्था करें। जिससे कि उनको फसल से वंचित न किया जा सके।

देवरिया जिले के तरयासुजान थाने की पुलिस द्वारा कतिपय व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिवंश सहाय---

माननीय अध्यक्ष जी, देवरिया जिले की तरयासुजान थाने में तीन व्यक्तियों की निर्मम हत्या करने के सम्बन्ध में मैं यह सूचना दे रहा हूं कि जिला देवरिया, थाना तरयासुजान के अन्तर्गत दिनांक 18/19 मार्च, 1981 की रात में तीन व्यक्तियों, सर्वश्री बाबू नन्दन कोइरी, बद्री कोइरी तथा गोरखलाल को थानाध्यक्ष, तरया सुजान ने गोली मार दिया जिससे तीनों की मृत्यु हो गयी।

इस सम्बन्ध में यह बताना है कि ग्राम माधोपुर के मृतक बाबू नन्दन कोइरी उम्र 17 साल के पिता रघुवीर कोइरी एवं मंगल राय के बीच खेत का मुकदमा बहुत अरसे से चल रहा था। ईख की फसल काटने का मामला मुन्सिफ मैजिस्ट्रेट, कसिया की अदालत में मंगल राय के विरुद्ध चल रहा है। दिनांक 18-3-81 को करीब 9 बजे दिन में झगड़े वाले खेत की फसल को लुटवाने हेतु मंगल राय एक गोल इकट्ठा कर पहुंच गये। खेत के पास श्री बाबू नन्दन कोइरी मौजूद था। इन लोगों ने उसे पकड़ने के लिये ललकारा लेकिन वह भाग कर ग्राम श्यामपट्टी में गोरखलाल के घर में छिप गया। इन लोगों ने गोरखलाल के घर को घेर लिया तथा घर में घुस कर बाबू नन्दन को पकड़ लिया। अब यह लोग गृह स्वामी गोरखलाल व बाबूनन्दन कोइरी को लेकर चले। रास्ते में बाबू नन्दन का रिश्तेदार बद्री भी मिल गया। इन लोगों ने तीनों सर्वश्री गोरखलाल, बाबू नन्दन व बद्री को लेकर एक कांग्रेसी के घर गये जहां पर पहले से ही थानाध्यक्ष तरयासुजान, नौरंग सिंह बैठे थे। वहां से जान मारने की स्वीकृति लेकर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

थानाध्यक्ष तीनों को थाना तरयासुजान लाया। करीब 1 बजे रात दिनांक 18/19 मार्च को ग्राम बड़िया बुजुर्ग में ले जाकर तीनों को गोली से मार कर निर्मम हत्या कर दी गयी।

इस हत्या काण्ड से ग्राम माधोपुर, माधोपुर बुजुर्ग व श्यामपट्टी तथा आस-पास के गांवों में होली नहीं मनाई गयी। लोगों में भय एवं आतंक का वातावरण उपस्थित हो गया है। ग्राम जनता में चर्चा है कि जमीन के झगड़े को लेकर तीनों व्यक्तियों को गोली मारी गयी है इस सम्बन्ध में दिनांक 9 अप्रैल, 1981 को ग्राम माधोपुर में सर्वदलीय सभा का आयोजन किया गया है।

अस्तु, आज माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मुख्य मंत्री से मांग करता हूं कि उक्त घटना की जांच सी0 आई0 डी0 से कराने का आदेश देने का कष्ट करें तथा दिनांक 9 अप्रैल, 1981 को किसी वरिष्ठ अधिकारी को सभा स्थान पर भेजने का कष्ट करें।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट गृह विज्ञान की प्रैक्टिकल परीक्षा, लिखित परीक्षा से पूर्व न कराये जाने से लड़कियों में असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन व सरकार का ध्यान एक अति आवश्यक एवं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा का संचालन दिनांक 26-3-81 से प्रारम्भ हो गया है। अनेक प्रायोगिक विषयों की भी परीक्षायें हो चुकी हैं।

जहां तक प्रदेश की उन लड़कियों की बात है जो गृह विज्ञान पढ़ती हैं, गृह विज्ञान की प्रेक्टिकल परीक्षा, लिखित परीक्षा के पूर्व नहीं ली गयी जिसके कारण इस विषय की पढ़ाई से सम्बन्धित लड़कियों में असन्तोष है तथा इसका उल्टा प्रभाव उनकी परीक्षा पर पड़ने वाला है। प्रति वर्ष लिखित परीक्षा के पूर्व गृह विज्ञान की प्रेक्टिकल परीक्षा हो जाया करती थी।

अब तक इस विषय की प्रेक्टिकल परीक्षा की कोई तिथि तय नहीं है। अब यही संभव है कि लिखित परीक्षा के बाद ही यह परीक्षा हो सकती है। इसके ही कारण परीक्षा परिणाम में विलम्ब होगा तथा इनके प्रवेश में (अगली कक्षा में) काफी विलम्ब के कारण पुनः अगली कक्षा में इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकृष्ट कर अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।

तहसील पीलीभीत के ग्राम खिरकिया में रेंज आफिसर, श्री ओंकार सिंह व फारेस्ट गार्ड, श्री होसला प्रसाद तिवारी द्वारा हरिजनों की झोपड़ियां जला देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी--

मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोकमहत्व की सुनिश्चित सूचना लाना चाहता हूं कि दिनांक 16 जनवरी, 1980 को ग्राम खिरकिया बरगदिया, तहसील परनपुर, जिला पीलीभीत में रेंज आफिसर, श्री ओंकार सिंह तथा फारेस्ट गार्ड, श्री होसला प्रसाद तिवारी ने 8 अन्य लोगों की मदद से 10 हरिजन परिवारों की झोपड़ियों को बड़ी ही निर्दयतापूर्वक आग लगाकर जला दिया जिसमें उनका सारा सामान जलकर राख

[डा० विनोद कुमार तिवारी—]

हो गया । इस काण्ड की सूचना जिलाधीश को दी गयी । पीड़ित 10 परिवारों को 1200 रुपये की कुल सहायता दी गयी । घटना को हुए लगभग ढाई महीना हो चुका है । सभी पीड़ित परिवारों के 37 सदस्य अपनी जिन्दगी के दिन खुले आकाश के नीचे व्यतीत कर रहे हैं और जिला प्रशासन मौन है । यही नहीं, रेंज आफिसर तथा अन्य सभी दोषी लोगों का कहना है कि हमारे विभाग के लोग हमारा साथ देंगे, तुम सब लोग हमारा क्या बिगाड़ लोगे । अगर ज्यादा लिखा पढ़ी करोगे तो दो चार को जान से मार देंगे । मान्यवर, ऐसी परिस्थितियों में इस घटना को लेकर क्षेत्र की जनता में काफी असुरक्षा, आतंक एवं रोष व्याप्त है ।

जहां एक तरफ हरिजनों की झोपड़ियों को इतनी बेरहमी के साथ जलाया गया है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है ।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्ब श्री ओंकार सिंह को निलम्बित कर 10 हरिजन परिवारों को बसाने की व्यवस्था करें तथा साथ ही साथ उनके जान-माल की रक्षा की व्यवस्था भी की जाय ।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (सातवां संशोधन) नियमावली, 1980†

श्रम राज्य मंत्री (श्री राम नारायण पाठक)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्रम अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 7145/एस टी-36-1-693 (एस०टी०)-79, दिनांक 30 दिसम्बर, 1980 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (सातवां संशोधन) नियमावली, 1980 को संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 की धारा 23 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

माननीय हरिवंश सहाय और श्री नन्द किशोर सिंह सदस्यगण, विधान सभा ने दिनांक 31 मार्च, 1981 को माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है जिसमें उनका कहना है कि 19 सितम्बर, 1980 को माननीय विधायक, श्री हरगोविन्द वर्मा ने नियम 301 के अन्तर्गत श्री सी० बी० झा, स्वत्वाधिकार प्रकाशक (लोकरत) निवासी चमनगंज, तीतरी बाजार, झांसी के साथ पुलिस द्वारा किये गये अभद्र व्यवहार तथा उनकी डकैती की रपट के फाड़ कर फेंक देने व उन्हें विपक्षी से मिल कर मकान खाली कराने के उद्देश्य से झूठे मुकदमें में फंसाये जाने की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था । माननीय सदस्यगण के कथनानुसार माननीय मुख्य मंत्री ने उक्त सूचना के संदर्भ में अपने दिनांक 18 अक्टूबर, 1980 के जवाब में तथ्यों पर पर्दा डालते हुए सदन को गुमराह करने की कोशिश की है ।

इसी विषय पर दिनांक 12 मार्च, 1981 को श्री खैरुल बशर, सदस्य विधान सभा ने माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी जिसे दिनांक 16 मार्च, 1981 को माननीय उपाध्यक्ष, विधान सभा ने सूचना में उल्लिखित संलग्नकों के न होने तथा विषय को विलम्ब से उठाय जाने के कारण विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में उठाने की अनुमति नहीं दी थी । कौल एवं शकधर की पुस्तक "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" (अंग्रेजी संस्करण) के पृष्ठ 258 और लोक सभा के अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णयों के संकलन (1967) के निर्णय संख्या 11 के अनुसार विशेषाधिकार का प्रश्न उठाते समय सदस्य को अपने कथन के

†छापी नहीं गयी ।

सन्दर्भ में समस्त आवश्यक साक्ष्य सदन के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिये और उन्हें अनुवर्ती तिथि में अग्रेतर साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती। इसलिये किसी ऐसे विषय पर विशेषाधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता जिस पर कि पहले निर्णय हो चुका हो यद्यपि सदस्य के पास अपने तर्क के सम्बन्ध में नयी सामग्री हो। साथ ही एक बार सदन में किसी विशेषाधिकार के प्रश्न पर निर्णय हो जाने के बाद उसी सत्र में समान या उससे मिलते जुलते प्रश्न या प्रश्नों को नहीं उठाया जा सकता। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि जान बूझ कर गुमराह करने का प्रयास किया गया है। अतः मैं इसे विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

राजस्व मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 24 मार्च, 1981 को माननीय राजस्व मंत्री के विरुद्ध एक विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी थी जिसमें उनका यह कहना है कि जनपद झांसी में ओला वृष्टि से खड़ी फसल नष्ट होने के संबध में वे नियम 301 के अन्तर्गत दिनांक 16 मार्च, 1981 को एक सूचना सदन के संज्ञान में लाये थे परन्तु दिनांक 24 मार्च, 1981 तक उन्हें उसका कोई उत्तर माननीय राजस्व मंत्री से प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार माननीय अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना हुई है।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की। माननीय राजस्व मंत्री जी ने अपने 1 अप्रैल, 1981 के पत्र में मुझे सूचित किया है कि उक्त सूचना का उत्तर माननीय राजस्व मंत्री ने अपने हस्ताक्षर से निर्धारित समय के भीतर अर्थात् दिनांक 19 मार्च, 1981 को श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री को भिजवाया था किन्तु दिनांक 20 से 22 मार्च, 1981 तक होली का अवकाश होने के कारण उक्त पत्र दिनांक 23 मार्च, 1981 को श्री अग्निहोत्री के निवास-स्थान पर दिया जा सका। माननीय राजस्व मंत्री ने अपने उत्तर में यह भी सूचित किया है कि चूंकि उस दिन माननीय सदस्य एवं अपने निवास-स्थान पर उपलब्ध नहीं थे। अतः किसी दूसरे व्यक्ति ने उनकी ओर से उक्त पत्र को प्राप्त कर लिया था। माननीय राजस्व मंत्री का यह भी कहना है कि श्री अग्निहोत्री ने लिखित रूप से भी यह स्वीकार किया है कि वांछित सूचना उन्हें दिनांक 24 मार्च, 1981 को प्राप्त हो गयी थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि माननीय राजस्व मंत्री ने नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी सूचना का उत्तर भिजवाने में मेरे आदेशों की कोई अवहेलना नहीं की है। अतः मैं इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

जिलाधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर निर्णय का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

एक प्रश्न विशेषाधिकार की अवहेलना का, मैंने कहा था, श्रीमती गौरी देवी का है। उस पर अपना निर्णय आज इसी सदन में थोड़ी देर बाद जब पुनः मैं आऊंगा, दे दूंगा।

(विपक्ष की ओर से श्री सूबेदार सिंह, यदुनाथ आदि के खड़े होने पर)

सूचना न देने जा रहा था अभी। आप बैठ जायें। विशेषाधिकार के बाद ही तो आप का अजन्डा आ जायगा।

विधान सभा सदस्य, श्री यदुनाथ द्वारा कांग्रेस (अर्स) की सदस्यता ग्रहण करने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष--

मुझे इस सदन को यह सूचना देनी है कि श्री यदुनाथ, सदस्य, जिला मिर्जापुर ने कांग्रेस (अर्स) की सदस्यता ग्रहण कर ली है और वे उस दल में सम्मिलित हो गये हैं।

सूबेदार जी, मैंने आपकी सूचना को सदन में बता दिया।

प्रक्रिया नियमावली के नियम 218 के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम लोगों की जो प्रक्रिया नियमावली है उसमें 218 का जो अंश है उसके तहत हमने एक सूचना मांगी थी, वह महीनों हो गये, नहीं मिली। मैं आपके सचिव के कक्ष में भी कई बार मिला, मैं आग्रह करता हूं कि उसके सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारित कर दें।

श्री अध्यक्ष--

जो आपने कहा था, बात हो गई है और संबंधित मंत्रियों को डी0 ओ0 भी भेज दिया गया है और अगर उसमें सूचना नहीं प्राप्त होगी तो उसकी व्यवस्था करेंगे।

सीलिंग तथा ग्राम सभा की भूमि पर भू-आवंटियों को "कब्जा दिलाओ अभियान" में विधायकों के योगदान के सम्बन्ध में वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

समाज के निर्बल वर्ग तथा भूमिहीनों को सीलिंग तथा ग्राम सभा भूमि का वास्तविक कब्जा दिलाये जाने का अभियान 17 जून, 1980 से चलाया जा रहा है। जनवरी के अन्त तक जिलाधिकारियों तथा मण्डलायुक्तों द्वारा स्वयं प्रदेश में 1284 गांवों की चेकिंग की गई है। अनियमितताओं के सम्बन्ध में 45 कर्मचारी दण्डित किये गये। दो तहसीलदारों को कड़ी चेतावनी दी गई, दो नायब तहसीलदारों तथा दो सुपरवाइजर कानूनगो को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई, एक सुपरवाइजर कानूनगो सेवा से निकाल दिया गया, चार कानूनगो प्रत्यावर्तित कर दिये गये और 5 कानूनगो तथा 14 लेखपाल निलंबित कर दिये गये।

2--तहसीलदारों से लेकर मण्डलायुक्तों तक के अधिकारियों की चरित्र पंजिकाओं के लिये जो परफारमेंस-शीट पहले से निर्धारित थी, वह बदल दी गई है और शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इन अधिकारियों की चरित्र पंजिकाओं में प्रविष्टि करते समय इस बात का खासतौर से उल्लेख किया जायेगा कि उनके द्वारा कितने गांवों में भू-आवंटियों को कब्जा दिलाने के सम्बन्ध में स्वयं जांच की गई।

3--मैंने कल अनुरोध किया था कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से माननीय विधायकगण सम्बद्ध रहें ताकि इस कार्यक्रम को और अच्छी तरह से कार्यान्वित किया जा सके। अब सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि आवंटियों के कब्जों की जांच के लिये परगनाधिकारी प्रत्येक माह के पहले शनिवार को अपने क्षेत्र के विधान सभा के माननीय सदस्य के परामर्श से निरीक्षण का कार्यक्रम बनायें ताकि जो निरीक्षण किया जाये उसमें विधायक महोदय की उपस्थिति का भी लाभ मिल सके। मुझे विश्वास है कि इस व्यवस्था से समाज के निर्बल वर्ग लाभान्वित होंगे।

4--मान्यवर, आपके माध्यम से समस्त माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस महत्वपूर्ण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इसमें एक स्पष्टीकरण पूछ लेने दें ।

श्री अध्यक्ष--

इस पर स्पष्टीकरण नहीं होता है ।

(मद संख्या 8 लेने पर)

श्री यदुनाथ --

इस वक्तव्य में कहा गया है कि विधायकों के परामर्श से निरीक्षण का कार्यक्रम बनायें, विधायक आगे बैठेंगे, पीछे बैठेंगे या पैदल चलेंगे . . .

श्री अध्यक्ष--

माननीय विधायक सतर्क होंगे तो आगे भी बैठेंगे, पीछे भी बैठेंगे, बीच में भी बैठेंगे । सतर्क नहीं होंगे तो कहीं नहीं बैठेंगे ।

संविधान विरोधी साहित्य प्रतिबन्धन विधेयक, 1981 †

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं संविधान विरोधी साहित्य प्रतिबन्धन विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संविधान विरोधी साहित्य प्रतिबन्धन विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संविधान विरोधी साहित्य प्रति- बन्धन विधेयक, 1981 को पुरःस्थापित करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ।

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत कार्य स्थगन की दस सूचनायें प्राप्त हुई ।

1--माननीय सर्वश्री मोहन सिंह, राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राजन्द्र अग्निहोत्री की सूचना विगत 30-3-81 को देव दरबार इण्टर कालेज साण्डी, हरदोई के प्रधानाचार्य, श्री जे0पी0 यादव को न्यायालय के अन्दर कतिपय लोगों द्वारा हत्या किये जाने के संबंध में । इसकी सूचना पहले प्राप्त हो चुकी थी और नियम 51 में यह स्वीकृत है और 4 अप्रैल को वक्तव्य के लिये तिथि निर्धारित हो चुकी है । यह अस्वीकार किया गया ।

2--माननीय सर्वश्रीशंकर सिंह एवं दल गंजन सिंह की सूचना दिनांक 31-3-81 को जालौन जनपद के कालपी थाना के अन्तर्गत ग्राम गुलौली में पुलिस एवं डाकुओं में हुई मुठभेड़ में कई डाकुओं के मारे जाने एवं पुलिस जनों को घायल करने के उपरान्त फूलनदेवी एवं मान सिंह, दस्युओं द्वारा बच कर निकल जाने से जनता में व्याप्त भय के संबंध में । इस को अस्वीकार किया गया । इस के पहले भी इस पर चर्चा हो चुकी है ।

---

† दिनांक 2 अप्रैल, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

[श्री अध्यक्ष---]

3-- सर्वश्री प्रदीप कुमार यादव, मित्र सेन, राम धनी, राम करन यादव, मसखर जाफ री, हरिवंश सहाय एवं श्री नन्द किशोर सिंह, श्री मुहम्मद आजम खां एवं श्री माता प्रसाद पाण्डेय, सर्वश्री यदुनाथ सिंह, गोपी नाथ वर्मा, विजय सिंह राना, राम हर्ष राय, राम कृष्ण माहेश्वरी तथा अकबाल हुसैन, श्री सूबेदार सिंह, श्री जटाशंकर सिंह एवं श्री थम्मन सिंह, इन सभी की सूचना एक ही प्रकार की है-- छात्र अशांति और उपद्रवों के कारण 1 अप्रैल, 1981 से काशी विश्वविद्यालय एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल के लिए बन्द किये जाने विषयक में है।

4-- एक सूचना श्री जयदीप सिंह, श्री अम्बा प्रसाद वर्मा एवं श्री राम आसरे वर्मा की है-- पश्चिमी जिलों में इलाहाबाद खण्ड पीठ की स्थापना को लेकर बरेली तथा विभिन्न ज़िलों में हो रही हड़ताल के फलस्वरूप जनजीवन अस्त व्यस्त होने विषयक। इस विषय पर अल्प-सूचित प्रश्न तथा न्याय विभाग की मांगों के समय चर्चा हो चुकी है। यह अस्वीकार किया गया।

सभी कार्य-स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किये गये हैं।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

छात्र अशांति को ले लें, उस की ग्राह्यता के बारे में सुन लें .....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठ जायें। माननीय सदस्यों की जो सूचना आई है इसी विचार पर यह नियम 51 में भी है और नियम 51 पर विचार के वक्त सदन को बतायेंगे।

(व्यवधान)

आय-कर सीमा से नीचे के अभिभावकों के उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सभी छात्र एवं छात्राओं को शिक्षा शुल्क से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में संकल्प। [क्रमागत]

[समय 12 बज कर 45 मिनट]

श्रीअध्यक्ष--

माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री के संकल्प पर विवाद जारी था और उस पर श्री रियासत हुसैन बोल रहे थे, वह हैं नहीं। (कई सदस्यों के खड़े होने पर)... (व्यवधान) आप लोग कृपया बैठ जायें।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, राजेन्द्र अग्निहोत्री का संकल्प है कि इस सदन का निश्चित मत है कि सरकार उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सभी छात्र एवं छात्राओं को, जिनके अभिभावक आयकर देने की सीमा में नीचे हैं, शिक्षाशुल्क से मुक्त कर दें।

(इस समय 1 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री केशरी प्रसाद पीठासीन हुए।)

मान्यवर, जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ तो हमने नीति निर्धारण तत्वों के साथ-साथ एक वेल-फेयर स्टेट की भी कामना की ताकि देश का सर्वांगीण विकास हो और अधिक से अधिक जन मानस को सुविधा पहुंचाई जा सके। इसी दृष्टिकोण से स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य समाज से सम्बद्ध जितने विभाग हैं उनको कल्याणकारी दिशा देने के लिये कदम उठाये गये। जहां तक शिक्षा विभाग का सवाल है हमने प्राथमिक एजूकेशन मान लिया है कि उसमें हम निःशुल्क

दिनांक 1 अप्रैल, 1981 की कार्यवाही से।

शिक्षा देने का काम करेंगे। धीरे-धीरे यह मांग बढ़ती रही। समाज में गरीबी और बेरोजगारी भी बढ़ती रही इसलिये यह सोचा गया कि इस क्लास तक नि: शुल्क शिक्षा दी जाय और लड़कियों तथा महिलाओं से उच्चतर विद्यालयों तक कम से कम फीस ली जाय।

मान्यवर, 30 वर्ष हो गये हैं हम केवल प्राइमरी स्कूल तक नि: शुल्क शिक्षा देने का ही निर्णय कर पाये हैं। अब गरीबी की रेखा तक जीने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। वे बालक जो प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ रहे थे आज वे हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट तक चले गये हैं उनके सामने आगे की शिक्षा दीक्षा का सवाल है। उनके गार्जियन्स की क्षमता इतनी नहीं है कि वे आगे भी उसी तरह से उनको शिक्षा दिला सके। उनके पास पैसा नहीं है, कहां से फीस की व्यवस्था कर पायेंगे। आज यह प्रश्न है। मैं मांग करना चाहता हूं कि देश और प्रदेश में गरीबी और भुखमरी व्याप्त है, अगर आप बेरोजगारों को काम नहीं दे सकते हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते, संविधान में गारन्टी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम यह कानून तो बना ही सकते हैं कि इन्टरमीडिएट और हाई स्कूल तक मुफ्त शिक्षा व्यवस्था कर देंगे। यह बात आज से नहीं उठ रही है बल्कि 30 वर्षों से जब से देश आजाद हुआ था, तभी से निरन्तर इस प्रश्न पर विचार होता रहा है। इसलिये मान्यवर, हमारी मांग है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के सभी विद्यार्थियों की आप फीस माफी की घोषणा करें। माननीय अग्निहोत्री जी इस संकल्प को लाये हैं। अच्छा होता यदि यह प्रस्ताव सरकार की तरफ से स्वयं आता और हम लोग उसको पास करते। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहां पर मौजूद हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी भी हैं, वे कृपया इस पर ध्यान दें और विचार करें।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जब एक बालक प्राइमरी से एम0ए0 तक की शिक्षा प्राप्त करता है तो उस पर 20हजार रु0 औसत खर्चा होता है और जब वह मंत्री जी के कार्यालय के सामने उसके बाद पहुंचता है तो उसको "नो वैकेन्सी" का बोर्ड लटका दिखाई देता है। घूस और सिफारिश से नौकरी देने का काम यह शासन कर रहा है, डिग्री के आधार पर नौकरी देने का काम यह सरकार नहीं कर रही है। आज विद्यार्थी का गार्जियन यह सोचने के लिये मजबूर हो गया हैकि 15 वर्ष तक डिग्री हासिल करने के बजाय खूब लिखाई पिलाई करके दन्ड बैठक लगाकर, पहलवान बनकर 20 हजार की भैंस खरीद कर अगर लड़के को दिया होता तो डिग्री की अपेक्षा वह अधिक सुविधा से जीवन व्यतीत करता।

जो माननीय शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार ने डिग्री देकर समाज में बेकारों की संख्या बढ़ाई है उसके सम्बन्ध में अखबार में एक बात आई है कि एक एम0ए0 पास लड़का जो गोल्ड मैडेल पाये है वह उनको नीलाम कर रहा है। मैं चाहूंगा संसदीय कार्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, उनके पास धन भी है तो वह उस गोल्ड मैडेल को खरीद लें जो वह नीलाम कर रहा है, उसे सद्भावनापूर्वक संभाल लें और उसे खरीद कर अगर वह नौकरी नहीं दे सकते हैं जो उसके पास गोल्ड मैडेल हैं, 10,10 रु0 उसे मिल जायेंगे।तो आज यह स्थिति आ गयी है कि जो पैसा लगा कर डिग्रियां लेते हैं उनको नीलाम करना पड़ रहा है।

मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रदेश के गरीब लोग हैं, जो नंगे हैं।उनके बच्चों को अगर आप अगर हाई स्कूल और इण्टर तक मुफ्त शिक्षा नहीं दे सकते हैं तो आप वैलफयर स्टेट नहीं हो सकते हैं। जब इस सरकार को राज्यपाल महोदय ने शपथ दिलाई थी तो कहा था कि यह लोकप्रिय सरकार है। यदि आप लोकप्रिय सरकार हैं तो यह लोकप्रिय संकल्प आया है यदि आप लोकप्रिय सरकार है तो यस लोकप्रिय सकल्प आया है जो यहां पर रखा गया है कि आप इण्टरमीडिएट और हाई स्कूल की फीस जो गरीबी की रेखा क नीचे आते हैं, उनको मुफ्त शिक्षा दिलाने का काम करें। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे जो माननीय अग्निहोत्री जी ने रखा है कि "सरकार उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सभी छात्र एवं छात्राओं को, जिनके अभिभावक आयकर देने की सीमा से नीचे हैं, शिक्षा शुल्क से मुक्त कर दें। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण संकल्प पर बोलने के अवसर दिया। आज विषय यह है कि शिक्षा को मुफ्त किया जाय या शिक्षा पर शुल्क रखा जाय। मान्यवर, आज यह विचारणीय है। विषय बड़ा महत्वपूर्ण इस बात से बन जाता है कि जब देश में 71 की जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार देश के पैमाने पर 29 सैकड़ा और सुबे के पैमाने पर 21 सैकड़ा लोग शिक्षित थे, साक्षर थे, शिक्षित नहीं थे इसलिये कह रहा हूं क्योंकि साक्षर और शिक्षित में बहुत बड़ा फर्क है। शिक्षा कितनी आवश्यक है इसके लिये सरकार तर्क रखती है कि शिक्षा पर इतना पैसा कहां से खर्च करें, पर सरकार जेल पर खर्च करेगी, पुलिस पर खर्च करेगी और दूसरे विभागों पर खर्च करेगी लेकिन शिक्षा को मालूम होता है, वह लाभप्रद महकमा मानती नहीं है जब कि ठीक इसकी उल्टी बात है। शिक्षा ऐसा महकमा है जिसके दूरगामी लाभ होते हैं। इस सम्बन्ध में मैं चीन के एक बहुत बड़े सम्राट दार्शनिक कंफ्यूसियस का उदाहरण रखना चाहता हूं जो इस सरकार पर बहुत ठीक उतरता है और इनके लिये मार्गदर्शक हो सकता है। उन्होंने जेलों का निरीक्षण किया तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत गलत किया। जब मैं जेल पहुंचा तो वहां देखा कि जितने अशिक्षित थे, वही जेल में थे। हमारा विचार है कि जेल बनाने के बजाय लोगों को शिक्षित करना शुरू कर दें तो जेलों की जरूरत ही नहीं रहेगी और अच्छे नागरिक देश में बनेंगे। तो इस सरकार को इतने बड़े दार्शनिक से शिक्षा लेनी चाहिये, यह जिस पर पैसा लगाना अनावश्यक समझती है उसके दूरगामी प्रभाव होंगे।

मान्यवर, एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं यह सरकार सातवें से फीस लगाती है इस सम्बन्ध में हमारा सिर शर्म से तब झुक जाता है जब हम देखते हैं कि उ0 प्र0 हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है। 17 सैकड़ा आबादी हमारे देश की हमारे प्रदेश में बसती है और उसके 21 सैकड़ा लोग साक्षर हैं शायद ही कोई और सूबा हो जो हम से कम शिक्षित हो। तो साक्षरता सबसे कम हमारी है उस पर भी तुर्रा यह कि हम आगे हैं। पर हमसे तो बिहार अच्छा है वहां की सरकार ने 10वें दर्जे तक सब के लिये फीस माफ कर दी है और उत्तर प्रदेश सरकार सातवें दर्जे से भी फीस माफ नहीं कर रही है। और मान्यवर, यहां सदन में मेरे एक प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है कि सरकार को कक्षा 7 और 8 के लड़कों से फीस कितनी मिलती है, तो उसके उत्तर को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उसने बताया है कि इससे केवल 15-16 लाख रुपया प्राप्त होता है। तो यह 15-16 लाख रुपया इसलिये नहीं माफ किया जाता है कि यह पया कहां से आयेगा। सरकार जेल बना सकती है, पुलिस की संख्या निरन्तर बढ़ा रही है, ताकि अपराध रुके, लेकिन अपराधी किस कारण रुसे बढ़ रहे हैं, वह उसके मूल कारण पर ध्यान नहीं दे रही है। अपराधी वही हैं जो निरक्षर हैं। आप डकैतों को देखें, वह सारे के सारे निरक्षर हैं। सरकार का ध्यान उस ओर नहीं है, और पुलिस पर वह अन्धाधुन्ध खर्च कर रही है। क्योंकि शिक्षा का अभाव है, इसलिये हमारा सूबा गरीबी में सबसे उपर है। क्योंकि अज्ञान से गरीबी आती है। जैसा कि हमारे यहां कहा भी गया है "उद्योगोनास्तिदारिद्रम" शिक्षा हमारे यहां है ही कितनी, केवल 21 प्रतिशत लोग साक्षर हैं। उद्योग हम लगा नहीं सकते हैं और उसकी वजह से दरिद्रता का नाश नहीं हो रहा है।

दूसरा कारण है, हमारी गरीबी है हमारी दरिद्रता है। उसके लिये शिक्षा नहीं है और शिक्षा इसलिये नहीं है कि हम दरिद्र हैं। फीस नहीं दे सकते हैं। तो अशिक्षा से दरिद्रता है और दरिद्रता से अशिक्षा। यह कुचक्र देश में बराबर चल रहा है और इस बिना कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाये यह कुचक्र टूटने वाला नहीं है। मैं अग्निहोत्री जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि वह सरकार को जगाने के लिये यह संकल्प यहां ले आये हैं। फिर भी वह यह नहीं कहते हैं कि सम्पूर्ण शिक्षा मुक्त कर दी जाए। मेरी व्यक्तिगत राय है कि कोई भी अच्छी सरकार, जहां सत्तर प्रतिशत आदमी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, सबके लिए शिक्षा मुफ्त क्यों नहीं कर सकती है? तो वह इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम माध्यमिक शिक्षा

स्तर तक की शिक्षा ही उनके लिये फ्री कर दें जो इन्कम-टैक्स नहीं देते हैं। 8वीं तक अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिये, क्योंकि 14 साल से नीचे की आयु के लड़के कोई काम नहीं कर सकते हैं, जैसी कि हमारे संविधान में व्यवस्था है। वह काम कर नहीं सकता है और शिक्षा आप दे नहीं रहे हैं तो वह बेकार होकर खराब हो जायेगा।

शिक्षा मंत्री जी हमेशा साधनों के अभाव की बात कहते हैं, तो मैं उनका ध्यान काश्मीर और नागालैण्ड की ओर ले जाना चाहता हूं। यह दोनों ही प्रदेश आय के मामले में हमसे बहुत पीछे हैं, लेकिन उनकी भावना बहुत अच्छी है। इसीलिये काश्मीर और नागालैण्ड में एम० ए० तक की शिक्षा फ्री है। वह अत्यन्त गरीब हैं, लेकिन फिर भी इतनी उच्च शिक्षा तक को फ्री कर दिया है, इसलिये कर दिया है कि शिक्षा होने से वह सभ्य नागरिक बनेंगे और अच्छी प्रकार से रह सकेंगे तथा सब मिल कर प्रदेश की आय को आगे चलकर बढ़ा सकेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा, निरक्षर और दरिद्र सूबा है, सरकार यदि इस संकल्प को मान ले तो उसके मुंह पर लगी यह कालिख दूर हो सकती है कि वह अपने प्रदेश की गरीबी को दूर नहीं करना चाहती है। यह संकल्प तो सिर्फ यह कहता है कि जो इन्कम टैक्स देने वालों से नीचे के लोग हैं, उनके बच्चों को आप फ्री शिक्षा दें, उन्हें फीस मुक्त कर दें।

इस सरकार को यह बड़ा उत्तम अवसर मिला हुआ है, यह सरकार कक्षा 12 तक की ही शिक्षा फ्री करने का निर्णय कर ले तो बड़ा अच्छा होगा और उस पर जो यह आरोप लगता है कि वह विरोधपक्ष की कोई बात नहीं मानती है, दुराग्रही है, वह आरोप भी उस पर से दूर हो जाएगा। यह सरकार उनको शिक्षित नहीं होने देती। मैं एक बात और कह दूं। जहां पर सरकार ने शिक्षा मुक्त कर दी है वहां पर मानववाद है। कुरान शरीफ में दूसरों को इलम देना शवाब समझा गया है। इस्लाम में भी लिखा हुआ है कि वे सबको योग्य बनावें। बाइबिल में भी लिखा हुआ है कि "टु इम्पार्ट नौलेज टु अदर्स, इज ए ड्यूटी आफ ए परसन"। दूसरों को शिक्षित करना यह उनका कर्तव्य है। लेकिन यहां तो शंकराचार्य जी ने लिखा दिया है कि "स्त्री शूद्रो नाधीयताम्,, स्त्री और शूद्र को विद्या न दी जाय। तो उसके परिपालन में यह सरकार लगी हुयी है। यदि आप इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं तो कौन सी वजह है कि केवल 34 प्रतिशत लड़कियां ही पढ़ती हैं।

आप आंकड़ों को देख लें। सबसे पहले हमारी स्त्रियां ही पीड़ित हैं। उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है। आपने छठी क्लास तक लड़कों की फीस तो माफ की है लेकिन जब तक आप अनिवार्य शिक्षा नहीं करते हैं तब तक उसका कोई महत्व नहीं होता है। शिक्षा अगर मुफ्त हो जाये और स्त्रियों और शूद्रों को भी शिक्षा देने में आपकी रुचि हो तो निसंदेह प्रदेश का कल्याण हो सकता है। अनुसूचित जाति के बच्चों के बारे में यहां पर रिपोर्ट्स आती रहती हैं। आपने देखा होगा कि उनमें पढ़े लिखे बच्चों की संख्या बहुत ही कम है। तो मेरी प्रार्थना है कि आपका जो दुराग्रह है उसको समाप्त करके इस संकल्प को स्वीकार करें। शिक्षा के मामले में तो बिहार सरकार ही हमसे आगे पहुंच गयी है। संकल्प तो यह है कि सरकार उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सभी छात्र एवं छात्राओं को, शिक्षा शुल्क से मुक्त कर दे तो बहुत अच्छा हो।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बोलने की आज्ञा दी। यह विषय इतना महत्व-पूर्ण और डेलिकेट है जिस पर अपने विचार बहुत ही अपने आपको संतुलित करके और सोच

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रवीन कुमार शर्मा]

समझ कर ही प्रकट करूंगा क्योंकि 24 वर्षों से मैं शिक्षा जगत में ही कार्यरत हूं। मैंने स्वयं इस अवधि में शिक्षा जगत में यह अनुभव किया है कि हमारी जो शिक्षा नीति है, प्रदेश की ही नहीं, अपितु देश की भी, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है लेकिन जहां पर यह संकल्प माननीय अग्निहोत्री द्वारा रखा गया है उसका एक पहलू माननीय वर्मा जी ने भी रखा है और उसको सुनने के बाद एक दूसरा पहलू भी है जिसको सदन के समक्ष रखना बहुत ही आवश्यक कार्य हो गया।

माननीय वर्मा जी ने शंकराचार्य जी के कथन के कुछ उद्धृत भी दिए और कुछ रामायण के अंश भी उद्धृत किए। वहीं संस्कृत में यह भी है कि "माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठते"। ये हिदायतें हमारे देश के बड़े-बड़े नेताओं और संतों ने दी हैं।.....

दूसरी बात यह कि जो यह कहा गया कि काश्मीर में शिक्षा मुफ्त है और हमारे यहां फीस ली जा रही है। यह भी कहा गया कि महिलाओं के लिये शिक्षा वर्जित है। अगर माननीय वर्मा जी आंकड़े उठा कर देखें तो उनको पता चल जायेगा कि हमारे प्रदेश के अन्दर काफी महिला विद्यालय कार्यरत हैं और वे जम्मू काश्मीर में देख लें कि कितने वहां पर महिला विद्यालय हैं। इसी से पता चल जायेगा कि हमारी यह लोकप्रिय सरकार महिलाओं की शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक है।

जहां तक शिक्षा मुफ्त करने का प्रश्न है, लड़कियों की शिक्षा तो इन्टरमीडिएट स्तर तक मुफ्त है ही। उनसे कोई फीस नहीं ली जाती है। एक तरह से वह माफ है। महिलाओं के लिये अलग विद्यालयों के अलावा को-एजूकेशन, सहपाठ विद्यालय भी हमारे यहां हैं जहां लड़कों और लड़कियों को साथ साथ शिक्षा दी जाती है। इस तरह देखा जाये तो रामायण की जो चौपायी है "शूद्र, गंवार और पशु नारी" वाली वह यहां लागू नहीं होती।

मैं तो देहात में भी अपने क्षेत्र में गया हूं और मैंने वहां देखा है कि देहातों में भी अब मान्टेसरी स्कूल खुल गये हैं जहां पर 8, 12 या 15 रुपये तक माहवार फीस ली जाती है, बच्चों के लिये एक तरह की पोशाक होती है, और मैंने देखा है कि बच्चों के अभिभावक खुशी से वह फीस देते हैं तथा बच्चों की पोशाक आदि पर भी काफी व्यय करते हैं और उसके पीछे उनकी मंशा यही रहती है कि उनका बच्चा किसी तरह से अच्छी शिक्षा पाकर अच्छा नागरिक बने। अब शिक्षा ही क्या, अगर रोटी भी फ्री हो, हर चीज फ्री हो, तो मुझे उसमें परेशानी नहीं है, मगर प्रश्न यह है कि वह हो कैसे? अगर हम अपने एजूकेशन कोड को देखें तो शिक्षा शुल्क जो लिया जाता है वह तो बहुत कम होता है, जो अन्य शुल्क लिये जाते हैं जैसे खेल का शुल्क है, लाइब्रेरी शुल्क है, मैगजीन शुल्क है, यह शुल्क अलग लिये जाते हैं। ग्रामीणों में जब गार्जियन्स स्वेच्छा से 12-15 रुपये फीस मान्टेसरी स्कूलों में दे सकते हैं तो हमारे स्कूलों में जहां पर कि शिक्षा शुल्क बहुत ही कम है, उन्हें देने में कोई परेशानी किसी को नहीं होती है।

मान्यवर, शिक्षा मुफ्त भी दी जा सकती है, लेकिन मुफ्त कर देने से शिक्षा के स्तर में कैसे अन्तर आ सकता है? फिर शिक्षा अगर मुफ्त कर देते हैं तो उसमें सुधार की जो हम आये दिन बात करते हैं, वह कैसे कर पायेंगे? आखिर उस पर होने वाले खर्च को कहां से पूरा करेंगे? अगर टैक्स लगाते हैं तो भी नाराजगी हो जाती है और कहा जाता है कि सरकार तो कर लगाने वाली सरकार है, लोगों पर टैक्स बढ़ा रही है।

तो हमें एक बात बतला दीजिए, व्यवहारिक जगत पर आकर सैद्धांतिक और आदर्शवाद से हट जाइये। मैं आपके माध्यम से यह पूछता हूं कि क्या कोई चीज ऐसी व्यवहारिक है कि हम जिससे शिक्षा को बिलकुल निःशुल्क कर दें। आज गांव का आदमी भी 12 रुपया और 15 रुपया वाला जो स्कूल है, उसमें अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, क्योंकि गांवों में तो कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, वह मान्टेसरी में भेजना पसन्द कर रहा है। इसका कारण मैं यह कहूंगा कि आपने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, उसमें यह संशोधन कर लें कि फीस जो है, अगर बढ़ाई जाय, तो थोड़ी-बहुत बढ़ाई जाय, जिससे शिक्षा में सुधार हो सके और सभी लोग उसमें साझीदार हो सकें। बालक और गार्जियन भी साझी हों। इस प्रकार से हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकेंगे।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, मेरी जानकारी में साढ़े 7 लाख से भी ज्यादा लोग इन्कमटैक्स पेयी हैं। तो उनको तो आप लें, बाकी को ज्यादा संख्या है। उनमें से कितने परसेंट लोग हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट में पढ़े रहे हैं। ये कुल कितने बच्चे हो जायेंगे ?

श्री माता प्रसाद पांडेय--

शर्मा जी, गांव का आदमी अपने बच्चों को इसलिए मान्टेसरी में भेजता है, चूंकि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई बहुत खराब है। गांव का मजदूर भी अपना पेट काट-काट कर अपने बच्चों को मांटेसरी में भेजता है।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

माध्यमिक शिक्षा में छठीं क्लास तक हमारे यहां कोई फीस नहीं है। लड़कियों के लिये कोई फीस नहीं है। साढ़े 17 परसेंट फीस माफी का प्राविधान है। साथ ही साथ हरिजन अनुसूचित जाति ये सब मुक्त हैं। थोड़े से व्यक्ति हैं जिनसे फीस ली जाती। इसका न्याय सदन ही कर दे।

श्री जंग बहादुर--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी श्री अग्निहोत्री जी ने जो संकल्प रखा है, उस पर मैं अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं बहुत आभारी हूं जो आपने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मुझे समय दिया। अभी वर्मा जी ने कहा कि इस शासन की नीति यह है कि महिलाओं और हरिजनों को शिक्षा न मिले। इस प्रकार एक आरोप उन्होंने सरकार पर लगाया और उन्होंने एक श्लोक का हवाला भी दिया कि उनको हमेशा नेग्लेक्ट किया गया है। इस प्रकार की बात उन्होंने कही। मैं वर्मा जी को बताना चाहता हूं कि यदि स्त्री को शिक्षा न दी गयी होती, तो आज जो हमारे प्राचीन ग्रन्थ हैं, उनकी रचनाओं में महिलाओं का योगदान रहा है, गार्गी, मैत्री वगैरह ऐसी हुई हैं जिन्होंने वैदिक कालीन पुस्तकों की रचना में महान सहयोग दिया है। आज उन्होंने शूद्रों की उपेक्षा की बात कही है। आज हरिजनों की फीस तो माफ ही है।

अभी अनुदान यहां से गया हुआ था। हम लोगों ने लिस्ट तैयार करायी है, हरिजनों को पुस्तकों की सहायता दी जा रही है और साथ-साथ वजीफा भी दिया जा रहा है। श्री वर्मा ने काश्मीर का और आसाम का उदाहरण दिया कि शिक्षा ने प्रगति की है। इस प्रदेश में शिक्षा में जो प्रगति होनी चाहिये थी, नहीं हुई है।

मान्यवर, मैं अपने ही यहां की बात आपको बता रहा हूं। पहले जब कभी बाहर से कोई पत्र आता था या अंग्रेजी में कोई टेलीग्राम आता था तो गांव में पढ़ने वाला मिलता नहीं था और एक-एक दो-दो मील चलने के बाद चिट्ठी को पढ़वाना पड़ता था। 30 वर्ष के शासन

[श्री जंग बहादुर---]

के बाद अपने गांव में और अपने परिवार में देखता हूं तो शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसमें 3-4 पोस्ट ग्रेजुएट न हो। आज शिक्षा की दृष्टि से हमार प्रदेश में काफी तरक्की हुई है। इस प्रकार के आरोप लगाने और जहां तक यह प्रश्न है कि शिक्षा को नि:शुल्क होनी चाहिये, न्याय संगत नहीं है। मैं बताता हूं कि जो शिक्षा की प्राइवेट सस्थायें हैं, जिनके माध्यम से शिक्षा मिल रही है, शासन के पास इतने साधन नहीं हैं कि वह सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले सके। नि:शुल्क शिक्षा होने के बाद शासन के लिये कठिन हो जायगा कि शासन इसकी व्यवस्था कर सके। शासन के लिय अगर यह सुझाव दिया जाय कि कुछ वोकेशनल इन्स्टीट्यूट्स खोले जांय, जहां पर कि अपने पैरों पर खड़े होने की शिक्षा दी जाय। छोटे-मोटे उद्योग सीखने के बाद, जिनमें कर्जा मिलने की व्यवस्था है, लोग अपना उद्योग स्थापित कर सकें, तो उचित होगा।

जहां तक यह कहा गया कि शिक्षा न मिलने के कारण लोग अज्ञानी होते हैं, डाकू होते है तो शिक्षा से ज्ञान अर्जन करने में सहायता जरूर मिलती है, लेकिन अगर हम देखें कि हमारे कबीर, तुलसीदास और सूरदास ने किस यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली थी, तो ज्ञात होता है कि ज्ञान चिंतन मनन करने से प्राप्त होता है। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि अगर शिक्षा न दी जाय तो लोग अज्ञानी और डकैत होते ह। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संकल्प का विशेध करता हूं।

श्री सूबेदार सिंह---

मान्यवर, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि इतने आवश्यक विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, म उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जब देश आजाद हुआ वर्ष 1947 में, उसक पीछे शहीदों का जो बलिदान और जो त्याग था, उसके पीछे आशा थी इस देश के निर्माण के बारे में इच्छा थी। आज 34 वर्ष के बाद शिक्षा की जो दुर्गति है, उसको देखकर हमारा सर शर्म से नीचे हो जाता है।

उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। यदि हम देखें तो यह स्थान क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पर है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद। आबादी क हिसाब से देखें तो 18 प्रतिशत आबादी देश में सबसे ज्यादा और इसकी शिक्षा के आंकड़े देखें तो महिलाओं की शिक्षा 10 प्रतिशत है, पुरुषों की शिक्षा भी 31 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। स्थिति दयनीय है। अभी जो जनगणना हुई है उसके हिसाब से निरक्षरता की जो स्थिति थी उसमें 24 वां स्थान था, वह अब बढ़कर 25 वां हो गया है, गिरावट हुई है, जो अनइम्प्लायमेंट था, वह भी बढ़ा है। परकैपिटा इन्कम में सन् 1952 से कितना ह्रास हुआ है, इसका कोई उत्तर हमारे पास नहीं है। इसका सारा दायित्व सरकार पर है। शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था हमारे देश में सरकार नहीं कर पायी है।

मान्यवर, शिक्षा राज्यमंत्री को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा पर एक भाषण दिया और कम से कम उन्होंने उस दुर्गति को महसूस किया। मान्यवर, आज सवाल इस बात का नहीं है कि शिक्षा को किस प्रकार उपयोगी बनायें बल्कि सवाल है इस प्रदेश और देश में आप लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं कि नहीं ? आज जब 31 प्रतिशत से भी कम लोग साक्षर होंगें तो क्या सही अर्थ में वह अपने अधिकारों को समझ सकते हैं, संभवत नहीं। आज जब चुनाव होते हैं तो रुपयों के बल पर और चार चार आने में वोटों को खरीदा जाता है। जनता अपने वोटों की कीमत को नहीं समझती है। इसलिए मैं चुनौती ता हूं कि यदि शिक्षा की यही दशा रही तो लोकतंत्र जिन्दा नहीं रह सकता है। इसलिये यह एक षड़यंत्र है जो लोगों के खिलाफ चलाया जा रहा है और सही मायने में जनता को शिक्षा नहीं दी जा रही है और यह भीषण विस्फोट का रुप धारण करेगी।

आज बेकारी की समस्या को देखें जिससे अत्याचार बढ़ रहे हैं। आज एक फूलन देवी से आप परेशान हैं और यदि शिक्षा की यही दशा और व्यवस्था रही तो हजारों फूलन देवी तैयार हो जायेंगी। मान्यवर, अपराध बढ़ते रहे हैं, पर कैपिटा इनकम गिरती जा रही है। उद्योगों में विफलता होती जा रही है, कृषि में जो सफलता होनी चाहिये, वह नहीं हो रही है और इसतरह से प्रत्येक स्तर पर गिरावट आ रही है और यहां तक कि चरित्र में जो गिरावट है उसका कारण शिक्षा में समुचित व्यवस्था न होना है। मुझे उम्मीद थी कि श्री शर्मा जी प्राचार्य हैं तो वह कुछ नई बात करेंगे और संकल्प का समर्थन करेंगे लेकिन उन्होंने भी दो मुद्दों की ओर ध्यान नहीं दिया। मैं तो बताना चाहता हूं कि जिंदगी से भी ज्यादा शिक्षा का सवाल है, इसलिये शिक्षा को अनिवार्य भी और निशुल्क भी करना पड़ेगा। स्थिति तो यह है कि प्राइमरी शिक्षा की स्थिति अपनी जगह पर नहीं के बराबर है, स्कूलों के पास भवन और टीचर्स नहीं हैं। मान्यवर, इंडिया गवर्नमेन्ट ने जो सेन्सेज के आंकड़े दिये उनको देखा गया होगा तो हाथ दिल पर रखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि आखिर समाज को हम कहां ले जा रहे हैं और शिक्षा की व्यवस्था यदि आप अच्छी नहीं करेंगे तो देश और प्रदेश में लोकतंत्र नहीं चल सकता है। आप चाहते हैं कि शहीदों के स्वप्न पूरे न हों, देश के लोग गिरें और वह निरक्षर रहें, अज्ञान और मूर्ख रहें तो इससे देश और प्रदेश का विकास नहीं होगा इसलिये सरकार का दायित्व है एक-एक इंसान के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर, यदि ऐसा नहीं करती है तो उसको एक मिनट भी रहने का हक नहीं है। अंत में मैं एक शेर कह कर अपनी बात को समाप्त करता हूं।

"बरबाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है,
हर शाख पर उल्लू बैठे हैं अंजाम गुलिस्ता क्या होगा ?

इसके साथ ही मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे श्री अग्निहोत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करती हूं। मान्यवर, अभी हमारे पूर्ववक्ता श्री सूबेदार सिंह ने बड़ा अंधेरा दिखाया और कहा कि शिक्षा कहीं है ही नहीं, सरकार कोई इंतजाम नहीं कर रही है मैं उन्हें कुछ आगे ले जाना चाहती हूं और प्रकाश डालना चाहती हूं कि वास्तव में शिक्षा है कि नहीं हमने देश को आजाद कराया और आजाद कराने के बाद हमने संकल्प लिया कि इस देश में और प्रदेश में शिक्षा का प्रसार और प्रचार होगा। उसी रास्ते पर हम चले। हमने काम शुरू किये और वह सारे काम हमने शुरू किये जिससे इस देश में शिक्षा बढ़े। हमारे सम्मानित सीनियर सदस्य भाई राम स्वरूप वर्मा जी के मन में औरतों का बड़ा दर्द आया उन्होंने कह दिया औरतों की शिक्षा नहीं है। मैं कहना चाहती हूं आप सम्मान न दें तो स्त्री को अशिक्षित कह कर अपमानित न करें ऐसा न करें। आप देखें मान्यवर आज जहां भी कालेज या स्कूल हैं जब उनका परीक्षा फल घोषित होता है स्त्रियों का नाम लिस्ट में सर्वप्रथम होता है, स्त्रियों के बाद पुरुषों या लड़कों का नाम आता है। मान्यवर, अब उन्होंने कहा कि माध्यम शिक्षा तक सभी छात्र और छात्राओं को जिनके अभिभावक आयकर देने की सीमा के नीचे हों, शिक्षा शुल्क से मुक्त कर दें। इस लोकप्रिय सरकार ने आय कर की सीमा किस तरह की बनाई है जो 12 हजार तक आय कर लगता था उसकी सीमा बढ़ा दी और आय कर से बहुत से लोगों को छुटकारा दिलाया इसके लिये बधाई न देकर, शिक्षा शुल्क से मुक्त कर दें, मैं कहती हूं जो धन आय कर के रूप में देते थे वही धन अपने बच्चों को पढ़ाने में दे देंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती प्रेमवती तिवारी--]

मान्यवर, बच्चों के भविष्य के बारे में मैं कहना चाहती हूं आप देखें कोई अभिभावक अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिये धन का ध्यान रखता है। उनका प्रयास यह रहता है कि अच्छी शिक्षा मिले। अगर वह अपने संकल्प में अच्छी शिक्षा दिलाने की बात करते तो मैं उनके संकल्प का स्वागत करती, समर्थन करती। वह कहते कि निःशुल्क शिक्षा न होकर शिक्षा ऐसी हो कि अभिभावक दिन प्रति दिन अपने बच्चों को देखें, किस प्रकार से ध्यान दें जिससे शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे। शिक्षा में आमूल परिवर्तन करके शिक्षा देने की बात उन्होंने नहीं कही। वह कहते कि शिक्षा ऐसी हो कि पढ़ लिखकर निकलने पर बच्चों को नौकरी मिले, रोजगार मिले तब तो सरकार को कुछ सोचने का मौका मिलता। जैसा इधर के माननीय सदस्य श्री शर्मा जी ने बताया किस तरह से स्कूल बढ़ते जा रहे हैं गांव में आप देखें पिछले बजट में मंत्री ने बताया कि बड़ी दूर-दूर गांवों में स्कूल खुले हैं, ग्रामीण अंचलों में स्कूल खुल रहे हैं। पाण्डे जी आप सुनना नहीं चाहते हैं। मेरा आपके माध्यम से विपक्ष के सम्मानित सदस्य से निवेदन है कि सब कुछ करें लेकिन शिक्षा ऐसे महत्वपूर्ण विषय को निःशुल्क शिक्षा के संकल्प से इस प्रदेश और देश को शिक्षा के अंधकार में न डालें। शिक्षा पर भविष्य निर्भर करता है। मैं कहती हूं कि यहां जो माननीय सदस्य बैठे हैं, अगर ऐसा हो जाय कि सभी सदस्यों को निःशुल्क सेवा का अवसर दिया तो एक भी नहीं कहेंगे, कि मैं निःशुल्क सेवा करूंगा। बल्कि अगर आपने यह कहा होता कि हमारे खर्च में, दवाइयों की कीमत बढ़ रही है, तो उसमें कटौती की जाय तो उचित बात होती। आपने यह कहा होता कि हमारे भत्ते कम किये जायं, तो यह बात आपने नहीं कही।

श्री मोती लाल देहलवी--

आप प्रस्ताव लायें इस तरह का हम लोग समर्थन करेंगे।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मैं एक बात फिर निवेदन करूंगी कि अपने बच्चों के भविष्य के रूप में जो हम इस देश और प्रदेश का भविष्य निर्धारित करते हैं उसमें कहीं किसी प्रकार यह संकल्प कुठाराघात न करें जिससे इस देश और प्रदेश का भविष्य अंधकारमय हो और आइंदा आने वाली नस्लों को यह सोचने का अवसर मिले कि हमारे जो माननीय सदस्य थे उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे हमारा भविष्य नहीं बन सका। इन शब्दों के साथ मैं यह जो संकल्प है, इसका घोर विरोध करती हूं।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

अधिष्ठाता महोदय, सदन के सम्मानित सदस्य माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री जी ने जो यह संकल्प प्रस्तुत किया है, इसके समर्थन में मैं दो वाक्य कहना चाहता हूं। मान्यवर जीवन के सर्वांगीण विकास के लिये मनुष्य की शिक्षा होना अनिवार्य है, और शिक्षित होने के लिये यह तमाम सुविधायें होनी चाहिये जिससे मनुष्य को आसानी से शिक्षा मिल सके। मान्यवर, अभी थोड़ी देर पहले उस पक्ष के शर्मा जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि शिक्षा को निःशुल्क इसलिये नहीं होना चाहिये कि गांवों में भी स्थान स्थान पर कान्वेंट स्कूल, मांटेसरी स्कूल खोले जा रहे हैं और लोग बच्चों को पढ़ाने के लिये भेज रहे हैं। मैं शर्मा जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गांवों के जीवन का उन्हें अनुभव होगा। वहां का व्यक्ति मजबूर हो जाता है, आज आपकी व्यवस्था में प्राइमरी शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि व्यक्ति मजबूर होकर अपने बच्चों को कान-वेंट स्कूल, मांटेसरी स्कूल में भेजता है। मेरे गांव में मेरा हल चलाने वाला एक व्यक्ति था। एक दिन वह अपने बच्चे को मेरे पास लाया और कहा कि इसका इम्तहान ले लीजिये, यह प्राइमरी में पढ़ता है। वह बच्चा कुछ नहीं बता सका। तो उसने कहा कि मैं पांच दिन मजदूरी करूंगा और मजदूरी के पैसे से बच्चे को अच्छे स्कूल में भर्ती करूंगा। विवश होकर उसने मांटेसरी स्कूल में नाम लिखाया। तो इसका यह कारण नहीं है कि आदमी संपन्न है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इंटरमीडियेट की शिक्षा की 12- 14 रुपये फीस लगती है। तो अगर यह 12, 14 रुपये आप माफ कर देंगे तो आपको क्या कठिनाई होगी ? एक व्यवस्था आपने बनायी है कि 14 वर्ष तक, 8वीं कक्षा तक फीस माफ रहेगी। और अगर छात्र 10वीं कक्षा में पढ़ेगा तो फीस नहीं माफ रहेगी यह कैसी व्यवस्था है ?

आरक्षण के सबंध में मैं नहीं कहना चाहता हूं लेकिन अनुसूचित जाति के बच्चों की फीस माफ रहती है, 10 वें तक और जिसको माफ नहीं रहती है, उसको वजीफा दिया जाता है। बड़े पैमाने पर लड़कों की फीस माफ रहा करती है केवल थोड़े से लोग ऐसे हैं, जिनके बच्चों की फीस माफ नहीं रहती है। तो मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्यों से, उस पक्ष के लोगों से प्रार्थना करूंगा कि इन सताये हुये, निरीह लोगों के, जिनके बच्चे प्राइमरी स्कूल की शिक्षा के बाद दूर स्कूल नहीं जा पाते, उनके लिये घर की व्यवस्था होनी चाहिये, उनके लिये कपड़ों की व्यवस्था होनी चाहिये, उनकी किताबों की व्यवस्था होनी चाहिये। किताबें आप नहीं दे पाते हैं, कपड़े आप नहीं दे पाते हैं, घर आप नहीं दे सकते हैं तो क्या कारण है कि आप इनकी फीस नहीं माफ कर सकते हैं ? बहुत थोड़े से लोग हैं जिनकी फीस माफ होगी।

श्रीमन्, पेमेंट की बात आयी तो मैं कहना चाहता हूं कि फीस के माध्यम से अध्यापकों का पेमेन्ट नहीं हुआ करता है। यह केवल 1/10 या 1/12 परसेंट आता है। तो मान्यवर, 1/25 ही माफ करने में इस सरकार का क्या लगता है और फिर यह शिक्षा भी ऐसी है, जिससे भविष्य में विद्यार्थी को फायदा नहीं पहुंचता, रोजगार परख नहीं है। अगर रोजगार परख होती, तो आप फीस ले भी लेते तो कोई बात नहीं थी। यह गारंटी भी नहीं है कि आप उस शिक्षित व्यक्ति को कोई ढेर या सबेर रोजगार दे ही देंगे। और वह सर्टिफिकेट और डिग्री लिये हुए सालों इधर से उधर घूमता फिरता है। अगर आप के उस सर्टिफिकेट को पर चून की दुकान पर ले जाया जाए, तो वह भी उसका एक पैसा नहीं देगा। इसीलिये मैं कहता हूं कि आज पढ़े-लिखे लोग मजबूर हैं, गलत रास्ते पर जाने के लिये। इन चीजों को रोकने के लिये यह जरूरी है कि कल्याणकारी शिक्षा आप दें और ऐसी व्यवस्था बनाये कि प्रदेश का हर व्यक्ति शिक्षित हो सके इसलिये यह लाजिमी है कि सरकार इसके लिये शिक्षा निःशुल्क करे। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः संकल्प का समर्थन करता हूं।

*श्री राजकुमार राय--

मान्यवर, जो श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री जी ने संकल्प प्रस्तुत किया है, उस पर चर्चा करने का अवसर आपने मुझे भी दिया। इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। जो संकल्प माननीय सदस्य ने रखा है, उसमें उनकी भावना यही है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा निःशुल्क करदी जाए इण्टरमीडिएट एजुकेशन पर और इस संकल्प के पक्ष में मा0 सदस्य, श्री राम स्वरूप वर्मा जी ने भी अपने तर्क प्रस्तुत किये हैं। मान्यवर, यह तो वर्मा जी की पुरानी आदत है कि शूद्रों और स्त्रियों के प्रश्न को लेकर सदन में आलोचना करना। यह इनकी हीन-भावनाओं का सबूत है। वह इन्फीरियारिटी काम्प्लेक्स से पीड़ित हैं, जबकि वह इतने ऊंचे पदों पर रहे चुके हैं, पढ़े लिखे हैं। फिर भी अपनी पुरानी आदतों से मजबूर हैं। लेकिन मान्यवर, माननीय वर्मा जी जब संयुक्त दल की सरकार थी, उसमें यह एक सबसे ऊंचे पद पर विराजमान थे, वित्त विभाग इनके पास था, तब लोग जब इनसे कहा करते थे कि आप शूद्रों और स्त्रियों के लिए क्या कर रहे हैं और आप अपनी पत्रिका 'अर्जक समाचार' के बारे में क्या कर रहे हैं, तो उस समय आप इन चीजों से कतराते थे। उस समय श्री वर्मा जी को शूद्रों, पिछड़े वर्ग के लोगों और स्त्रियों का ख्याल नहीं आया और आज रोज एक नया संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज कुमार राय—[

मान्यवर, पी0 के0 शर्मा जी ने जो बातें सदन के समक्ष रक्खीं, बहुत सटीक थी और सही तरीके से प्रस्तुत की, उन्होंने कहा कि सारे जगत में सारी चीजें जिंदगी के प्रयोग में आने वाली निःशुल्क कर दी जाएं, तो क्या ऐसा सम्भव हो सकता है और इस पर कंट्रोल किस प्रकार होगा। यह आदर्श की बातें करना और बात है और व्यवहार में किसी बात का लाना और बात है। यदि संकल्पकर्ता या वर्मा जी या अन्य कोई विपक्ष के हमारे साथी इसका व्यवहारिक हल भी बता देते कि इसका क्रियान्वयन किस रुप में किया जाए। जैसा कि हमारे भाई पी0 के0 शर्मा जी ने कहा कि अगर शिक्षा निःशुल्क कर भी दी जाए तो बड़ी कठिनाईयां सामने आयेंगी, उनके रख-रखाव मे कौन जिम्मेदारी लेगा। क्या राम स्वरूप वर्मा तथा अग्निहोत्री जी खुले दिल से विचार करने को तैयार हैं और प्रदेश की जनता इस बात को स्वीकार करने को तैयार हैकि हम ऐसा हेवीटैक्सेशन कर सकें? एक तरफ हम टैक्सेज से घबड़ाते हैं। देश में हम सभी इस मनोवृत्ति के हैं कि टैक्सेज न देना पड़े। करों से हम कतराते हैं। लेकिन दुनिया केविकासशील देश अपनी आमदनी का निश्चित हिस्सा स्वेच्छा से केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार को देते हैं। लेकिन हमारे देश में जो कर न देने की मनोवृत्ति है, उसके कारण चाहे सरकार कितनी ही अच्छी हो, अगर आप शुल्क नहीं लेते हैं, तो आर्थिक स्थिति आड़े आयेगी। वर्मा जी यह संल्कप रखते कि शिक्षा रोजगारपूरक, वाणिज्यमुखी अथवा उद्योगोन्मुखी हो तो बात समझ में आती। लेकिन ऐसा करने के कारण मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। इस संकल्प को प्रस्तुत करके जिस घृणित मनोवृत्ति का परिचय दिया गया है वह स्वागत योग्य नहीं है। उनके हाथ में एस0 बी0 डी0, लोकदल तथा जनता सरकार थी। अगर वह ऐसी व्यवस्था चाहते थे तो उस समय ऐसा संकल्प ला सकते थे और वह पास भी हो जाता। लेकिन आज ऐसा प्रस्ताव लाकर और सदन का समय नष्ट करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है।

श्री खैरुल बशर—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, वह बहुत सराहनीय और जरूरी तथा सैधान्तिक है। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं दो एक बातों का जवाब देना चाहता हूं। हमारे एक माननीय सदस्य को इस बात का डर है कि शिक्षा फ्री कर दी जायगी तो शिक्षा का महत्व ही क्या रह जायगा? मैं उनके इस दृष्टिकोण के बारे में यह कहना चाहता हूं कि दुनियां में आज एक दर्जन से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां पर सेकेंडरी एजूकेशन फ्री है। दुनियां में सबसे पहला समाजवादी देश यू0 एस0 एस0 आर0 है जहां शिक्षा निःशुल्क है और वहां की जनसंख्या हमसे एक तिहाई कम है। लेकिन दुनियां में जितने ग्रेजुएट्स, डाक्टर, इंजीनियर्स वह पैदा करता है उतने कोई देश पैदा नहीं करता। इसलिये आपको यह ज्ञात होना चाहिये कि समाजवादी देशों में शिक्षा निःशुल्क है।

एक सदस्य ने कहा कि कबीरदास और सूरदास कहां शिक्षा पाये थे। तो मेरा कहना है सारे स्कूलों को तोड़ दीजिये, सारे देश को कबीरदास तथा सूरदास बन जाने दीजिये। शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी अनर्गल बात मेरी समझ में नहीं आती। कुछ बहनें हैं जो शिक्षा लिये हुए हैं उनको यह डर है कि शिक्षा अगर आम हो गयी तो उनको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। भारत अगर समाजवादी देश बनता है तो आपका कर्त्तव्य है कि यह आदमी का बेसिक अधिकार है कि उसे शिक्षा निःशुल्क दी जाय। इसलिये राजेन्द्र अग्निहोत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, वह बड़ा सराहनीय और जरूरी है और उसने इस प्रदेश के अन्दर कांग्रेसी बैचेंज को बेनकाब कर दिया है। वे शिक्षा विरोधी हैं, वह प्रदेश के अन्दर शिक्षा नहीं चाहते हैं इसलिये मुझे बड़ा आश्चर्य है, उनके इस व्यवहार से।

(समय 1 बज कर 45 मिनट)

श्री मुईद अहमद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो आपने श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसक लिये मैं आपका आभारी हूं। इस संकल्प से मुझे बड़ा दुख हुआ, इसलिये कि शिक्षा जगत में शिक्षा में सुधार की बात करते तो मैं इधर बैठकर भी उनकी तारीफ करता। शिक्षा में सुधार का संकल्प लाते, वर्तमान शिक्षा की जो व्यवस्था चल रही है, उसके उत्थान के लिये कोई बात करते तो मैं भी उसके उत्थान के लिये अपने कुछ सुझाव देता। मगर उन्होंने ऐसा कोई संकल्प न ला कर, एक ऐसा संकल्प लाये हैं जो कि देखने से तो ठीक है और यह जानते हुए कि सरकार की सीमा के बाहर की यह बात है, सरकार के क्षेत्र से बहुत दूर है कि सबकी फीस माफ हो जाय।

पूरे देश में इस समय 65 करोड़ जनता, अब जनगणना के बाद तो और भी जनसंख्या बढ़ी ही है, और जितने भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाल लोग हैं, उनकी फीस माफ कर दी जाय। देखने में तो यह संकल्प बहुत स्वागत करने योग्य लगता है यद्यपि यह इस बात को भलीभांति जानते थे कि व्यवहार में यह सम्भव नहीं है।

आज हमारी वर्तमान सरकार की शिक्षा की जो नीति है उसमें छठीं कक्षा तक सारे विद्यार्थियों की फीस माफ है और लड़कियों की हाई स्कूल तक की फीस माफ है। अभी विरोधी पक्ष ने भाषण दिया और स्वयं कहा कि हमारी प्राइमरी शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। लोग प्राइमरी स्कूलों के बजाय अपने बच्चों को कानवेन्ट में भेजना पसन्द करते हैं। प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा की फीस माफ कर रखी है इसके बावजूद भी लोग कानवेन्ट में भेजना पसन्द करते हैं। एक फैशन की मनोवृत्ति बन गयी है कि जहां पर थोड़ा फैशन से, जरा नक्शेबाजी के साथ रखा जाय लड़कों को, बच्चे यूनीफार्म में स्कूल में जायं और शिक्षा प्राप्त करने के लिये कृत्रिम इन्तजाम करा दिये जायं, तो लोग अपने बच्चों को वहां शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजना पसन्द करते हैं। जो हमारा किसान है, गरीब है और गांव का रहने वाला है, वे लोग भी अपने लड़कों को वहां भेज देंगे उसमें पढ़ने के लिये और प्राइमरी स्कूल में नहीं भेजेंगे।

सरकार ने छठे दर्जे तक फीस माफ कर रखी है तो क्या सारे के सारे लड़के पांचवीं कक्षा तक उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं? फीस माफ होने के बावजूद भी सब लड़के वहां पढ़ने नहीं जाते हैं। फीस माफ कर देने से शिक्षा में सुधार नहीं होगा। केवल फीस माफ करने की बात को लेकर आप देख सकते हैं कि छठीं कक्षा तक फीस माफ होने के बावजूद सारे वह लोग जो पढ़ सकते हैं, सब के सब नहीं पढ़ने जाते हैं। उसका नतीजा यह हुआ है कि हमने फीस माफ की है और हम उसकी व्यवस्था नहीं करा पाये हैं।

आज प्राइमरी स्कूल की शिक्षा की हालत सन्तोषजनक नहीं है। लड़के बाग में पढ़ रहे हैं। कहीं टूटी हुई बिल्डिंग्स में पढ़ रहे हैं। कहीं पर तीन-तीन क्लासेज एक अध्यापक से चल रहे हैं। तो यह अव्यवस्था है। फीस माफ करने से कोई कल्याण होने वाला नहीं है बल्कि मेरा अपना मत है कि फीस माफ करने से शिक्षा का स्टैण्डर्ड और गिर जायेगा और शिक्षा का स्टैण्डर्ड जब गिरेगा तो देश का चरित्र नहीं उभरेगा। देश का चरित्र उभारने के लिये आपको शिक्षा के स्टैण्डर्ड को ऊंचा करना होगा। आप बात बहुत सी करते हैं कि शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिये—मगर कोई यह नहीं बताता कि क्या परिवर्तन होना चाहिये, कोई स्पेसिफिक उदाहरण नहीं देते हैं। यह सही है कि जो प्रणाली चल रही है, जो व्यवस्था है उससे हमारे यहां के बच्चे उस तरह से प्रतिभाशाली नहीं हो पा रहे हैं, उससे उनके टेलेन्ट को नहीं बढ़ाया जा रहा है, उनके एप्टीट्यूट को नहीं देखा जा रहा है बल्कि सब धान 22 पसेरी, चलो सब लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ो, मिडिल, इण्टर, हाई स्कूल में पढ़ो, बी0 ए0 में पढ़ो। उनके माइण्ड्स को, एप्टीट्यूट, टेलेन्ट्स को देखना चाहिये था। टेक्नीकल शिक्षा देनी चाहिये थी। मैं समझता हूं कि फीस माफ कर देने से सब स्टैण्डर्ड गिरता ही चला जायेगा।

[श्री मुईद अहमद---]

दूसरी चीज, अभी पाण्डे जी ने कहा कि शिक्षा इम्प्लायमेन्ट ओरियेंटेड होनी चाहिये। जो लड़के पढ़ें उनको कहीं न कहीं रोजगार मिल जाये, कुछ न कुछ स्तर हो जाये। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जो उनके स्टैण्डर्ड को ऊंचा करती हो जिससे देश का, समाज का कल्याण हो। मैं पुनः इस संकल्प का विरोध करता हूं जो राजेन्द्र अग्निहोत्री जी ने दिया है।

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय अधिष्ठाता जी, तिवारी जी इसमें बड़ा आश्चर्य व्यक्त कर रही हैं, वैसे मैं इसमें नहीं बोलता लेकिन माननीय श्रीमती तिवारी जी ने कुछ बातें ऐसी कह दी हैं जिससे मुझे इस पर बोलने का बल मिला। मान्यवर, वह दिन अपने देश में बड़ा सौभाग्यशाली दिन होगा जब इस देश का एक-एक निवासी शिक्षित होगा, अशिक्षित कोई नहीं होगा। शिक्षा से इस देश की बहुत सी समस्याओं का निदान निहित है। यह देश जो विभिन्न समस्याओं से घिरा हुआ चल रहा है, शिक्षा से उनका निदान हो जायेगा। जो समस्यायें कानून से आज तक हल नहीं हो पायीं वे शिक्षित होने से हल होंगी। मसलन छुआ-छूत का मामला है। वह दिन देश के लिये बहुत अच्छा कहा जायेगा जब यहां के सवर्ण इतने शिक्षित हो जायेंगे कि वे स्वमेव यह अनुभव करेंगे कि छूआ-छूत अभिशाप है, गलत है। इसी तरह से हरिजन जब इतने शिक्षित हो जायेंगे कि यह समझेंगे कि जो दूसरी जाति के लोग हैं, सुपीरियारिटी भावना से ग्रसित हैं, वह बड़ी गलत चीज है, इस समाज के अन्दर तमाम लोग बराबर हैं, जब ऐसा देश होगा मान्यवर, वह सही माने में पूज्य महात्मा गांधी, नेता जी सुभाष, सरदार भगत सिंह की कल्पनाओं का देश कहलायेगा जिसके लिए उन्होंने त्याग किया, कुर्बानी की।

मान्यवर, क्या आपत्ति है शिक्षा को निःशुल्क करने में ? कहा जाता है कि अगर शिक्षा निःशुल्क होगी तो सरकर कैसे चलेगी, खर्च कहां से आयेगा। इस देश क अन्दर यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मजदूर, मेहनतकश का, कल-कारखानों में उसका शोषण होता है। दौलत, शोषण के जरिये से तिजोरी में बन्द होती है, शोषण करना निःशुल्क है। किसान अनाज पैदा करता है व्यापारियों और कई लोगों के द्वारा उसका शोषण होता है वह पूर्ण निःशुल्क है। जब यह सारी चीजें निःशुल्क हैं तो फिर आप इससे क्यों परेशान हैं कि अगर शिक्षा निःशुल्क हो जायेगी तो खर्च कैसे चलेगा, स्तर गिर जायेगा शिक्षा का ? मैं कहता हूं कि आप पहले पुराने स्तर को देखिए और आजकल के शिक्षा के स्तर को देखिए जिसमें शुल्क पड रहा है। शिक्षा का स्तर निरन्तर गिरता चला जा रहा है और आपने उसके कारणों पर ध्यान नहीं दिया। आपकी नजर नहीं है कि क्या कारण हैं तो मान्यवर, यह तर्क पूर्णतः निराधार है, मुझे ताज्जुब होता है, हंसी आती है कि तथाकथित समाजवादी लक्ष्य पर पहुंचने वाले कारवां का सिपाही अगर आज अपने मुंह से यह कहता है कि शिक्षा निःशुल्क नहीं होनी चाहिये इससे नुक्सान होगा, स्तर गिरेगा ? जो कुतर्क दिये जाते हैं मान्यवर, मेरी समझ में नहीं आता कि वह व्यक्ति किसी समाजवादी लक्ष्य तक पहुंचने वाले किसी कारवां का सिपाही हो सकता है ? नहीं हो सकता है, अपने आप को धोखे में न रखिये, यदि आप वास्तव में समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं तो फिर शिक्षा के मामले में आपको वह दृष्टि रखनी पड़ेगी कि इस देश का प्रत्येक नागरिक शिक्षित हो, अशिक्षा दूर हो। अभी माननीय तिवारी जी भावुकता में आ गई और कहा कि आप विधायक लोग निःशुल्क सेवा करने की बात कर सकते हैं इस सदन में। तभी मुझे कहना पड़ा था कि आप इस तरह का प्रस्ताव ले आयें, देखिये इस तरफ के लोग स्वागत करते हैं या नहीं करते हैं लेकिन जब आपको डनलप पिलों के गद्दे मिले तब आपको कोई आपत्ति नहीं हुई, तब आपके मन में यह बात नहीं आई कि जब निवाड़ के पलंग मिले हुए हैं तो क्या जरूरत थी डनलप पिलों के गद्दे देने की, तमाम फिजूल खर्चा हुआ इस पर। जब मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा कि इसकी क्या जरूरत थी तो उनका जवाब देखिये, कहने लगे अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप वापस कर

मेरे नैतिक स्तर का तकाजा था, मैंने उसको रखना अच्छा नहीं समझा। मैं चाहूंगा कि माननीया तिवारी जी आप कांग्रेसी लोग भी इसका स्वागत करें और डनलप के गद्दे वापस करें। जिस दिन निःशुल्क सेवा का प्रस्ताव आप ले आयेंगी तब इस माननीय सदन में बात साफ हो जायेगी इम्तेहान हो जायेगा, लेकिन मैं फिर आप से कहता हूं कि अगर आप शिक्षा के हामी हैं तो फिर आपको इस पर नजर रखना चाहिये कि इस देश का प्रत्येक नागरिक ऐसा प्रशिक्षित हो कि जिसको सही माने में शिक्षित कहा जाता है।

*श्री हर देव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप ने मुझे इस संकल्प पर बोलने के लिए अवसर दिया उसके लिये मैं आप का आभारी हूं।

माननीय सदस्य, राजेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा जो संकल्प का प्रश्न रखा गया है, उन्होंने बातें तो ऊंची सोची हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिये, उस ओर ध्यान नहीं दिया है। मैं आपके माध्यम से इस पर कहना चाहता हूं कि शिक्षा ऐसी चीज है जिसे निःशुल्क कर दिया जाय और जो पैसा उससे मिलता है, उस को विकास के कार्य में लगाया जा सकता है। एक समान अर्थ व्यवस्था क हर लोग नहीं हैं इसलिये जो उनका संकल्प है यह निराधार हो जाता है। शिक्षा में क्या गड़बड़ियां हैं उन को चाहिये था कि सुधार के बारे में ऊंची बातें रखे होते जिन पर विचार किया जाता। बात यह है कि शिक्षा के स्तर में ढीला इसलिये है कि नकल की प्रथा जो उस में है। उस में सुधार होना चाहिये। नकल की प्रथा यह है कि जितने अध्यापकों के लड़के हैं, ऊंचे तबके के लड़के हैं उन के नम्बर बढ़ा दिये जाते हैं इससे व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाती है।

माननीय सदस्य ने बेसिक एजूकेशन की चर्चा की है। बेसिक एजूकेशन के अध्यापक जो हैं एक तो उनका वेतन कम है, दूसरा उन को आवास की कोई सुविधा नहीं है, तीसरा उन को भत्ते नहीं मिलते हैं। एक अध्यापक जो 90 किलोमीटर दूर से आता हो उसे इस प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि शिक्षा का स्तर सुधारा जा सके जब तक बेसिक एजूकेशन प्रदेश का ठीक न हो उस प्रदेश या देश का नैतिक स्तर ऊंचा नहीं हो सकता है। मुझे यह कहावत याद आती है। जो पुरानी परम्परा चली आ रही है। कहा जाता है कि हाथ में छड़ी बगल में छाता, यह देखो अध्यापक आता। यह कहावत चरितार्थ हो जाती है। इस में सुधार किया जाय। मान्टेसरी स्कूल या और जो स्कूल हैं वहां पर प्राइमरी एजूकेशन से हर आदमी को निराशा इसलिये है कि प्रिंसिपल को अधिकार दिया गया है ऐडमीशन करने का। उनका जो अधिकार है उसको हटाया जाना चाहिये। जो मान्टेसरी, शिशु मंदिर और भी स्कूल हैं उन में ऐसा नियम हो कि प्राइमरी से पढ़ कर ही लड़का वहां जाय। दूसरी बात जो विभागीय पदोन्नतियां हैं उन्हीं से बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाये जाने चाहिये।

मैं चाहता हूं कि जो गरीब छात्र हैं उन को सुविधा दी जानी चाहिये, उनके लिए कपड़े की व्यवस्था, उन के साथ सहयोग की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल से इस संकल्प पर चर्चा हो रही है। बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके हैं। अभी और भी संकल्प हैं। पूर्वांचल के विकास का संकल्प है। मेरा अनुरोध है कि इस संकल्प को रखने वाले को बोलने के लिये कहा जाय, इस पर चर्चा समाप्त हो ताकि और भी संकल्प आ सकें।

श्री अधिष्ठाता--

विवादान्त प्रस्ताव लाया जाय तभी विवाद समाप्त किया जा सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रभु नारायण सिंह–

मान्यवर, मैं यह मूव करता हूं कि इस पर चर्चा बन्द की जाय।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि इस संकल्प पर विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री––

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं यह संकल्प बड़े विश्वास के साथ लाया था और मैंने दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो चर्चा की उससे मैं उनकी भावनाओं से अवगत हुआ कि प्रदेश के अन्दर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो। मान्यवर, मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि मैंने इस सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण किया था जैसे कि होटलों पर जो 13 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे काम करते हैं, इस आयु के बच्चे और युवक जो रिक्शा चलाते हैं या घरों में चौका बरतन, भोजन बनाने या बच्चों को खिलाने आदि का काम करते हैं उनकी जब मैंने शिक्षा की जानकारी प्राप्त की तो मुझे यह जानकारी मिली कि वे 6ठीं अथवा सातवीं कक्षा तक की शिक्षा समाप्त करने के बाद अपनी इस छोटी सी आयु में इस तरह की मजदूरी करने लगते हैं। जब मैंने उनकी यह जानकारी प्राप्त की कि शिक्षा न प्राप्त करने अथवा उसको समाप्त कर देने का उनका क्याकारण था तो माननीय अध्यक्ष जी, यह बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि मुझे यह मालूम हुआ कि ऐसे परिवारों की जो आमदनी है वह केवल 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक है।

सम्मानित सदन को इस बात की जानकारी है कि आज अपने प्रदेश के अन्दर जो शिक्षा व्यवस्था है उसके अन्तर्गत बहुत से ऐसे छात्र हैं जो आरक्षण के माध्यम से या अन्य माध्यमों से थोड़ी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं साथ ही आपको यह भी जानकारी है कि बहुत से ऐसे लोग छुटे पड़े हुए हैं, इसकी जानकारी प्राप्त कर लें कि जिनके परिवार की कम आमदनी है और जिनके कहना चाहिये कि जो अपने बच्चों को शिक्षा देने में पूर्णतया असमर्थ है। इसलिये मैं माननीय माननीय मंत्री महोदय से यह मांग करता हूं कि वे इसकी जांच करा लें और सर्वेक्षण करायें तो मेरा निश्चित मत है कि जो हजारों की तादाद में ऐसे छात्र हैं जो आर्थिक कारण के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और उनको शासन की ओर से या अन्य किसी प्रकार से कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। इसी भावना के आधार पर मैंने इस संकल्प को रखा था। यह सदन इस बात से सहमत है कि शिक्षा के माध्यम से ही देश और प्रदेश की प्रगति और विकास निर्भर करता है। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि मांटेसरी स्कूलों में बच्चे 15–15 और 20–20 रुपये देकर पढ़ने के लिये जाते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे मेरे संकल्प पर पुनर्विचार करें। आज हालत यह है कि अभिभावक लोग अपने पेट की रोटी को काट कर, कर्जा लेकर अथवा अन्य तरीकों से, इस महंगाई के वातावरण में अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। आज शासन को यह भी विचार करना पड़ेगा कि समाज और प्रदेश की प्रगति के लिये, उसके विकास के लिये शिक्षा का कितना महत्व है। यह जिम्मेदारी किस पर है? यह जिम्मेदारी तो शासन पर है कि आज अपने प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये और युवकों के भविष्य को ध्यान में रखकर सारा कार्य करना चाहिये। क्योंकि आज का बेटा कल का बाप बनता है। जैसा बच्चा होगा वैसा ही बाप यानी देश का नागरिक बनता है। आज शासन को किसी समिति द्वारा या किसी अन्य फोरम से इस बात की जांच कराने की आवश्यकता है कि शिक्षा में गिरावट के कारण बहुत सी चीजें प्रदेश से निकल नहीं पा रही है चाहे असामाजिक तत्वों का निर्माण हो या डाकुओं की समस्या हो। जब हम उसमें डाकुओं को देखते हैं, तो जानकारी मिलती है कि उनके परिवारों में, उनके जीवन में शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं रही है, उनमें शिक्षा का कोई संस्कार देखने को नहीं मिलता है। इसलिये मैं मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं, जो उनके लिए एक गरिमा की बात होगी कि जो इन्कम टैक्स देते हैं, उनको छोड़कर मुट्ठी भर लोग जो बचते हैं, जो आर्थिक कारणों से हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनकी शिक्षा निःशुल्क कर दी जाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री दूधनाथ राजभर--

माननीय अधिष्ठाता जी, सदन में कोरम नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य तशरीफ रखें, कोरम हो जाने के बाद जारी रखें ।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई ।)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मैं माननीय मंत्री जी से इस वचन को लेने के बाद अपना संकल्प वापस लेने के लिये तैयार हूं कि वह इस बात की यहां घोषणा करें कि सदन की एक समिति इस हेतु बनाई जाएगी, जो मेरे संकल्प के आधार पर जांच करके रिपोर्ट देगी । अन्त में मैं अपने सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे इस संकल्प पर अपने अमूल्य विचारों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया ।

*शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सच्चिदानन्द बाजपेई)--

मान्यवर, माननीय विधायक राजेन्द्र अग्निहोत्री जी का यह संकल्प देखने में बहुत सरल और सीधा दिखाई पड़ता है, लेकिन जो चर्चा अभी माननीय सदस्यों ने यहां की, उन सारी चर्चाओं को एक साथ सुनने और समझने के बाद यह निष्कर्ष निश्चित रूप से निकलता है कि इस संकल्प के पीछे मंतव्य की भावना छात्र कल्याण के लिये कम और प्रचार के विषय में अधिक है । जिस बात को हृदय स्वीकार न करे, उस संकल्प को जो माननीय सदस्य ने यहां प्रस्तुत किया है, वह देखने योग्य है कि हाई स्कूल तक की शिक्षा निःशुल्क हो संभवतः माननीय सदस्य को जानकारी होगी कि कक्षा 6 के लड़कों की शिक्षा निःशुल्क है और हाई स्कूल तक लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क है और जिस तरह से चर्चा के दौरान हमारे विद्वान सदस्य, माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने कुछ चीजें रखीं उससे ऐसा लगता है कि संभवतः उन्होंने भी स्वयं गम्भीरतापूर्वक इस संकल्प को नहीं लिया । अगर गम्भीरता से लिया होता तो जिस तरह के हल्के फुल्के ढंग से बातें रखीं वह न रखते क्योंकि वह न केवल विद्वान हैं बल्कि इस शासन में वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग का दायित्व कुछ दिन संभाले हैं । तो उनको सारा ज्ञान वित्तीय संसाधनों का है । वित्तीय संसाधनों की दृष्टि में रख कर और प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ संभव है । ।

मान्यवर, इस समय भी कक्षा 6 के बाद जो हरिजन छात्र हैं उनकी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है और जो दूसरे गरीब छात्र हैं उनकी अर्ध शिक्षा शुल्क मुक्ति का भी प्राविधान है । तो यह सब चीजें ऐसी हैं जिनको देखने से भी स्पष्ट है कि यह जो प्रस्ताव रखा गया है इसकी मंशा सिर्फ प्रचार करना ही है । हम नारों में विश्वास नहीं करते हैं, हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार अपने कार्यों में विश्वसनीयता रखती है जिसके बारे में वह दृढ़ संकल्प हैं ।

माननीय अग्निहोत्री जी ने एक बात रखी है कि लड़कों की संख्या कम हो रही है । हम भी यही कहते हैं कि कक्षा 6 तक हमारे विद्यार्थी हैं उनकी संख्या में माननीय सदस्यगण मिल कर वृद्धि करें ताकि अधिक लोग पढ़ने जायं और निः शुल्क शिक्षा लें । इसके लिये हमने प्रचार पाठ्य क्रम चलाया है और दूसरी शिक्षा की व्यवस्था की है । संविधान की जो भावना है उसके अनुरूप हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं कि कक्षा 8 तक की शिक्षा आने वाले दिनों में निः शुल्क करें । इस पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं और सारी चीजों पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--]

विचार करने के बाद इस सम्बन्ध में निर्णय भी हम करेंगे कि कक्षा 8 तक की शिक्षा निः शुल्क हो जाय। तो यह संकल्प केवल संकल्प रखने की गरज से रखा गया है, उसकी मंशा को वह समझते हैं और मैं समझता हूं कि इन सारे तथ्यों को देखते हुए और जो उनके मन में बात है जिसको वह कह नहीं रहे हैं, उसे देख कर इस संकल्प को वापस लेंगे और वापस लेने के बाद जो हमारा एक रास्ता है शिक्षा के सर्वांगीण विकास का, उसमें मदद करने की कृपा करेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय अग्निहोत्री जी, क्या आप वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

श्रीमन्, वापस लेने का प्रश्न इसलिये नहीं है कि मैंने यह कहा कि माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर दें जो उनको सही जानकारी दे, विवेक दे, बुद्धि दे कि प्रदेश का विकास क्यों रुक गया है ? अगर वह इसके लिए तैयार नहीं है तो मैं इस संकल्प को वापस लेने को तैयार नहीं हूं।

श्री प्रभुनारायण सिंह--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। क्या अपने मूल संकल्प में संशोधन पेश करने का अधिकार किसी सदस्य को है ? श्रीमन्, माननीय अग्निहोत्री जी ने एक संकल्प रखा उसके बाद आज कंक्लूड करते हुए उन्होंने संशोधन रख दिया कि एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बना दी जाय और उसे यह संकल्प दे दिया जाय ? तो क्या वह ऐसा कर सकते हैं ?

श्री गौरी शंकर भैय्या--

अधिष्ठाता महोदय, उन्होंने माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था कि अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम यही आश्वासन वह दे दें कि एक उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी गठित हो जायेगी जो माननीय मंत्री जी को सुझाव देगी।

श्री अधिष्ठाता--

हमारी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 94 में स्पष्ट दिया हुआ है कि "जब कोई संकल्प चर्चाधीन हो तो कोई सदस्य संकल्पों से सम्बन्धित नियमों के अधीन रहते हुए उस संकल्प पर संशोधन प्रस्तुत कर सकेंगे।

(रोध पक्ष की ओर से मेजें थपथपायी गयीं।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि "इस सदन का निश्चित मत है कि सरकार उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सभी छात्र एवं छात्राओं को, जिनके अभिभावक आयकर देने की सीमा से नीचे हैं, शिक्षा शुल्क से मुक्त कर दें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

राष्ट्रीय गान "जन गण मन अधिनायक" के स्थान पर "बन्देमातरम्" रखे जाने के संबंध में संकल्प

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

* माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन भारत सरकार से संस्तुति करता है कि वर्तमान राष्ट्रीय गान "जन गण मन अधिनायक ....." के स्थान पर आजादी की लड़ाई के समय के राष्ट्रीय गीत "वन्दे मातरम् ....." को रखने की कृपा की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, जो संकल्प मैंने सदन के समक्ष आपकी अनुमति से प्रस्तुत किया है, उसमें उन गीतों का जिक्र है जिनको आजादी की लड़ाई के दीवानों ने इन गीतों को गा-गा कर फाँसी के फंदे पर अपने को लटका दिया और देश को आजादी दिलाई। इस आजादी के लिये अपने मुल्क की औरतों और मर्दों ने काफी ताकत के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया और उसका नतीजा यह है कि देश स्वतंत्र हुआ। इस "बन्देमातरम्".....के गीत से हमारे देश की आजादी की लड़ाई के दीवानों में एक प्रेरणा पैदा की। लेकिन उसके बाद इस गान को भूल दिया गया चाहे वह 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो या अन्य कोई ऐसा ही अवसर हो, राष्ट्र गान के रूप में गाया जाता हो। तो आज अपने प्रदेश में यह विडम्बना है कि लड़ाई के पहले जिस गान के आधार पर हमें आजादी मिली, आज उस प्रेरणा दायक गान को हटाकर उसके स्थान पर "जन गण मन अधिनायक....." गाने को राष्ट्रीय गीत कहा गया है। इस सिलसिले में आपके माध्यम से मैं निवेदन कर दूं कि हमारी संविधान सभा द्वारा "जन गण मन अधिनायक...." को राष्ट्रीय गीत घोषित करते हुए प्रसिद्ध राष्ट्रीय गान "बन्देमातरम्....." को भी राष्ट्रीय गान का गौरव भी प्रदान किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये दोनों गानों को आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्यों को अपने-अपने विचार प्रकट करने में सुविधा हो सके। यह गीत मैं पढ़ता हूं, इस प्रकार है--

[× × ×]

(उक्त गीत पढ़ने पर कई सदस्यों द्वारा आपत्ति-- शोर और व्यवधान)

श्री प्रभूनारायण सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, यह राष्ट्रीय गान यहां पर नहीं पढ़ा जा सकता..... (व्यवधान)

एक सदस्य--

यह हर समय हर जगह नहीं पढ़ा जा सकता।

श्री अधिष्ठाता--

यह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा (व्यवधान)।

श्री प्रभुनारायण सिंह--

मान्यवर, क्या हम राष्ट्रीय गीत को सामान्य चर्चा का विषय बना सकते हैं? (व्यवधान) यह राष्ट्रीय की धरोहर है.....

एक सदस्य--

इस पर मान्यवर, चर्चा नहीं हो सकती।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है (व्यवधान) मैं इसको समाप्त करने के लिये प्रस्ताव मूव करता हूं। इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये। इसे सदन का सामान्य चर्चा का विषय नहीं बनाया जा सकता। (व्यवधान) मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यगण, कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। इसको संकल्प में स्पष्ट रूप से बन्देमातरम् की बात कही गयी है, मैं चाहता हूं माननीय प्रदीप कुमार जी अपने को उसी तक सीमित रखें। राष्ट्रीय गीत को न पढ़ें। (शोर-व्यवधान)

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मान्यवर, इस पर चर्चा न कराइये ।

(व्यवधान)

(इस समय 2 बजकर 29 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए) ।

श्री प्रभूनारायण सिंह--

मान्यवर, क्या ऐसे राष्ट्रीय गीत पर सामान्य चर्चा यहां सदन में हो सकती है ? आप इसे स्थगित करें या इसे आप समाप्त कर दें ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री गौरी शंकर भैय्या--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक औचित्य का सवाल है । माननीय सदस्यों ने अभी जन गण मन अधिनायक पढ़ना शुरू किया, दुर्भाग्य की बात है कि इस गीत पर व्यवस्था का सवाल उठाया गया । इस पर व्यवस्था उठाई जानी चाहिये कि माननीय मंत्री जी और पदाधिकारी सत्ता पार्टी के जो हैं, किसी ने भी खड़े होकर इस गीत का सम्मान नहीं किया । तो इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

इसमें यह देखना है कि राष्ट्रीय गान जो पढ़ा गया वह किस अवसर पर गाया गया । यहां पर तो उसके सम्बन्ध में बताया जा रहा है कि उसकी जगह दूसरा राष्ट्रीय गीत रखा जाय ।

श्री यदुनाथ --

मान्यवर 1 मिनट मुझे भी सुन लें एक व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अधिष्ठाता--

कोई व्यवस्था नहीं । आप बैठें ।

श्री कुंवर बहादुर मिश्र--

आपके माध्यम से यदुनाथ सिंह से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जन गण मन अधिनायक का अर्थ ही बता दें ।

श्री यदुनाथ--

मैं कह रहा हूं कि एक संकल्प आया और जब एक संकल्प के रूप में माननीय प्रदीप कुमार जी ने उसे रख दिया और बन्दे मातरम् का गीत भी उन्होंने गाना शुरू कर दिया, तो जो हमारी मंशा है, वह राष्ट्रीय गान के अपमान की नहीं है और इससे अगर हमारी राष्ट्रीय प्रगति पर प्रहार होगा, तो हम किस प्रकार से सकल्प ला सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

जब संकल्प आ चुका है तो बन्दे मातरम् आप सिर्फ कहते, पूरा न पढ़ते, तो कोई आपत्ति न उठाई जाती ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, मैं तो राष्ट्रीय गान पढ़ रहा था ।

श्री अधिष्ठाता--

आप राष्ट्रीय गान न पढ़ें। आप संकल्प के सम्बन्ध में अपनी बात कह दें।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मैं तो मान्यवर, वही पढ़ रहा था।

श्री अधिष्ठाता--

आप केवल बन्दे मातरम् कहने के बाद यह कह दें कि यह रख दिया जाय।

श्री गौरी शंकर भैया--

मान्यवर, आप एक व्यवस्था दे दें कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में राष्ट्रीय गान पढ़ा जा सकता है कि नहीं ?

श्री अधिष्ठाता--

यादव जी खुद जानते हैं कि कैसे अवसरों पर राष्ट्रीय गान होता है।

(घोर व्यवधान)

श्री यदुनाथ --

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल तो सुन लें।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें।

श्री राजकुमार राय--

मान्यवर, जन गण मन अधिनायक के खिलाफ उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है और वह इस तरह से पढ़ते हैं, तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मान्यवर, इस संकल्प में रखा गया है कि वर्तमान राष्ट्रीय गान "जन गण मन अधि नायक....." के स्थान पर आजादी की लड़ाई के समय के राष्ट्रीय गीत "बन्देमातरम्....." को रखने की कृपा की जाय। क्यों रखने की कृपा करें अगर इसके सम्बन्ध में हम "जन गण मन अधिनायक....." में आई हुई कुछ बातें कहेंगे नहीं, तो "बन्दे मातरम्....." का जो महत्व है, वह कैसे मालूम होगा। मैं इस पर व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

जो इस स्थान से रलिंग हो चुकी है, उस पर आप ध्यान दें।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मैंने अभी रखा था एक व्यवस्था का प्रश्न कि क्लोजर मूव कर देना चाहिये, तब आप कोई कार्यवाही आगे बढ़ावें। कार्यवाही मंगा कर देख लें, पढ़ लें, मैंने निवेदन किया था कि उस पर क्लोजर कर दिया जाय। तो मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न रखा था, उस पर निर्णय दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

अभी प्रस्ताव पूरे तौर पर रखा भी नहीं गया है, अभी क्लोजर कैसे आ गया है ?

श्री राजकुमार राय--

जो व्यवस्था हो चुकी है, उसका पहले परिपालन हो तब कार्यवाही आगे बढ़े, यही वैधानिक भी है। एक व्यवस्था आपके पूर्वाधिकारी ने दिया, उसका परिपालन किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

(श्री प्रदीप कुमार यादव के खड़े होने पर) माननीय यादव जी, आप जानते हैं कि राष्ट्रीय गान की क्या अहमियत है। व्यवस्था के प्रश्न को मैंने सुन लिया है। राष्ट्र गान अभी तक "राष्ट्र गान" के रूप में ही है, उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कह सकते, जो उसके सम्मान के विरुद्ध हो। आप यह कह सकते हैं कि इसकी जगह वह रख दिया जाय, इसके आगे कोई उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मैंने क्लोजर का एक प्रस्ताव मूव किया था। अगर आप व्यवस्थित ढंग से चलाना चाहते हैं सदन को, तो आप इस पर सदन की राय ले लें।

श्री दूधनाथ राजभर--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रगान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर क्या इस सदन को चर्चा करने का अधिकार है? इस पर आप व्यवस्था दे दें।

श्री राजकुमार राय--

मान्यवर, जब यह बात हर तरफ से आ रही है कि यह मामला राष्ट्रीय जीवन से जुड़ा हुआ है, तो उस पर क्या व्यवस्था हुई, उसके बिना ही आगे बढ़ जायेंगे?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राय साहब और पी० के० शर्मा जी मैं आपकी इस राय से इत्तफाक करता हूं कि ग्राह्यता के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये जा चुके हैं। यादव जी, आप संक्षेप में अपनी बात कहकर खत्म करें। वह हमारा "राष्ट्रगान" है और यह जगह भी नहीं है उस पर फैसला करने की। आप अपनी बात रखें, इसके बाद क्लोजर मूव किया जा सकता है।

श्री राजकुमार राय--

आपने प्रकारान्तर में व्यवस्था दे ही दी, इसलिये न पढ़ने दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

यादव जी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिये जिससे कि मौजूदा राष्ट्रगान के मानने वालों के दिल मजरूह हों।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मान्यवर, व्यवस्थाओं से यह सदन चलेगा। क्लोजर का मूव मैं दे चुका हूं। इसके बाद जो कुछ हो रहा है वह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जो एजेंडे में है उसके अनुसार चलना चाहिये, इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता--

यादव जी, क्या आपने संकल्प प्रस्तुत कर दिया है।

कई सदस्य--

कर दिया है।

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, क्लोजर भी मूव हो गया है और आपने व्यवस्था भी दे दिया, इसलिये अब इसको आप समाप्त करें ।

श्री अधिष्ठाता--

संक्षेप में उन्होंने रखकर अपनी बात कहना शुरू किया है और जब वह अपने पूरे विचार रख देंगे तब जैसा कहेंगे वैसा करेंगे ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, निवेदन है कि संक्षेप में वह कह दें । क्लोजर मूव हो गया है और फिर उस पर वोटिंग करा दें ।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

यह नया संकल्प नहीं है इस पर आपको क्या परेशानी है मान्यवर, थोड़े में है मुझको कह लेने दें । यह गान है । इसका अर्थ है कि जन समूह और मन के राजा और भारत के भाग्य विधाता, आपकी जय हो । इस गीत में न तो हमारे देश की और न प्रदेश की जनता की तरफ उस गीत में हमारी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की झलक नहीं मिलती है । इस सिलसिले में जैसे संविधान में है प्रिएम्बुल, जिसमें कहा गया है कि भारतीय गणतंत्र का संकल्प क्या होगा । हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गण-राज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को : सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिये, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं । तो यह प्रिएम्बुल है । तो इसको देखकर हमारे मन में अन्तरद्वन्द्व पैदा हुआ कि मामला क्या है ? इस सिलसिले में मैंने अध्ययन करने की कोशिश की और जानकारी की ।

दूसरी बात जो हमारे विद्वान दोस्त हैं, उनसे मैंने पूछताछ की । साथ ही साथ राष्ट्रीय लोगों से भी पूछताछ की कि जन गण मन का मतलब क्या है तो उसका स्पष्ट उत्तर नहीं मिला । इसलिये आशंका मेरे मन में है जिससे मैंने इसको सदन में प्रस्तुत किया है । और ऐसे बन्दे मातरम् में जो भारतीय गणतंत्र का संकल्प है, राष्ट्र गान में उसकी कोई झलक नहीं आती है इसलिये इस पर विचार करने का पूरा मौका माननीय सदस्यों को भी होगा और वह उसमें हिस्सा लेंगे । मान्यवर, भारत भाग्य विधाता गान है ।

श्री राजकुमार राय--

मान्यवर, संक्षेप में कहने के लिये मौका मिला था और उन्होंने ज्यादा कह दिया है । इसलिये क्लोजर का जो प्रस्ताव है, उसमें आप श्री शर्मा जी को निर्देशित करें ।

श्री राम कुमार राय--

मान्यवर, श्री पी0 के0 शर्मा का क्लोजर जो इन्होंने मूव किया उसको लें ।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

विषय की गम्भीरता को देखते हुए, संविधान को देखते हुए, नियमावली के सारे नियमों को देखते हुए और मान्यवर, साथ ही साथ इस सदन के सदस्यों की भावना को देखते हुए यह विषय यहां नहीं उठाना चाहिये ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा---

मैंने क्लोजर मूव किया है मैं दुबारा.....

श्री प्रदीप कुमार यादव---

रवीन्द्र नाथ टैगोर ने सन् 1911 में जार्ज पंचम के सम्मान में यह गीत लिखा था। यह कोई राष्ट्रीय गान नहीं है। जहां तक बन्देमातरम् का प्रश्न है इस गीत में हमारे देश और प्रदेश का सुन्दर सजीव आकार उभर कर आता है। इस गीत ने राष्ट्रीय चेतना को जगाया था। अंग्रेजों के साम्राज्यशाही से लड़ने की इसने प्रेरणा दी थी।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा---

जो राष्ट्रीय गान है उसके बारे में कहा जाय कि जार्ज पंचम के बारे में कहा गया यह अपमान है, मैं यह निवेदन करूंगा कि इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिये, मैंने जो क्लोजर मूव किया है उस पर वोटिंग करा दीजिये।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय यादव जी, आप राष्ट्रीय गान का महत्व जानते हैं इसलिय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जिससे राष्ट्रीय गान की अहमियत और उसकी श्रेष्ठता तथा उच्चता को धक्का लगे।

श्री प्रदीप कुमार यादव---

मान्यवर, बन्देमातरम् गीत 26 जनवरी और 15 अगस्त को राष्ट्रीय गीत के रूप में नहीं गाया जाता है, कहा यह जाता है कि इसमें अच्छी धुन नहीं निकलती है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं इसमें वह धुन निकली थी जिसने देश आजादी के लिये आजादी के मतवाले हंसते-हंसते फांसी के फन्दे पर झूले और हजारों महिलाओं ने अपने सिन्दूर को इस गीत को समर्पित कर दिया। मैं निवेदन करूंगा कि इस पर माननीय सदन की संस्तुति भारत सरकार को भेज दी जाय कि आइन्दा आने वाले दिनों में 26 जनवरी और 15 अगस्त को यह राष्ट्रीय गीत के रूप में गाया जाय।

श्री राज कुमार राय---

मान्यवर, मेरा निवेदन है इस को बन्द किया जाय यह ब्रह्मदत्त जी को आदेश दें कि वह इस गीत का अर्थ माननीय यादव जी को समझा दें।

नियोजन एवं वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)---

यह इस सदन की गरिमा के अनुरूप होता और हमारी गरिमा के अनुरूप होता कि इस विषय पर इस सदन में बहस न होती। मैं माननीय यादव जी से कहना चाहता हूं कि यह दो सुन्दर गीत थे, जो दो महान कवि बंकिम चन्द्र चट्टो पाध्याय तथा रवीन्द्र नाथ ठाकुर द्वारा लिखे गये थे। उन गीतों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। माननीय सदस्य को आनन्द मठ पढ़ने का मौका न मिला हो लेकिन मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आनन्द मठ को बंगाली में पढ़ने का। और इसीलिये न मैं बन्दे मातरम् और न जन गण मन अधिनायक, के खिलाफ कहने की जुर्रत कर सकता हूं। शायद आपने पूरा गीत पढ़ा होगा। बन्दे मातरम् वाला। उस जमाने में संयासी विद्रोह हुआ था, आनन्द मठ रचना उसी से सम्बन्धित है। उसमें है कि त्रिश कोटि कष्ठ कल-कल निनाद कर ले, छिधिशंकोटि भुजै धृतखर कर वाले अगर आप इसका अर्थ निकालें तो यह है कि 32 करोड़ कंठों से कल कल निनाद हो रहा है। आज हम 63 करोड़ हैं और 126 करोड़ हाथ हो गये हैं। मान्यवर, इसी तरह से उसमें कहा गया है कि तोमारेइ प्रतिमाया गड़ि मंदिरे मंदिरे, भारत वर्ष में बहुत से लोग ऐसे हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। यह मने इसकी पृष्ठभूमि बतायी है। बदलने से

इसकी म्यूजिक कुछ ठीक नहीं आती । जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता में, भारत का भाग्य विधाता कौन है ? जिससे हम रोज सुबह आशीष मांगते हैं वही भारत मां है । मेरा निवेदन है कि वन्दे मातरम् में कहीं भी कोशिश करके आप देखें 64 करोड़ और 128 करोड़ जोड़ा नहीं जा सकता है। इसकी सारी म्यूजिक बिगड़ जायगी । मेरे मन में स्वर्गीय बंकिम चन्द्र के बारे में महान आदर । मैंने उनकी एक-एक किताब मूल बंगाली में पढ़ी है । उसी तरह रवीन्द्र नाथ टैगोर देश के ही नहीं, सारे संसार के लिये गौरव हैं ।

जन गण मन अधिनायक जय हे और बन्दे मातरम् हमारे यहां राष्ट्रगीत के राष्ट्रगान के रूप में हैं । मेरा निवेदन है कि इस भावना को समझें कि दोनों में भारत माता के प्रति श्रद्धा है । मैं निवेदन करूंगा कि इसके बारे में माननीय सदन में कोई विवाद न हो । रवीन्द्र नाथ टैगोर और बंकिम बाबू में, दोनों में तुलना करना भी ठीक नहीं है, दोनों ने भारत माता की वन्दना की है । राष्ट्रीय गीत के रूप में दोनों हैं एक सरकारी मौके पर गाया जाता है । दोनों को आदर की दृष्टि से देखा जाता है मैं अनुरोध करूंगा कि इसको वापस ले लें ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय यादव जी, क्या आप अपना संकल्प वापस लेते हैं ?

श्री प्रदीप कुमार यादव—

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन भारत सरकार से संस्तुति करता है कि वर्तमान राष्ट्रीय गान "जन गण मन अधिनायक"....के स्थान पर आजादी की लड़ाई के समय के राष्ट्रीय गीत "बन्देमातरम्.....को रखने की कृपा की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री यदुनाथ—

क्लोजर मूव करके, बहस न चालू करने से, कम से कम इस प्रदेश के 11 करोड़ निवासियों का अपमान हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें । जो भी माननीय सदस्य बिना अनुमति के बोलेंगे, वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री यदुनाथ—

× × × × ×

प्रदेश के पूर्वांचल के विकास हेतु पूर्वांचल विकास आयोग के गठन के सम्बन्ध में संकल्प

श्री नन्द किशोर सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं कि इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश के पूर्वांचल के विकास हेतु पूर्वांचल विकास आयोग गठित किया जाए ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में 17 जिले पूर्वांचल में आते हैं, जो देश के सबसे ज्यादा पिछड़े जिले हैं, उनके पिछड़पन को दूर करने क लिए इस कांग्रसी हुकूमत ने कोई योजना नहीं बनायी ।

नोट:—[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री नन्द किशोर सिंह--]

मान्यवर, आज सुदूर के इलाकों में गोबर से निकले हुए अनाज को आदिवासी, हरिजन और कमजोर वर्ग के लोग खाते हैं। यह स्थिति है, आज पूर्वांचल की। मान्यवर, वहां आज भी समाज के ऊंचे लोग, प्रभावशाली लोग उन गरीब मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, उनका प्रयोग गलत ढंग से कर रहे हैं, और उनसे बेगार ले रहे हैं, अगर वह बेगार करने पर राजी नहीं होते, तो उनको तरह-तरह से परेशान किया जाता है। पिछली जनता सरकार के द्वारा उद्योग विकास की एक गोष्ठी देवरिया में हुई, जिसमें इन पिछड़े हुए जिलों के लिये योजनायें बनायी गयीं और इन योजनाओं के बारे में संबंधित अधिकारियों को लिखा गया, उन योजनाओं पर संस्तुति भी मिल गयी और उस पर अमल भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन इस वर्तमान सरकार ने उसको बन्द करा दिया।

मान्यवर, अगर आप मंगल देव विशारद समिति की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको स्वतः मालूम हो जायगा कि इन बड़े-बड़े लोगों ने किसी तरह से देश और प्रदेश की भूमि पर कब्जा किया है, यहां तक कि अपने कुत्ते और बिल्लियों के नाम भी जमीन दिखायी और हजारों एकड़ भूमि हड़पे हुए हैं। हमारे गोरखपुर में एक सरदार सुरेन्द्र सिंह मजठिया नाम के व्यक्ति हैं, जिनके पास हजार एकड़ भूमि है। इस तरह के लोग आज भी मौजूद हैं, अगर मंगल देव विशारद समिति की रिपोर्ट के तहत बंटवारा हो जाता तो देश और प्रदेश की गरीब जनता को कुछ राहत मिलती। आज हमारे पूर्वांचल के इलाकों के गरीब पिछड़े वर्ग के लोगों एवं आदिवासी के पास एक इंच जमीन नहीं है, अगर ऐसा किया जाता तो, उनको भी कुछ न कुछ मिल जाता। मान्यवर, दूसरी बात आती है बेरोजगारी की। पूर्वांचल में बेरोजगारी को दूर करने के लिए जनता और लोक-दल गवर्नमेन्ट ने काम के बदले अनाज और अन्त्योदय योजना चलाकर लोगों को काम दिया, लेकिन इस सरकार ने उसको भी बन्द कर दिया। जिसके कारण वहां का आदमी हर जगह भागा-भागा फिर रहा है। बड़े-बड़े शहरों, कलकत्ता और बम्बई जैसे शहरों की ओर अपनी जीविका को पाने के लिए भाग रहा है और आप इन गरीबों के लिये कोई व्यवस्था न कर, पुलिस पर लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। इसलिये आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि आप इस बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए उद्योग की छोटी-छोटी योजनायें और अन्त्योदय योजना फिर चलाई जाए, जिससे कमजोर वर्ग के लोगों को कुछ राहत मिल सके। मान्यवर, पूर्वांचल में मुख्य क्राप गन्ने की फसल है, जिसमें भी पश्चिम और पूर्व को लेकर भेद-भाव किया जा रहा है, उनको एक से भाव नहीं दिये जाते हैं। पश्चिम में अगर 23 रु0 दिया जाता है तो पूर्वांचल वालों को 22 रु0। इस तरह से मान्यवर, भेद-भाव से पूर्वांचल वालों को काफी आर्थिक रूप में नुक्सान हो रहा है। मान्यवर, पूर्वांचल में सारी नदियां उत्तर से पश्चिम को बह कर जाती हैं जिनमें गंगा, जमुना, बड़ी गन्डक, राप्ती, सरजू तथा घाघरा है। पिछली दफा मैंने कहा था बाढ़ को रोकने के लिये करनाली योजना, जलकुण्डी, पंचमेश्वर तथा भालू बांध की योजना कार्यान्वित की जानी चाहिये थी। इसके साथ पटेल आयोग की सिफारिशों को भी लागू करना चाहिये था। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 17 जिले ऐसे हैं जो देश में सबसे पिछड़े जिले हैं। विकास के लिये उनमें से 4 जिले लिये गये थे। उनके लिये सिंचाई साधनों पर 50 फीसदी अनुदान देने की व्यवस्था थी लेकिन उसे बन्द कर दिया गया। उसको नजर में रखते हुए पूर्वांचल में बेरोजगारी की स्थिति बहुत भयावह है। बहुत कम लोगों के पास खेती है और काफी पैमाने पर ऐसे लोग हैं जिनके पास एक डिसमिल खेत भी नहीं हैं। पूर्वांचल के हर जिले में रा-मेटीरियल उपलब्ध है जिनको लेकर वहां पर कारखाने लगाये जा सकते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि एक योजना पूर्वांचल के विकास के लिये घोषित की जानी चाहिये। अगर पूर्वांचल के पिछड़े पन को दूर करना है तो पूर्वांचल विकास निगम की स्थापना होनी चाहिये, वर्ना आने वाले दिनों में वहां का बेरोजगार युवक पुरअमन बगावत के लिये तैयार हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि दल से ऊपर उठ कर पूर्वांचल के विकास के लिये एक आयोग गठित किया जाय।

*श्री प्रभु नारायण सिंह--

जो संकल्प श्री नन्द किशोर सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। यह जो छठीं पचवर्षीय योजना प्रकाशित हुई है, इसको मैंने देखने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से उसका अंग्रेजी में दूसरा वाल्यूम उपलब्ध है जब कि यह तो वाल्यूम में छपा है। उसके इंट्रोडक्शन में लिखा है वहां की गरीबी तथा पिछड़ेपन के बारे में, जिसके सम्बन्ध में मैंने पिछले सत्र में चर्चा भी की थी और यह आशा की थी कि निश्चय ही उसके विकास के लिये कुछ योजनायें बनाई जायगी। जो चैप्टर 5 इसका है उसमें क्षेत्रीय विकास की स्ट्रेटेजी के सम्बन्ध में चर्चा है। उसमें पूरे प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है और एक भाग पूर्वांचल में 15 जिले हैं जिसमें पूरा वाराणसी मण्डल, गोरखपुर मण्डल, फैजाबाद मण्डल के अधिकांश जिले और इलाहाबाद का एक जिला है। यह भी बताया गया है कि पूर्वांचल में गंगा, घाघरा, गोमती, गंडक तथा राप्ती नदियों से ये जिले घिरे हुए तथा आतंकित हैं। और बर्फ के दिनों में यह नदियां इस क्षेत्र के अनेकानेक जिलों में प्रलय ला देती हैं। उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु कृषि उपज के अनुकूल है। इसी के कारण आबादी का घनत्व बहुत अधिक है। उन्होंने 1979-80 को देश का ईयर माना है बिलो पावर्टी लाइन का एक एरिया दिया है और उसमें बताया है कि पूर्वांचल जिले सचमुच खराब स्थिति में हैं।

यहां कुल भूमि का 66.00 प्रतिशत भूमि पर खेती होती है। 1977-78 में प्रदेश का 42.87 प्रतिशत सिंचित क्षेत्र था लेकिन सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र में 57.91 (वर्ष 1977-78 में) था। 1979 तक पश्चिमी क्षेत्र के विद्युतीकरण के बारे में बताया है कि 44.64 प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका था जो सबसे अधिक था।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय प्रभुनारायण सिंह जी, क्या आप अभी अपनी तकरीर जारी रखेंगे ?

श्री प्रभू नारायण सिंह--

मान्यवर, थोड़ा समय तो और दीजिये।

श्री अधिष्ठाता--

आप उसके बाद भी बोल सकते हैं।

श्री प्रभूनारायण सिंह--

पूर्वांचल जिलों....

श्री अधिष्ठाता--

अब समय समाप्त हो रहा है।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

श्रीमन्, पूर्वांचल में ग्रामों का प्रतिशत 29.95 विद्युतीकरण का था जो प्रदेश के औसत का 21.25 प्रतिशत है।

इसी तरह से आप पक्की सड़कों को देखें। प्रदेश में प्रति हजार वर्ग किलो मीटर पक्की सड़कों की लम्बाई प्रदेश में औसत 55.6 किलो मीटर है। सबसे अधिक पहाड़ों में आती है 238.6 किलो मीटर और पूर्व में 46.0 किलो मीटर, यह केवल पक्की सड़कें हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रभू नारायण सिंह]

अब जरा सा स्कूलों की शिक्षा के बारे में भी देखें। 1974–78 तक केवल जूनियर बेसिक स्कूल खोले गये जबकि 13,380 जूनियर बेसिक एवं 6,000 सीनियर बेसिक स्कूलों की आवश्यकता थी। सबसे कम हैं पूर्वी क्षेत्र में। इसी तरह चिकित्सालयों की स्थिति है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय प्रभूनारायण सिंह जी बैठिये, यह कल जारी रहेगा कल इस पर बहस होगी।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 (क्रमागत) †

श्री अधिष्ठाता—

अब मद संख्या 13–जिसमें विवाद जारी था, जो संशोधन विधेयक कल माननीय राम स्वरूप वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उस पर बहस होगी।

*श्री अकबाल हुसैन—

मान्यवर, माननीय सदस्य राम स्वरूप वर्मा जी ने जो संशोधन विधेयक रखा है, उसका उद्देश्य निःसंदेह बहुत ही लाभदायक है। जैसा कि कल ही इस सदन में हुआ कि हमारे विश्वविद्यालयों के जो कुलपति हैं उनका चयन आई० ए० एस० कैडर से होता है जिससे कि हमारे विश्वविद्यालयों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने एक सुझाव दिया था कि कुलपति की नियुक्ति के लिए आवश्यक होना चाहिये कि उस व्यक्ति को कम से कम 15 साल तक का विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो। इससे शिक्षा संस्थाओं में, विद्यार्थियों में, वहां के अध्यापकों में एक अच्छा संबंध जुड़ेगा और जो शांति और व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है वहां, उन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ में अवध विश्वविद्यालय के श्री सुरेन्द्र सिंह, जो भूतपूर्व कुलपति हैं, के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि इसी माननीय सदन में यह आयोग उनके खिलाफ बैठा था और उसमें यह रिपोर्ट आयी थी कि वे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सी० आई० ए० के एजेन्ट हैं। इस तरह से अगर बाहर से आप ला कर कुलपति बिठायेंगे तो या तो वे सी० आई० ए० के एजेन्ट होंगे या यू० एस० एस० आर० से लायेंगे जो के० जी० बी० के एजेन्ट होंगे। इस तरह से देश का कल्याण तो असम्भव होगा। कम से कम इस सुझाव से इतना तो जरूर होगा कि एजेन्टों की जो नियुक्ति होती है वह समाप्त हो जायेगी। इसके साथ अन्य सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिये मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं।

*श्री ए० सी० ग्राइस—

मान्यवर, मैंने कल भी बहस को सुना और संशोधन भी देखा। अफसोस है कि अंग्रेजी में मुझे मिला नहीं, इसलिये कम्पेयर नहीं कर सका। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि कालेजेज, यूनिवर्सिटीज में जितनी गड़बड़ी है, वह कुलपति की तरफ से नहीं है। पालीटिकल इण्टरफियरेंस जो हो गया है 42 से, तब यह बढ़ा है। इंडिपेन्डेंट हो गया था तब भी हम लोगों ने अपने विद्यार्थियों पर, लड़कों पर रोक नहीं लगायी, इण्डिपेन्डेंस लाने के लिए हम लोगों ने अपने यूनिवर्सिटी स्टूडेन्ट्स को, कालेज स्टूडन्ट्स को काफी पालिटिकल स्टैण्ड दे दिया था। जब इण्डिपेन्डेन्स गया था तब हम लोगों को सोच लेना चाहिये था कि अब इन लोगों को पढ़ना चाहिए और पालिटिकल नूसेंसक्रियेट नहीं करना चाहिए था। दो युनिवर्सिटीज में मैं इक्जीक्यूटिव का मेम्बर भी रह चुका हूं। मैं मद्रास युनिवर्सिटी का मेम्बर था, जब वहां पर स्टूडेन्ट था, अपने वाइस चांसलर के दफ्तर के रास्ते पर जाने में डर

---

† अप्रैल, 1981 की कार्यवाही से।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगता था। जब लखनऊ युनिवर्सिटी की इक्जीक्यूटिव में था मैंने देखा हमारा वाइस चांसलर बहुत सीधा, साफ आदमी था, इक्जीक्यूटिव कमेटी बड़ी अच्छी थी, पर हमारा स्टूडेन्टस जो था बिगड़ा हुआ था। पालिटिकल पार्टीज ने उनको छोड़ने के लिये नहीं कहा। जितनी पालिटिकल पार्टीज हैं उतना उस समय ट्रबुल्ड वाटर में फिशिंग कर रहे थे। एक पार्टी को गिराने के लिये दूसरी पार्टी आती है। कुलपति को हटाने से, यह कुछ करने से कुछ फायदा नहीं होगा। जितनी पालिटिकल पार्टीज हैं, यह वायदा कर लें कि स्टूडेन्ट्स का साथ हम लोग नहीं करेंगे तब युनिवर्सिटीज हमारी ठीक हो जायेंगी, लड़के पढ़ने लग जायेंगे और देश उठ सकेगा। जितनी पालिटिकल पार्टी साथ देंगे, उतनी हमारी एजूकेशन का सत्यानाश होगा, उसका कुछ फायदा नहीं होगा। इसके साथ मैं आपका आभारी हूं।

श्री यदुनाथ—

माननीय वर्मा जी जो विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक रखे हैं, उसमें आई0 ए0 एस0 कुलपति होने के नाते बहुत जगह दिक्कत हो गई है जैसे इलाहाबाद में और बनारस के अन्दर। मैं इस शासन का कहना चाहता हूं कि चांसलर और वाइस चांसलर शब्द तो ऐसा लगता है जैसे कि हिटलर का लगता था, जर्मनी का सेनापति हो, जल सेना का अध्यक्ष हो, थल सेना का अध्यक्ष हो, एयरफोर्स का हो। वर्मा जी जो संकल्प लाये और जैसा अभी आइस साहब को कहे कि विश्वविद्यालय पर पालिटिकल प्रेशर नहीं पड़ना चाहिये। गोरखपुर विश्वविद्यालय आज इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। यह आई0 ए0 एस0 जहां कहीं घुस जायेगा अपने प्रैक्टोरियल और डिक्टोरियल नीति के अनुसार काम करेगा। हिन्दुस्तान में 397 या 400 फैमिलीज ही आई0ए0एस0 और पी0 सी0 एस0 होती है। वह 400 परिवार के लोग पूरे प्रदेश और देश में गड़बड़ी फैलाये हैं। ऐसे लोगों को यदि न मिलाया जाय तो विश्वविद्यालय से वाइस चांसलर शब्द ही हटा दिया जाय। विश्वविद्यालय में ऐसे छात्र जाते हैं जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, एन्सियेंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। महिला महाविद्यालयों में छात्रायें हिस्ट्री भी पढ़ती हैं, गृह कला इंजीनियरिंग एवं डाक्टरी भी पढ़ती है। ऐसे समय में ऐसे विश्वविद्यालयों में ब्रिटिश कन्वेन्शन के शब्द पर चांसलर के स्थान पर कुलपाल होना चाहिये। जैसे गवर्नर से राज्यपाल कहा जाता है।

आज का विद्यार्थी इतना सफोकेट है, वह सोचता है कि उसको अनुशासन के छड़ी के रूप में न हांके। विश्वविद्यालय में ऐसा विद्यार्थी जाता है जो ग्रेजुएट हो चुका है। मान्यवर, यहां पर 21 वर्ष की आयु रखी गई है मतदान के लिये लेकिन वह 18 वर्ष की आयु में पूर्ण रूप से हमारे माननीय सदस्यों के हर गुण और अवगुण को जानता है। डाक्टर लोहिया कहा करते थे परिवर्तन गली और गांव और कूचों और शहरों के जरिये होता है। मैं इसमें विश्वास रखते हुए जो माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने कहा है, आई0ए0एस0 को तो कदापि विश्वविद्यालय में नहीं होना चाहिये। राजाराम शास्त्री जैसे अकाडमी का हो, फिजिक्स का हो, अर्थशास्त्र का हो, समाज शास्त्र का हो, उन्हें कुलपति होना चाहिये। मान्यवर, एक जमाने में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को बी0एच0यू0 का रेक्टर बना दिया गया, वह लेखक थे, अच्छे लेख का प्रतिभाशाली लेखक कहने लगे कि यदुनाथसिंह जी यह तो बड़ा मुश्किल काम है इसमें जो मेरी लेखनी की प्रतिभा है वह भी कहीं अवरुद्ध न हो जाय। त्रिगुणा सेन, भारत सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर कहते थे जो एम0ए0पी0एच0डी0 करके जाय उसको वही स्केल मिलेगा जो प्राइमरी एजुकेशन के लोगों को मिलता है, इस कथनी पर उनको शिक्षा मंत्री के पद से हाथ धोना पड़ा था। मैं कहना चाहता हूं कि प्राइमरी एजूकेशन के लिये जो एम0ए0, बी0ए0, पी0 एच0डी0 करके जाते हैं उनको उसी स्तर पर वेतन मान दिया जाय। मैं सोचता हूं कि शायद यही भावना राम स्वरुप वर्मा जी की भी है कि विश्वविद्यालय में कदापि आई0ए0 एस0 न भेजे जायं। विश्वविद्यालयों में आई0ए0एस0 भेजने से विश्वविद्यालयों की मर्यादा का हनन होता है, लोकतांत्रिक भावना का हनन होता है, गांधी जी की मूल भावना का हनन होता है, इसलिये विश्वविद्यालय में आई0 ए0 एस0 कुलपति के रूप में न भेजे जायं। धन्यवाद।

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)--

मान्यवर, माननीय सदस्य राम स्वरूप वर्मा जी ने जो संशोधन विधेयक रखा है, उसके अन्तर्गत उन्होंने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्व विद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 12 की उपधारा (1) के अंत में यह परन्तुक जोड़ दिया जाय कि "समिति किसी ऐसे व्यक्ति का नाम प्रस्तुत नहीं कर सकेगी जिसने किसी विश्व-विद्यालय घटक महाविद्यालय तथा संस्थान, सहयुक्त तथा सम्बद्ध महाविद्यालय में कम से कम 15 वर्ष शिक्षा न दी हो'। माननीय सदस्य ने अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (6) को निकालने का भी सुझाव दिया है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में जहां कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य दिये हुये हैं, उनमें यह भी रखने का सुझाव दिया है कि "वह एक शिक्षा सत्र में जिस विषय का वह शिक्षक रहा हो, उस विषय में कुल 15 व्याख्यान स्नातकोत्तर कक्षा में देगा।"

मान्यवर, जिस विचार से यह संशोधन रखा गया है, उसके संबंध में बताना चाहूंगा। यह जो उपकुलपति का चयन होता है, वह एक उप समिति होती है जिसका गठन महामहिम राज्यपाल जो कुलाधिपति विश्वविद्यालयों के हैं, के द्वारा होता है, वह करती है। इस समिति में ऐसे लोगों को रखा जाता है जो महाविद्यालयों या सहयुक्त महाविद्यालय अथवा छात्रावास में रहते न हों। उसी के साथ-साथ एक ऐसे व्यक्ति का मनोनयन किया जाता है जो हाईकोर्ट का न्यायाधीश हो और तीसरा व्यक्ति माननीय राज्यपाल महोदय स्वयं नामजद करते हैं। इस प्रकार कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच व्यक्तियों का मनोनयन होता है किसी भी उपकुलपति के चयन के लिये। ऐसी दशा में जब यह समिति किसी उपकुलपति के नाम का चयन करता है तो काफी सोच विचार करके करती है प्रशासनिक अनुभव का व्यक्ति भी हो, विश्वविद्यालय में व्यवस्था स्थापित कर सकता हो, उसका संचालन भी ठीक प्रकार से कर सकता हो। केवल शिक्षा के काम को ही देखने के लिये नहीं, बल्कि वहां पर जो प्रबन्ध है उसका सम्पादन करना भी उपकुलपति का काम है। ऐसी दशा में यदि यह संशोधन मान लिया जाय तो उचित नहीं होगा। उचित इसलिये नहीं होगा क्योंकि प्रबन्धतंत्र का काम पूरा विश्वविद्यालय को करना होता है.....

श्री अकबाल हुसैन--

बड़े बड़े एजूकेशनिस्ट रहे हैं और बहुत अच्छी तरह उन्होंने प्रबन्ध किया है।

श्री सच्चिदानन्द---

दूसरे लोग भी रहे हैं जो यद्यपि एजूकेशनिस्ट नहीं रहे, प्रवक्ता नहीं रहे, उन्होंने भी वाइस चांसलर के पद का बहुत अच्छी तरह से निर्वहन किया है.....तथा अनुशासन बनाये रखने का काम भी उप कुलपति का है। आज इस तरह की स्थिति है उसमें तो माननीय सदन के सारे सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि जो एक वातावरण पैदा किया जा रहा है उसके लिये भी यह आवश्यक है कि जो योग्य प्रशासक हों और साथ ही विद्वान व्यक्ति भी हों, ऐसे व्यक्ति को उप कुलपति बनाया जाय। इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ..... (व्यवधान)। योग्यता केवल आई0ए0एस0 नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि सारे विश्वविद्यालयों में आई0ए0एस0 ही रखे जाते हैं। बल्कि ऐसे व्यक्ति रखे जाते हैं जो योग्य भी हों और साथ ही साथ प्रशासन भी अच्छा कर सकते हों। ऐसे व्यक्ति को नामजद किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त वर्मा जी ने यह भी सुझाव रखा है कि वह पढ़ावें भी। यह आवश्यक नहीं रहा है। तो मान्यवर, इन सारी चीजों को देखने के बाद मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उनको समझने का प्रयास करेंगे और अपने संशोधन को वापस लेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं उन सभी सम्मानित सदस्यों का अनुग्रहीत हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है और जो चुप्पी हमारे उधर के साथियों ने साधी है और उसका अर्थ यदि समर्थन समझा जाय तो मान्यवर, सब ने मेरे विधेयक का समर्थन किया है। माननीय ग्राइस साहब ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि आज विश्वविद्यालय राजनीतिक प्रवेश हो गया है जो सरकार ने किया है कि राजनीतिक पुरुष, आई० ए० एस० और ऐसे किस्म के लोगों को उसके प्रबन्ध करने लगे हैं जिससे उनमें खराबी आयी है। उन्होंने भी इस तरह से मेरे विधेयक का समर्थन किया है। विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध में जो खराबियां आयी हैं उनका एक मात्र कारण यह है कि जो विद्वान और गुणी पुरुष हैं, जिन्हें शिक्षण कार्य का अनुभव है, जो विद्यार्थियों के सम्पर्क में निरन्तर रहते हैं, उनके दुख-सुख को जानते हैं पिता—पुत्र तथा गुरु-शिष्य के समान मानते हैं, तब उनका अनुशासन रहता है लेकिन आज सरकार ने निहित स्वार्थों की उपलब्धि में उनके इस सम्बन्ध तो तोड़ दिया है और प्रबन्ध में खराबियां आ गई हैं।

मान्यवर, मंत्री जी ने क्या सोचकर इसका विरोध किया है ? मैं उम्मीद करता था कि यह दिशा अच्छी है, वह इसे स्वीकार कर लेंगे। उनके तर्क में कोई बल भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वे इसलिये शरमा रहे हैं कि क्योंकि यह विरोधी दल से आया है। उन्होंने कोई पुष्ट प्रमाण भी नहीं दिये जहां पर कि बढ़िया एजुकेशनिस्ट अथवा अच्छे शिक्षक वाइस चांसलर न रहा हो। एक जगह पर भी वे बता दें कि जहां पर ऐसे लोग वाइस चांसलर रहे हों और वहां पर शांति कायम न रही हो एक जगह भी वे नहीं बता पाये। आदरणीय सदस्य जानते हैं कि आचार्य नरेन्द्रदेव का घिराव विद्यार्थियों ने इस बात पर किया था कि वे उनको छोड़कर न जायं। उनका वे अनुशासन मानते थे। एक बात कहने पर सारे विद्यार्थी शांत हो जाते थे वे उनके दुख को समझते भी थे और विद्यार्थियों के लिये ही तन-मन-धन से जुटे रहते थे। किन्तु ऐसा उदाहरण मंत्री जी ने नहीं दिया कि जहां किसी प्रशासक ने अपने प्रशासनिक अनुभव के कारण विद्यार्थियों और अध्यापकों में सौहार्दपूर्ण वातावरण ला सकें हों। एक भी उदाहरण वे न दे सके। तो फिर वकालत किस बात की कर रहे हैं किस बातका विरोध कर रहे हैं ? यह आदरणीय सदन इस बात की गरिमा का प्रतीक है कि यहां पर बहुत सोच विचार के साथ कोई निर्णय लिया जाता है। इस विधेयक के पक्ष में सारे सदस्य रहे और विपक्ष में केवल एक सदस्य माननीय शर्मा जी थे जिन्होंने कोई तर्क भी उपस्थित नहीं किया। मान्यवर, तर्क का तो जवाब दिया जा सकता है लेकिन सिर्फ यह कहना कि हम नहीं चाहते हैं, उचित नहीं है। कौन सा पैमाना लगायें कि हम महात्मा गांधी की तरह हृदय परिवर्तन करा सकें। बाकी और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि हृदय इनका बोलता है लेकिन दिमाग नहीं बोलता। माननीय मंत्री जी हमारी बात से मुतमयी हैं कि जब तक विश्वविद्यालय का प्रबंध किसी अच्छे आदमी के हाथ में रहा, विद्वान आदमी के हाथ में रहा जिसे विश्वविद्यालय के शिक्षण का ज्ञान है, जिसे अच्छा अनुभव है कि विद्यार्थियों का कष्ट क्या होता है तब तक कहीं भी किसी विश्वविद्यालय में गड़बड़ी नहीं हुई। अगर कभी थोड़ी बहुत अशांति आई भी तो तुरंत वहां शांति हो गयी एक विद्वान कुलपति की अपील पर। लेकिन आज आप देख लें, मैंने कल भी कहा था लखनऊ का उदाहरण देकर कि यहां के वाइस चांसलर की रक्षा के लिय पुलिस का जो प्रबंध किया गया है उसमें 70 हजार रु० महीना खर्च हो रहा है, यह खबर पूरी तरह सही है। मैंने यह कल भी कहा था लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने इसका विरोध नहीं किया। इसका मतलब है कि 70 हजार रु० महीना वाइस चांसलर की रक्षा करने के लिये तैयार है। कुलपति इसलिये होता है कि वह विश्वविद्यालय में पढ़ाई ठीक से रखे, विद्यार्थियों क सुख-दुख को समझे और अध्यापक को प्रोत्साहित करें और परीक्षा शांति से करायें, अच्छे विद्यार्थियों को निकाले। लेकिन यहां तो कुलपित की रक्षा के लिये पुलिस रखी जाती है, वह अकेले निकल नहीं पाते हैं, जब जाते

[श्री राम स्वरूप वर्मा]

हैं बराबर उनके साथ पुलिस रहती है। तो यह सरकार 70 हजार रु0 विद्यार्थियों के वजीफे पर खर्च नहीं करेगी लेकिन कुलपति के लिये खर्च करेगी तो इससे ज्यादा लज्जा की बात और क्या हो सकती है। अगर वह इसका जबाव दे देते तो मैं शांत हो जाता। माननीय मंत्री जी एक दुर्योधनी हठ अपनाये हैं, हमने इतने तर्क दिये और हम समझते थे कि तर्क का जवाब तर्क से देंगे तो हम मुतमयीन हो जाते। लेकिन तर्कहीन जबाब देकर जो ब्रूट मैजोरिटी, निष्ठुर बहुमत उनका है, उस पर वह निर्णय करना चाहते हैं, बुद्धि और तर्क पर आधारित उनकी बात नहीं है, इसलिये मैं फिर एक बार आदरणीय सदन के सदस्यों से कहूंगा कि वह इसे इतिहास बनायें और पुरानी व्यवस्था को भी ध्यान में रखें, हमारे बहुत से माननीय सदस्यगण हैं जिनके बच्चे विश्व विद्यालय में पढ़ते होंगे जिनके वह अभिभाव के होंगे तो उनके भविष्य के लिये, इस प्रदेश की शिक्षा की तरक्की के लिये, अभिभावकों के मन की शांति के लिये, सारी जनता की भलाई के लिये इस विधेयक का समर्थन करें ताकि माननीय मंत्री जी का दुर्योधनी हठ समाप्त हो। इन शब्दों के साथ मैं पुनः उनसे समर्थन की अपील करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह कहा कि मैंने तर्कहीन बात कही। मैं नहीं समझ पाता कि क्यों उनको ऐसा लगा। मैंने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्यों के लिये किसी भी विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य को ही नहीं देखना होता है। शिक्षण के अतिरिक्त जो दूसरे कार्य हैं उनको भी देखना होता है। इसलिये ऐसी कोई रोक लगाना उचित नहीं है कि वह केवल विद्वान ही हो और फिर क्या आई0 ए0 एस0 विद्वान नहीं होते हैं, यह युक्तियुक्त बात नहीं है। मैं समझता हूं कि वह इस बात को समझते हैं कि जो आई0 ए0 एस0 अधिकारी हैं उनमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न विषयों में विद्वान हैं। मैं इसलिये यह कहना कि आई0 ए0 एस0 ने रखा जाय, यह कोई युक्तियुक्त बात नहीं है। इसके अतिरिक्त कौन सा तर्क वह चाहते हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैं उनकी बात को बहुत जोर से सुन रहा था।

श्री अधिष्ठाता--

(श्री राम स्वरूप वर्मा से) क्या आप वापस ले रहे हैं ?

श्री राम स्वरूप वर्मा--

नहीं।

श्री अधिष्ठीता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

संविधान विरोधी साहित्य प्रतिबन्धन विधेयक, 1981

श्री रामस्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि संविधान विरोधी साहित्य प्रतिबन्धन विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह विधेयक अब से 7 महीने पहले भी आया था इस सदन में, किन्तु तब उधर के माननीय सदस्यों ने नियम और कानून को न समझकर इसको अस्वीकृत कर दिया था बिना विचार किये हुए। अब मुझे प्रसन्नता है कि अध्यक्ष पीठ से जब उनको इस संबंध में बताया गया कि उनको यह अधिकार तो है कि विचारोपरान्त वह उसको मानें या न मानें, लेकिन उस पर विचार ही न करना सदन की गरिमा के विपरीत होगा, तो उसे स्वीकार कर लिया गया और माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने भी यह मत व्यक्त किया। इसलिये आज यह अवसर आया कि यहां पर यह विचार के लिये प्रस्तुत है। इस प्रदेश में कई किताबें जब्त हुई उनके नाम मैं काल-क्रमानुसार बताऊंगा। लेकिन जो पुस्तकें जब्त की गई हैं, उनमें कोई संगति नहीं है उनमें कोई नियमबद्धता नहीं है। ऐसा लगता है कि जो मुख्य मंत्री आया, उसकी मनपसन्द जो चीज नहीं है, उसको जब्त कर लिया गया। इससे यह कठिनाई पैदा हो गई कि पुस्तक को जब्त तो सरकार कर लेती है और उसमें लिखे विचारों को रोकने की कोशिश करती है, किन्तु उसकी जब्ती में कोई संगति या पात्रता न होने के कारण जनता में रोष भी फैलता है और कभी कभी इसमें हमारे संविधान का भी अपमान हो जाता है। उदाहरण के लिए सन् 70 की 12 सितम्बर को उत्तर प्रदेश सरकार मे जब चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और कमलापति त्रिपाठी उनकी सहायता में थे, दोनों मिलकर सरकार चला रहे थे, तब भारत के संविधान निर्माता बोधि-सत्व बाबा साहेब डाक्टर भीमराव अम्बेदकर की किताब-'सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें, को जब्त किया गया था। जब यह खबर फैली तो सारी जनता में एक तेज रोष की लहर दौड़ गई। लेकिन सरकार ने जब्त कर लिया। यह जब हमको मालूम हुआ तो कोशिश की और उस किताब की जब्ती के विरुद्ध श्री लालइन सिंह यादव से हाई कोर्ट में रिट कराई। समय बीत चुका था इसका, फिर भी उस पर हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि चूंकि यह महत्वपूर्ण मसला है, इसलिये समय के विलम्बन को माफ कर देते हैं और इस पर विचार किया जाय।

मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि जिस किताब को उस वक्त सरकार ने जब्त किया था, उस किताब को हाईकोर्ट के तीन जजों की एक खण्ड पीठ ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर की यह किताब पूर्णतया संविधान के अन्तर्गत है और इसको जब्त करना अनुचित है। इस फैसले के साथ ही उसे सरकार से उसको जुर्माने के रूप में 500 रुपया दिलावाया और वह किताब खोल दी गई।

इसके बाद एक किताब 'सच्ची रामायण छपी। उस पर मुझे आश्चर्य हुआ, वह किताब सन 30 में छपी थी, उसे रामास्वामी नायकर ने तमिल भाषा में लिखा था। फिर वह किताब 59 मे अंग्रेजी में 'रामायना ऐण्ड इटस ट्रे रीडिंग' के नाम से अंग्रेजी भाषा में छपी। फिर वह किताब सन् 68 में हिन्दी में अनुवादित हुई और 20 दिसम्बर, 69 को उसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब्त कर लिया। दिल्ली की सरकार ने जब्त नहीं किया। सन् 1930 से वह किताब चल रही थी लेकिन वर्ष 1969 में यू0 पी0 की सरकार ने जब कि यहां पर श्री चन्द्रभानु गुप्त, मुख्य मंत्री थे उसको जब्त कर लिया। 28-2-1970 को जब्ती के खिलाफ रिट होगयी और 19-1-1971 को उस पर फैसला हो गया जिसके फैसले में यह कहा गया कि जब्ती को रद्द किया जाता है, जब्ती अनुचित रूप से की गयी है और जब्ती के लिये 300 रुपये सरकार मुद्दई से दिलवाये गये और किताब खुल गयी। सरकार ने यह सोचा कि उसकी जब्ती तो संवैधानिक है। तो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील कर दी। उसने भी सरकार की अपील को खारिज कर दिया। तो सिद्ध हो गया कि वह संविधान सम्मत है। यदि कोई पुस्तक विधान के विपरीत हो अगर वह जब्त हो जाय तो कोई बात नहीं लेकिन जो किताब विधान के सम्मत थी उनको भी जब्त कर दिया गया।

(इस समय 3बजकर 41 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

तीसरी बात यह है कि वर्ष 1978-1979 में एक किताब श्री सुन्दर लाल सागर की थी "हिन्दू संस्कृति भेद वर्ण व्यवस्था और जाति भेद"। उसको भी जब्त कर लिया गया और इसमें विचित्र तर्क दिया गया। यह जरूर है कि ये जब्ती को गजट में प्रकाशित करते हैं लेकिन वे गजट जिनमें इनको कानून के अनुसार छपवाया जाता है, साधारण जनता के सामने नहीं पहुंच पाते हैं। अगर सरकार को जब्त ही करना हो तो लेखक को नोटिस जाना चाहिये और उसे यह बताना चाहिए कि यह अंश गलत है और इनसे संविधान का इस प्रकार से हनन होता है। यह इस प्रकार से कानून के विपरीत है और लेखकों को कहना चाहिये कि या तो इनको हटाइए अन्यथा इनको जब्त किया जायेगा। ये जब्त हो जाती है लेकिन कोई नोटिस नहीं जाता है। एक दम छापा पड़जाता है और जब जब्ती से छूटती है तब भी कुछ नहीं होती है। कठिनाई यह है कि किताब को जब्त करने के सिलसिले में एकदम ताना शाही का रवैया अपना लिया जाता है और कभी कोई नोटिस नहीं दी जाती है लेकिन जब्त करने के आदेश जारी हो जाते हैं और पुलिस चुपके से जाकर सारी प्रतियां उठा ले जाती है। हमारे नये मुख्यमंत्री जी तो एक कदम और ऊपर हैं। एक किताब "गांधी जी की विचित्र अहिंसा" और जब्त हो गयी है। एक ओर तो संविधान की धारा 19 का उल्लेख किया जाता है कि हर आदमी को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है और दूसरी तरफ किताबों को अन्धाधुंध तरीके से जब्त किया जाता है। 2 किताबें "सम्मान के लिये धर्म परिवर्तन" और सच्ची रामायण् जिसे रामास्वामी नायकर ने लिखा है, दोनों पुस्तकों को उच्च न्यायालय से भी संविधान सम्मत ठहराया गया लेकिन जब्त हुयीं। तो मेरे कथन को इससे बल मिलता है कि जो सिलसिला जब्ती का जारी हुआ है कि यह पुस्तक संविधान के विपरीत है तो इस काम को करने में लिए एक रूपता रहे, समता रहे। प्रदेश के नागरिक को मालूम नहीं है कि मुख्य मंत्री के जब मन में आता है या उनको सनक होती है तो किताब जब्त हो जाती है और मन नहीं तो किताब जब्त नहीं होती है। तो कोई न कोई तरीका अवश्य होना चाहिये जब्ती के लिये।

एक और "अंगुली माल नाटक" है कि जिसे बौध धर्म के लोगों ने लिखा है। इसको जब्त नहीं किया गया लेकिन एक दिन सी0 आई0 डी0 के लोग श्री लालई सिंह यादव के यहां पहुंचे और उनसे कहा कि अगर इसको छापोगे तो इसकी एक एक पंक्ति हमको दिखाकर छापोगे। मेरे पास उनकी चिट्ठी आयी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि यह किस कानून में लिखा है कि हम किताब का हर पन्ना सी0 आई0 डी0 को दिखाकर छापें। अगर ऐसी बात है तो फिर हमारे लिखने और विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही कहां रह जाती है। उन्होंने तो एक नाटक जो लिखा हुआ था उसको एक सहज रूप में अपनी भाषा में उसको लिखने का प्रयास किया। अब उनको यह कहा गया कि वह हर पन्ना सी0 आई0 डी0 को दिखाकर छापें। सरकार की इस हस्तक्षेप करने की नीति से वैचारिक स्वतंत्रता का ह्रास होता चला जा रहा है।

मान्यवर, अभी हमें इस सरकार का एक और दूसरा रूप देखने को तब मिला जब एक संकल्प यहां पेश था और उधर के सदस्य इस बात को कह रहे थे कि हम उनको बोलने नहीं देंगे और उनका तर्क यह था कि यह राष्ट्रीयगान है। अब इस संबंध में क्या हम अपनी विवेकपूर्ण बात भी नहीं कह सकते? जिस संविधान को आपने सर्वोपरि माना है, उसी संविधान में आपने 44 संशोधन किये हैं। अगर आपको उसके प्रति इतनी श्रद्धा और सम्मान है तो आपने उसमें संशोधन इतने सारे क्यों किये, उसे उसी रूप में बने रहने देते जिस मूल रूप में वह बना था।

मान्यवर, श्रद्धा और विवेक में बड़ी दुश्मनी है। जहां श्रद्धा होती है वहां विवेक नष्ट हो जाता है और जहां विवेक होता है वहां श्रद्धा नष्ट हो जाती है। इसके अलावा, मान्यवर, श्रद्धा अन्धविश्वास को जननी है। हम श्रद्धा के साथ साथ अपनी विवेक बुद्धि को भी लगाते हैं लेकिन उधर के (सत्ता पक्ष) माननीय सदस्यों ने अपनी विवेकबुद्धि को लगाने की आदत

को समाप्त कर दिया है। अगर ऐसा होगा तो फिर भीड़ तन्त्र रह जायेगा, लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा। मैं इस आदरणीय सदन के द्वारा यह आवाज जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि भीड़तंत्र जनतंत्र का स्थान कभी नहीं ले सकती। हिटलर ने उसको चालू किया था और उसकी आस्था भीड़तंत्र में थी। जर्मनी ने उसको नेता माना था। यहां भी जो जितनी बड़ी रैली लेकर दिल्ली जाता है वही सबसे बड़ा नेता माना जाता है। यह सरकार 2/3 बहुमत लेकर दिल्ली में पहुंची, सारे किसान मजदूरों का मत उनकी तरफ था, इसमें स्वयं उनको संदेह था। इसलिये जनतंत्र के स्थान पर भीड़तंत्र में विश्वास किया और एक रैली को। अब विवेक की बात नहीं रह गयी है। मैं अगर उस जगह पर होता तो अगर कोई तर्क की बात करता तो उसका उत्तर तर्क से देता। लेकिन उस पक्ष में एक सचेतक जारी करके सबको आदेश कर दिया गया कि वे इसका विरोध करें। सचेतक का कोड़ा जब लगता है तो उनका विवेक काम नहीं करता। मैं नम्रतापूर्वक आपके द्वारा उधर के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे कृपया अपने विवेक को न खोयें। सचेतक के आदेशों के बारे में वे अपने अलग कमरे में बैठकर बात करलें कि कहां पर सचेतक का हस्तक्षेप होना चाहिये और कहां पर नहीं होना चाहिये। किन परिस्थितियों में सचेतक को आज्ञा जारी करना चाहिये, इस पर आपको विचार करना चाहिये। नहीं तो फिर वाक्य स्वतंत्रता रह ही नहीं जायगी और उससे इस आदरणीय सदन की गरिमा भी नष्ट होगी। यह सारे देश की सबसे बड़ी विधान सभा है और इसके निर्णय सारे देश में अनुकरणीय होते हैं। जब हम विवेक खोकर निर्णय करेंगे तो लोग कैसे उसका पालन करेंगे?

मान्यवर, मैं तो इस राय का हूं कि कोई भी किताब जब्त नहीं करना चाहिये अगर वह अश्लील साहित्य न हो और किसी धर्म के खिलाफ न हो। क्रिटिसिज्म आफ ए रिलीजन वाउचड इनरेस्ट्रेस्ड लैंगुएज इज नाट ए क्राइम अन्डर सेक्शन 153 (ए) सी आर0 295 (ए) आफ इन्डियन पैनल कोड यानि मतलब है कि अगर मर्यादित भाषा में किसी धर्म की आलोचना की जाय, तो वह आलोचना 295 (ए) और 153(ए) भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दण्डनीय नहीं हो सकती। 153-ए में जाति का विद्रोह खड़ा हो सकता है, 295-ए में धर्म का विद्रोह खड़ा हो सकता है। इसमें हमारा संविधान बहुत अच्छी तरह से स्वतंत्रता देता है। कहां स्वतंत्रता नहीं देता है, उसके बारे में विचार करना चाहिये। जो परन्तुक में दिया है, संविधान की धारा 19 का उल्लेख उसमें दिया हुआ है। राष्ट्रीय अखण्डता पर आंच आए, किसी के धर्म पर ऐसी आंच आवे या किसी वर्ग के खड़ा होने की बात आवे, तो ऐसी दशा में तो रोक लगानी ही पड़ेगी, तब जब्त करिये आप उस किताब को लेकिन जब्त करने के लिये मुख्य मंत्री को इच्छा नहीं होनी चाहिये, मुख्य मंत्री विभिन्न प्रकार के आते हैं, कोई किसी जाति का है, कोई इसाई है, कोई सिक्ख है, कोई किसी किस्म का है।

तो मैंने इसलिये इसमें, विधेयक में कहा है कि एक कमेटी बना दो। 11 आदमी की कमेटी बना दो, क्योंकि अभी तक जितनी किताबें जब्त हुई हैं, हमारे मित्र कहेंगे कि इसमें कोई उच्च वर्गीय आदमी नहीं है आपकी कमेटी में, मैंने कहा है कि एक कमेटी ऐसी बना दो, जिस कमेटी में 11 आदमी हों, वह 11 आदमी सरकार नामजद करेगी। उसमें कोई विरोधी पक्ष से मान्यता लेने की जरूरत नहीं है। उसमें तो वही विद्वान होंगे, जो मानव समता के हामी और मानववाद के ज्ञाता होंगे। लेकिन वह किन वर्गों से लिये जायेंगे? बौध 1, इसाई 1, सिक्ख 1, आदिवासी 1, अनुसूचित जाति एवं जनजाति 2, मुसलमान 2 तथा पिछड़े वर्ग के 31 इन 11 आदमी की अगर आप विद्वानों की कमेटी बना दें और वह प्रदेश में तीन तरह से काम करे। या तो सरकार जब्त होने योगा पुस्तक विचार करने के लिये कमेटी को दे आप उसे अधिकार दे दें कि वह अपनी तरफ से जो पुस्तक संविधान की विरोधी हैं, जिसकी वजह से संविधान को ठस पहुंती है, ऐसे ग्रंथों को जब्ती की सरकार से सिफारिश करे। तीसरी, अगर किसी व्यक्ति ने कोई किताब लिखी है, जिससे संविधान का हनन होता है, तो उसको जब्त किया जाय या अगर कई किताब जब्त होने योग्य है, तो कोई

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

व्यक्ति उसको कमेटी को दे दे, उस पर वह विचार करे। तो एक कमेटी इस तरह की बनी रहे। जब ऐसे ग्रंथ आवें तो वह उस पर विचार करके सरकार को सिफारिश कर दे और उसके अनुसार सरकार काम करे। सरकार उस एक कमेटी के विचारों के बाहर अगर जब्ती को सिफारिश नहीं करती है, तो उसको जब्त करने की हैसियत नहीं रही है, जिसको जब्त करने के लिये अगर वह कमेटी न कहे, उसे वह सरकार जब्त नहीं कर सकती। तो सरकार को मुंह की खानी पड़ती है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने मुंह की खानी पड़ी है, वह मुंह की खाना बंद हो जायगा और तर्क सम्मत, जन सम्मत आदरणीय होंगे। तो इस वजह से मैं विधेयक को प्रस्तुत कर रहा हूं कि आदरणीय सदन इसके सभी अंगों पर विचार करें।

इस सदन के सामने एक सवाल यह है वैसे इस सदन के किसी सदस्य के प्रति मेरे मन में रंचमात्र भी सन्देह नहीं है, हर सदन का सदस्य इस बात की प्रतीज्ञा कर चुका है कि हम संविधान की मर्यादा का पालन करेंगे और संविधान के अनुच्छेद 14 से 18-19 तक, जिसमें सभी प्रकार के समत के अधिकार दिए हुए हैं उसका पालन करेंगे। सदन के किसी सदस्य के विषय में मैं सोच भी नहीं सकता कि उनका मन ऐसी समता पर लगा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ विषमता के मामले आ जाते हैं। कभी कोई यह भी सोचता है कि कोई वर्ग विशेष नाराज न हो? एक विचार आ जाना चाहिये कि समता की संस्कृति निश्चित रूप से चलायी जानी चाहिये या विषमता की संस्कृति ही चलायी जानी चाहिये। अगर विषमता की संस्कृति चलनी है तो चलती रहे गुणावगुण के आधार पर परन्तु यह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे फुहार में बैठकर कोई तूलिका से चित्र बनाये। इसमें चित्र बनेगा तो अवश्य लेकिन वह धुलता बनेगा। उसी तरह संविधान में जो कार्य हैं सामाजिक समता के वे उन ग्रन्थों से चूर-चूर हो जाते हैं जो नित्य प्रति विषमता का उद्घोष करते हैं। इस सदन के सदस्य समता परक नीतियों के हामी हैं। संविधान में एक नयी धारा 51-ए जोड़ी गयी है, जिसमें कहा गया है कि--

"भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह मानववाद को पनपाये, वैज्ञानिक चिंतन का विकास करे और अन्ध विश्वास को विनाश करे।"

जो अन्ध विश्वास है या तर्क सम्मत नहीं है, उसका नाश करना हर सदस्य का, हर नागरिक का कर्त्तव्य है और सामाजिक समता की भी यही मांग है। तो जो ग्रन्थ जाति भेद कारक हैं, जो नीतियां भेदभाव को स्वीकृति प्रदान करती हैं और जो चमत्कार पूर्ण साहित्य है, उसे अगर हम संविधान विरोधी समझते हैं, तो वह उचित है।

हमारे यह दो सुझाव हैं। पहली बात यह है कि संविधान के उपबन्धों के अनुरूप आप सोचते हैं, यही चाहते हैं कि इस कमेटी में सभी पिछड़े लोग हों और अगर वह यह समझते हों कि यह साहित्य ठीक नहीं है और जब्त किया जाय, तो आपको इसमें क्या परेशानी है, क्योंकि वह तो संविधान का विरोधी है। इसीलिये हमने यह विधेयक प्रस्तुत किया है और इस आशा से किया है कि अगर सदन समता को मानता है और यह विषमता की जो फुहार पड़ रही है और विचार तूलिका से मानववाद का चित्र नहीं बन पा रहा है, तो आप इस विषमता को दूर करिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बाबू रामस्वरूप वर्मा जी के तर्क को बहुत ही ध्यान से सुना और मुझे यह भी खुशी है कि मुझे बहुत कुछ इससे "इनलाइटेनमेण्ट" भी मिला। वास्तव में इधर साल भर मुझे आए हुआ इस सदन में, कभी वर्मा जी को सुनने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्विक्षण नहीं किया।

का इत्तफाक नहीं हुआ। और देखने का इत्तिफाक तो हुआ यहां आने पर लेकिन आने के पहले उनका नाम भी सुना करता था। उनका नाम कुछ खास मुद्दों से एसोशिएटेड था लेकिन मुझे कुछ पढ़ने लिखने का शौक होने के नाते उनके विचारों को मैंने पढ़ा था किन्तु आज जब उनको सुना तो मुझे ताज्जुब हुआ और दुख भी हुआ। इस पर एक विद्वान की लिखी बात याद आती है, वह बहुत ही बुजर्ग हैं और कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं तो हमेशा उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जो विद्वान ने कहा है वह यह है कि : "एजूकेशन इज नो गारन्टी फार विजडम' और इसी के साथ-साथ दूसरी बात यह भी कहा है

"आई हाउ एवर फान्इड एनादर सिस्टम इन अवर वर्ल्डली कम्पेट्री आर्ट्स। आई मीन दि नैरो माइन्डडनेस शीन बाई दि वेस्ट आफ इन्टेलैक्ट्स"।

श्री अध्यक्ष--

हिन्दी अनुवाद भी कर दें।

श्री लाल प्रताप सिंह--

यह दोनों विचार मुझे मान्यवर, यहां मिले। मान्यवर, श्री वर्मा जी के कथनों के मुताबिक कुछ ऐसे साहित्य हैं, जिनमें कुछ ऐसी बातें लिखी गयी हैं, जिनको जब्त कर लिया जाय तो बेहतर होगा, पुरानी बातें लिख दी गयी हैं उनको आप जानते होंगे। हर एक का अपना-अपना गुण है। अंग्रेजी में एक बात यह भी कही गयी है कि :

"एजेस आर नो मोर इनफेलिबली दैन इडिविजुअल"

यदि कोई इंसान गलती करता है तो उतनी गलती समय भी कर सकता है ? लेकिन समय बीतने पर गल्तियों को जागरुक करने की तरफ भी लोग हैं। और उन्होंने कन्टराडिक्शन भी किया है। यदि भाईयों के प्रति और दूसरों के प्रति गल्ती किया है, तो दुनियां में बहुत अत्याचार हुये हैं जिनको गिनायें तो आप आश्चर्य चकित होंगे। 40 हजार आदमी इराक में पोलिटिकल प्रिजनर हैं। लगभग 2 हजार व्यक्ति ईरान में गोली से उड़ा दिये गये। किसी एज में कोई गलती हो सकती है। इस सम्बन्ध में मैं अंग्रेजी से एक लाइन कहना चाहता हूं—डिस्पैरिटी आफ कास्टिज्म इज दि ग्रेटेस्ट हिडरेंश इन दि ह्यूमन प्रोग्रेस। कैसे इंसान बना, कैसे जिया, किस तरह के अत्याचार हुये, यह सब चीजें समय से हुई है। इस 20 वीं शताब्दी में इस साइंस और टेक्नोलाजी के युग में पहुंच चुके हैं कि इस इनजस्टिस को नेस्तनाबूत करने को आरूढ़ है। लेकिन इसको करने के लिये धैर्य से काम करना चाहिये। मान्यवर, मुझे निग्रो की एक बात याद आ गई मैं उसे कहना चाहता हूं उसने कहा--"मैं यह नहीं चाहता हूं कि चूंकि मैं काला हूं इसलिये मुझे किसी पद पर बैठा दो लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि चूंकि मेरा रंग काला है और योग्यता है किसी पद पर बैठने की तो उस पद पर हायर पद पर न बैठाओ। किसी तरह का कोई भेद भाव न हो। यही हमारा संविधान कहता है। चाहे नौकरी की बात हो, चाहे और तरह की बात हो, किसी तरह का डिस्क्रीमिनेशन नहीं होना चाहिये, यही उचित रास्ता है। लेकिन किसी को लड़ाकर, नफरत की भावना पैदा कर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक लाइन अंग्रेजी का कहना चाहता हूं--इफ बी इन्टर इन टू क्वायरल एबाउट दि पोस्ट,

बी आर बाउन्ड टू लूज फ्यूचर।

किसी एक कम्यूनिटी को दूसरी कम्यूनिटी से लड़ाकर कोई फायदा नहीं है। हमारे वर्मा जी बुजुर्ग सदस्य हैं, मैं किसी को रेस्पेक्ट के अलावा कुछ कह नहीं सकता और मुझे परेशानी हो रही यह बात कहने में। मैं इनके बिल की एक धारा को पढ़ा इसमें लिखा है। एक समिति बना दी जाय जिसमें बौद्ध, ईसाई, सिक्ख, आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं जन जाति, मुसलमान तथा पिछड़े वर्ग के हिन्दू हों। मैं पूछना चाहता हूं वर्मा जी से क्या यही

[श्री लाल प्रताप सिंह]

तरल जिन्दगी है जिससे इस मुल्क को बनाना चाहते हैं पैनेटिज्म और उग्रवादी नीति से अगर बेहतर उद्देश्य हो तो वह भी पूरा नहीं हो सकता है। मैं यूरोपियन हिस्ट्री का विद्यार्थी रहा हूं मैंने गहराई से अध्ययन किया है बहुत कुछ तो भूल गया लेकिन जो इतिहास है वह बताता है कि व्यक्ति या संस्था सही उद्देश्य को लेकर चलती है वह भी कामयाब नहीं हो सकती है उग्रवादी नीति से।

फ्रेन्च रिवोल्यूशन में राब्स पियर और डेटा ने जो रूसों के अनुयायी थे, प्रजातंत्र कायम करने के लिये उग्रवादी नीति का सहारा लिया जिसके कारण वह फांसी पर लटका दिये गये और वहां लोकतंत्र भीनहीं रह गया और नैपोलियन आ गये। मैं वर्मा जी से कहूंगा कि आप परसू करें लेकिन उग्रवादी नीति के आधार पर नहीं, नहीं तो इसका उद्देश्य बेकार हो जायेगा। तो जरा इस पर विचार करें और सोचें कि जिस तरह से कैनिटिकली आप चलना चाहते हैं क्या वह उचित है? अभी-अभी मुल्क के नेता है, श्री जग जीवन राम उन्होंने कुछ कहा। जिससे मुझे बड़ी तकलीफ होती है। उन्होंने कुछ ऐसी बातें एक वर्ग के खिलाफ कहीं, जिससे मालूम होता है कि उनके दिल में कोई खास बात पैदा हो गयी है। मैं आपसे, निवेदन करना चाहता हूं कि मिलियंस एण्ड मिलियंस, करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे को, जिनकी शक्ल को मैं नहीं जानता, जिनका पता नहीं है और उन लोगों ने हरिजन उत्थान के लिये बहुत से काम किये हैं। तो जैसा जगजीवन राम जी ने कहा वह अनुचित है, ऐसी बात कोई कह नहीं सकता है।

श्री यदुनाथ---

क्या आप बिल पर बोल रहे हैं?

श्री लाल प्रताप सिंह---

मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूं वह आप जरा सुनें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि उन्होंने ऐसी बात कह दी, आखिर दादा भाई नौरोजी, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, आशुतोष मुकर्जी और राम कृष्ण परमहंस जी जिन्होंने पहली दीक्षा एक हरिजन से ली, गांधी और नेहरू जिन्होंने हरिजन उत्थान की बात की है आखिर यह लोग कौन थे? यह है क्या चीज जिसको आप कह रहे हैं? मैं निवेदन करना चहता हूं कि बहुत से ब्राह्मण हैं, मैं जाता हूं उनके समीप, उनका शरीर कोमल है, उनके विचार उच्च हैं, मैं उनसे प्रभावित होता हूं, और जो लोग उनके पास जाते हैं वह प्रभावित होते हैं। वह वर्ग और दूसरी चीजों से ऊपर हैं, आप उनके दर्शन करेंगे तो प्रभावित होंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ कहना उचित नहीं है। मैं फिर कहता हूं, "नैरो माइंड नेस शोन बाई दि बेस्ट आफ इंटरेक्यूअलस" जो कुछ भी है, आरक्षण है या कोई और चीज है, उसका मैं विरोधी नहीं हूं। मुझे उनसे दिल से मोहब्बत है, वह उत्थान करें। जैसे किसी आदमी के चार बच्चे हैं, एक बच्चा बीमार है, दमा का मरीज है। उसके लिये वह ज्यादा परवरिश करता है कि वह ठीक हो जाय तो उसी तरह से हमारे कोई भाई पिछड़े हुये हैं तो यह हमारी सरकार का कर्तव्य है कि उनको सुविधा दे और उनका उत्थान करे।

(मेजों की थपथपाने की आवाजें।)

लेकिन उसी के साथ साथ यह भी है कि कोई भेद-भाव ऐसा न हो जिससे नफरत की भावना पैदा हो जो आपने लिखा है, हिन्दू, ईसाई, सिक्ख आदि इसी कांटेक्स्ट में, मैं कह रहा हूं। जरा देखें आपने क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनें। बौद्ध, इसाई, सिक्ख, आदिवासी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, मुसलमान तथा पिछड़े वर्ग के हिन्दू, क्या मतलब है वर्मा जी इसको, आप सोचें। आप बुद्धिमान भी मालूम होते हैं, आप इन चीजों पर विचार करें। मैं फिर कह रहा हूं कि किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन आप लेंगे तो इसका रूप जो है, वह दूसरा हो जायगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग कृपया आपस में बातचीत न करें।

श्री लाल प्रतापसिंह—

आपने जो अध्ययन किया है, आपकी जो पर्सनालिटी है और व्यक्तित्व है, अंडर लाइंस प्रिंसिपल्स आफ लाइफ जो हैं, उन पर मैं नजर डाल रहा हूं। होल पर्सनालिटी रिफ्लेक्टेड है उसमें। होल विचार इसमें रिफ्लेक्टेड हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ी देर के लिये आप सर्विस का ही मामला लें, मेरिट पर लेते हैं तो ऐसा क्लास सामने उभर कर आता है जो टैलेंटेड लोगों का क्लास है, टैलेन्टेड लोगों का मेरिट पर आया हुआ क्लास है और यही लोकतंत्र का चमत्कार है और यहां डिस्टिंग्यूशिंग मार्क है। इसलिये यही तरीका अपनाना चाहिये। अमरीका में नेश्लेटीज है, लेकिन हमारे यहां कम्युनिटीज हैं, उन्होंने अपना रास्ता साफ कर लिया है, उनके यहां इस तरह का कोई मामला नहीं उठता। लेकिन हमारे यहां यह सारी चीजें उठती रहती हैं। तो इस तरह से जहां छोटी-छोटी बातें रोज सामने आयेंगी। आज जो विचार हैं, वह कल मिट जायेंगे, जमाने के साथ-साथ हर चीज का परिवर्तन होता रहता है, इसलिये पीसफुली तरीके से काम लेना चाहिये, तभी देश को सही मार्ग मिल सकता है। इसलिए मैं आज लोगों से निवेदन करूंगा कि देश को सही मार्ग दिखाने के लिये, इसके आगे ले जाने के लिए एक दूसरे के सहयोग की जरूरत है, एक दूसरे की सही ओपिनियन की जरूरत है। तभी देश एक्यूलूशनरी यानी धीर-धीरे आगे बढ़ सकता है। अगर कोई किताब कान्स्टीट्यूशन के खिलाफ है, तो इस बात को संविधान में भी दिया गया है कि उसको न्याय पालिका में दिया जा सकता है, ऐसी चीज न्यायपालिका में ही ठीक हो सकती है। इसमें कोई कानून या कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसा न करके अपने मन के विचार का प्रदर्शन इस रूप में करना चाहते हैं, तो उसमें सफलता नहीं है।

इसलिये आपसे एक बात का निवेदन करूंगा कि किसी भी मामले पर विचार करें, तो पहले अपने मन के विकारों को दूर करें और फिर उस पर उचित ढंग से विचार करें, तभी किसी लक्ष्य को पा सकते हैं। यह जो देश और प्रदेश के लोगों को बैकवर्ड और फारवर्ड कहकर सम्बोधन करना मेरी दृष्टि में उचित नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिये। यह बड़े दुःख की बात है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुल्क को अगर नफरत की भावनाओं से ऊपर उठाना चाहते हैं और उसको आगे ले जाना चाहते हैं, तो इस प्रकार के कुंठित विचारों को छोड़ना होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शांत रहिए। बीच-बीच में टीका-टिप्पणी न करें।

श्री लाल प्रताप सिंह—

समाज के ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिये जो अच्छे विचारों के हों, साइन्टिस्ट हों और टेक्निकल हैंड हों, क्योंकि आपको दुनियां के मुकाबले में खड़ा होना है। यह तभी सम्भव हो सकता है, जब समाज को उत्थान में आपका सहयोग हो।

(लाल बत्ती जलने पर)

एक बात मुझे याद आ गयी, दो मिनट का समय और दें। "एक राजा ने अपने ब्राह्मण महात्माओं से एक बात पूछी कि राज्य को कैसे खुशहाल और शक्तिशाली बनाया जाए। तो उन लोगों ने कहा कि जितने भी प्रिविलेजेज हैं, उनको समाप्त कर दीजिए और धन जितना ज्यादा हो सके, उसको पैदा किया जाए और ज्ञान जहां कहीं से भी मिले, उसको अपनायें। और दो बातें मैं अपनी ओर से इसमें जोड़े देता हूं कि हर चीज का वातावरण और व्यवहार सही होना चाहिये और किसी के साथ भेद-भाव नहीं होना चाहिये।

[श्री लाल प्रताप सिंह]

नफरत पैदा करके आगे नहीं ले जा सकते। अभी प्रतापगढ़ में मंडल साहब आये थे जो बैकवर्ड कमीशन के चेयरमैन हैं। उन्होंने जिस तरह का भाषण दिया उसे सुनकर मुझे तकलीफ हुई कि इस तरह के पढ़े-लिखे लोग नफरत की भावना पैदा करते है। ये समाज को इंटेलेक्चुअली कैसे ऊंचा उठा सकते हैं? इनको हिस्ट्री तथा सोशियोलाजी तक का ज्ञान नहीं है। ये हायर परपज आफ लाइफ से वाकिफ नहीं है। जब आदमी ऊंचा उठ जाता है तो उसकी निगाह में कोई जात-पांत या धर्म की भावना नहीं रह जाती। सबके लिये वह समभाव होता है। वैसे दुनिया में कुछ न कुछ छोटा बड़ा हमेशा रहता है, रहा है और रहेगा और रहना भी चाहिये। यह दुनिया कुछ इस तरह की बनी हुई है लेकिन कोशिश यह होनी चाहिये कि किसी के साथ भेदभाव न हो। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करूंगा कि वह अपने विचारों को बदल देंगे। रामायण में जो कोई गलत बात लिख दी गयी है उसको भूल जायेंगे जैसे किसी पोयट ने लिखा है उस पर अमल करेंगे:--

"डोन्ट विलीव फ्यूचर हाउ एवर प्लीजेन्ट, लेट, दि पास्ट बरी इट्स डैड ऐक्ट, ऐक्ट इन दि लिविंग प्रेजेन्ट हार्ट विदिन एण्ड गाड ओवरहेड।

श्री यदुनाथ--

माननीय अध्यक्ष महोदय, राम स्वरूप वर्मा जी के जो संशोधन विधेयक पर बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। राम तीर्थ परम हंस के बाद वर्तमान समय में गांधी के नाम को नहीं भुलाया जा सकता। कम से कम संसदीय कार्य मंत्री तो उनका नाम नहीं भूल सकते। अल्पसंख्यकों का जिक्र जहां आता है, वहां गांधी जी का नाम अवश्य लिया जायेगा। भारत के संविधान में बाबा साहेब अम्बेदकर, राजेन्द्र बाबू तथा जवाहर लाल का नाम अवश्य लिया जायगा। भारत के संविधान के नाम पर 15 अगस्त, 26 जनवरी तथा 2 अक्तूबर की तारीख बराबर याद की जायगी जिनमें भारत के कर्णधारों की बात याद की जाती है। भारत के कर्णधार, देश के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री बनने की बात ट्रेजरी बैंचेज के लोग हमेशा से करते हैं। जब मेरा विद्यार्थी जीवन था जो मैं उनके भाषण सुना करता था कि देश के बच्चे भारत के प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे। यह काम्पलेक्स पैदा किया जाता है। लेकिन उसके 34 वर्ष बाद भी पूर्वांचल में आज रोटी नहीं मिल रही है। बहुत सी जगहों पर बच्चों को दूध नसीब नहीं होता है। इस विधान सभा में 32 अरब 54 करोड़ का बजट पास होता है और प्रदेश की जनता 11 करोड़ है लकिन लोगों को आश्चर्य होता है श्री प्रदीप कुमार यादव के संकल्प को देखकर जिसमें जन गण मन अधिनायक के स्थान पर राष्ट्रीय गीत बन्देमातरम् की बात कही गयी थी जिसे बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय ने रचा था। उस समय के क्रांतिकारी राजगुरू, सुखदेव, भगत सिंह की जबान पर यह गीत रहता था.....

श्री अध्यक्ष---

वह चैप्टर समाप्त हो चुका है। आप वर्माजी के संकल्प पर बोलिये

श्री यदुनाथ--

कुछ चीजों का जिक्र मुझ से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कर दिया था। जिस प्रकार सामान्य प्रशासन पर जनरल डिसकशन माननीय सदस्य कर दिया करते हैं ऐसे ही इस संकल्प पर कुछ माननीय सदस्यों ने उस उठा दिया था जिसका मैं उत्तर दे रहा हूं।

मान्यवर, इस बिल में माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने भारतीय संविधान का उल्लेख किया, उसमें 44 संशोधन हो चुके हैं, माननीय सदस्य भी कुछ संशोधन देना चाहते थे। मैं समझता हूं कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये थी क्योंकि आपकी निश्चित मिसाल है कि आप आरक्षण के नाम पर सारी सुविधायें देते हैं, आप आरक्षण के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। आरक्षण आप देते हैं स्कालरशिप के मामले में पढ़ने और पढ़ाने के नाम पर

छात्रों को आरक्षण देते हैं कि यह मुसलमान है, यह हिन्दू है, यह ब्राह्मण है, यह शूद्र है। यहां पर बहुत से शूद्र होंगे, बहुत से कुम्हार होंगे। भारत के संविधान में 44 परिवर्तन हो चुके हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं गणतन्त्र के मामले में, लोकतन्त्र के मामले में संविधान में परिवर्तन हो सकते हैं। रामस्वरूप वर्मा जी के संशोधन से किसी माननीय सदस्य को या किसी वर्ग को उस मामले से नुकसान पहुंचाना नहीं था। आप बोलने की आजादी देते हैं, भाषा की आजादी देते हैं, मौलिक अधिकार देते हैं। प्रस्तावना में लिखा है कि कम से कम देश के नागरिकों को बराबरी के दर्जे का अधिकार दिया जाता है। किन्तु उनके बिल में संशोधन का प्रस्ताव देना बुरा है।

किसी प्रस्तावना के खिलाफ, सरकार के मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है यह एक बिल था। जब संविधान में 44 संशोधन हो चुके हैं, जो शूद्र ने बनाया था, शूद्र के नाम पर आज तक आप बड़े हुए हैं, डाक्टर अम्बेदकर के नाम दो पुस्तकें (1) सम्मान के लिये ही धर्म परिवर्तन करें (2) जाति भेद का उच्छेद जब्त करने पर हुए है। यदि आप यह संशोधन कर देते जो नई मानवता पैदा कर देगा। आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन कुम्हार जाति में पैदा हुए थे, मार्टिन लूथर नीग्रो थे, दीन दयाल उपाध्याय ब्राह्मण थे। बात यहां जाति की नहीं बल्कि ज्ञान की है। दीन दयाल उपाध्याय स्वामी दया नन्द सरस्वती ब्राह्मण थे, परन्तु मानवतावादी थे। इसी तरह से श्री राम स्वरूप वर्मा जी मानवतावादी हैं। संविधान में मानवता के नाते बिल लाकर संशोधन का प्रस्ताव तभी कर रहे हैं।

मुझे बड़ा आश्चर्य है इस बात का कि हम लोगों को यहां पर आये एक साल हो चुका है और शायद 4 अप्रैल को अधिवेशन भी समाप्त हो जायेगा, परन्तु अभी तक सब का परिचय भी नहीं हो सका है इस विधान मण्डल का तो मैं कह रहा था कि आप अपने चीफ मिनिस्टर को इतने अधिकार मत दे दीजिये, या तो यह बात हो कि 11 लोगों की एक समिति बना दीजिये और वहां से प्रस्तावित करा दीजिए। पहले आप कमेटी बना दीजिये कि थोड़ा बहुत संशोधन करना हो, तो ठीक रहे। चाहे आप उनमें तीन बैकवर्ड के जगह, सवर्ण हिन्दू भी रख लीजिये या 11 की जगह 13 लोगों को रख सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, आप समिति बनाइये जिससे कि आप हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के मुंह में खाना न डालें।

जातियों के आरक्षण में न पड़िये। यह नहीं, हम राजपूत है तो राजपूत की नीतियों को सराहें। मैं राजपूत हूं परन्तु राणा प्रताप की नीतियों को सही नहीं मानता। यह सच्चाई है कि आवश्यकता के अनुसार कुछ परिवर्तन करना जरूरी हो जाता है। मुख्य मंत्री को अगाध पावर नहीं होनी चाहिये और यह मुख्य मंत्री जी अभी गांधी जी की किताब "विचित्र अहिंसा" को जब्त किये हैं।

गांधी जी की विचित्र अहिंसा, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि गांधी जी के किताब लाल बहादुर की फोटो रखे हूं लेकिन मैं सोचता हूं कि गांधी जी का कैसा नमक आन्दोलन था, सविनय अवज्ञा आन्दोलन था। मुझे कभी-कभी अपने 19 साल के विद्यार्थी जीवन की याद आती है उस समय मैं नीग्रो मार्क्सिस्ट था और जैसे-जैसे उमर ढलती गयी गांधियन बनता गया। जय प्रकाश पहले मार्क्सिस्ट थे, बाद में उनकी विचार धारा में परिवर्तन हुआ। जे0 पी0 के नाम पर जो आन्दोलन हुआ, भारत की संविधान सभा का गठन करना चाहिये था, चुनाव की प्रणाली का परिवर्तन करना चाहिए था लेकिन हमारा दुर्भाग्य है और इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमारे मुख्य मंत्री विधान परिषद् के सदस्य हैं जो विधान सभा का 1/3 है।

भारत में 15 प्रांतों में विधान परिषद् नहीं है केवल 7 में दो हाउसेज हैं। एक संकल्प चला कि विधान परिषद् को समाप्त कर दिया जाये और अगर आपकी 2/3 मेजारिटी विधान परिषद् को भंग कर देती है तो आपके मुख्य मंत्री मुख्य मंत्री न रह पायेंगे। 6 महीने तक पहले हमने टालरेट किया। इसलिए 11. 13 की एक कमेटी बना दी जाये उसके आधार पर ही किताब को जब्त किया जाय ताकि आपको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मुंहकी न खानी पड़े।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं सबसे पहले सम्मानित सदस्य का ध्यान संविधान की धारा 25 (ए) की तरफ आकृष्ट करूंगा जहां पर यह कहा गया है कि कोई ऐसी बात नहीं कही जायेगी जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे उपबन्धों के अधीन रहते हुए सब व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का तथा धर्म के अबाध्य रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का हक होगा।

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है माननीय वर्मा जी ने बहुत-सी बातें कहीं और मेरी सबसे पहली आपत्ति यह है कि उन्होंने कहा कि यह भीड़ से जो सत्ता मिली है इससे कोई काम नहीं निकलेगा। मैं आपके द्वारा सूचित करना चाहूंगा कि प्रजातन्त्र का अर्थ है अधिक से अधिक लोगों का मत जिसे प्राप्त हो उसको सत्ता में आकर सेवा करने का मौका मिलता है। हमारे मतदाताओं को भीड़ से याद करना मैं समझता हूं कि वे प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं रखते। मान्यवर, डेमोक्रेसी की जो परिभाषा है वह यह है कि प्रजातन्त्र में हर व्यक्ति को आजादी है। यह मैं फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, जिन्होंने क्रांति की थी उनके अलफाज में बता रहा हूं कि हर व्यक्ति को आजादी है लेकिन ऐसी आजादी है जिससे दूसरे की आजादी पर प्रहार न हो। यह है आजादी की सही परिभाषा। और अगर इस तरह से हम अपने को नियंत्रित नहीं कर सकते; अपनी आजादी के साथ दूसरों की आजादी का ख्याल नहीं कर सकते तो मैं समझता हूं कि वह आजादी नहीं रह जाती बल्कि माबोक्रेसी हो जाती है।

माननीय सदस्य ने कहा, मैं उन पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि सब जानते हैं इतिहास रहा है, पिछली बातें रही हैं लेकिन जो विधेयक रखा गया है उसमें कहना चाहता हूं माननीय सदस्य चाहते हैं कि ऐसा साहित्य या ऐसी कोई किताब, कोई पत्र पब्लीकेशन जिस पर किसी प्रकार से एतराज हो, एक कमेटी के सुपुर्द करदी जाय और वह निर्णय से आप देखें कोई बात आज कही गयी, एक किताब में कोई ऐसी चीज लिखी गयी जिससे साम्प्रदायिकता भड़क सकती है, जिससे ऐसी बातें हो सकती हैं कि एक दूसरे के खिलाफ वातावरण बन सकता है। अब मान्यवर, एक कमेटी बनायी गयी एक सदस्य कहीं रहता है दूसरा कहीं रहता है, उनको कन्वीन किया गया; वह एक साथ बैठे उस पर विवाद हुआ, यह बिल्कुल ऐसा होता है जैसे जिलाधिकारी से यह कहा जाय कि जब कहीं भीड़ हो जाय, झगड़ा होने लगे तो आकर के मुख्यालय से या सचिवालय से मुख्य मंत्री जी के आदेश ले जाकर वहां पर लाठी चार्ज किया जाय या आंसू गैस फेंकी जाय। तितर-बितर किया जाय रोक लगाई जाय तो जब तक वह आयेंगे तब तक मामला इधर उधर हो जायेगा।

मान्यवर, जो भी ऐसी चीज जिससे समाज में किसी प्रकार की नफरत होती है आपस में जो खाई है वह जुड़ी होती है उसमें मैं समझता हूं वह स्वतन्त्रता के लिए; जनता के लिए घातक है और उस पर तुरन्त रोक लगाना चाहिये उसमें किसी कमेटी की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, अभी-अभी हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि विधान परिषद् को समाप्त कर देना चाहिये और उसकी जगह एक कमेटी बना देना चाहिये तो विधान परिषद् की जो गरिमा है अपर हाउस की उपयोगिता के सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिस पर वह अपने विचार भेजते हैं तो विरोधी दल की तरफ से यह जो मांग आई है कि विधान परिषद् को एबालिश कर दिया चाहिये मान्यवर, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन विरोधी दल को सोचना चाहिये कि उनका क्या होगा। मुख्य मंत्री जी तो चुनकर आ जायेंगे, लेकिन नेता, विरोधी दल कहां जायेंगे इस तरह की बात करना उचित नहीं है। सम्मानित सदस्य ने जो विधेयक रखा है वह किसी प्रकार से व्यावहारिक नहीं है माननीय यदुनाथ जी हर चीज को अपने हाथ में नियंत्रित करते हैं और उन्होंने जो विधान परिषद् के लिए कहा; उसकी प्रभुता और सर्वोच्चता में किसी को संदेह नहीं हो सकता लेकिन जो प्राविधान

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है; जो प्राविजन है; उसके अनुसार तो कार्य करना ही होता है। जैसे 152-ए है; 153 ए है. 295-ए है और 505 हैं यह सब तमाम चीजें मान्यवर, मौजूद हैं। माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा कि एक विधेयक लाया जाय और उस विधेयक के द्वारा एक समिति का गठन किया जाय, मैं यह समझता हूं कि वह किसी प्रकार से व्यवाहारिक नहीं है। इसपर एक शायर की बात याद आ गई। गालिब और मीर की वह कहते हैं कि:—

कलामे मीर समझें या जबाने मिर्जा समझें;

माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने जो कहा उनके लिये,

मगर इनका कहा यह आप समझें या खुदा समझे।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मुझे यह उम्मीद थी कि इधर के सदस्य इस पक्ष में राय देंगे अब माननीय मंत्री जी की राय आई है ऐसा लगता है कि उनके गले यह बात नहीं उतर रही है। लेकिन जो समिति बनेगी; समिति के गठन पर उनको विरोध नहीं है। तर्क उनका यह है कि कोई किताब निकली और उससे जातिगत द्वेष फैलेगा तो तुरन्त कार्यवाही करनी पड़ती है। मैं यह पूछता हूं कि जितनी; किताबें निकली जिनको जब्त किया गया वे कितने साल तक चलती रही। "सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करो" 1957 में छपी थी और जब्त की गई 1977 में। तब तक चलती रही। सच्ची रामायण 68 में निकली थी और 69 में जब्त की गई। दो साल चलती रही। यह कहना कि जब्त बहुत जल्दी करनी पड़ती है यह तो माननीय मंत्री जी स्वयं ही तथ्य से परे की बात कर रहे हैं। हमने तथ्य रखा है आपके सामने, उसे असत्य सिद्ध करें। आपका यह तर्क बिल्कुल गलत है कि कभी भी सरकार को जरूरत ऐसी नहीं पड़ती कि कोई किताब निकलती है और उसी दिन जब्त कर ली जाय। यह भी आपको मालूम है कि लीगल रिमेम्ब्रेन्सर की भी पहले सलाह ली जाती है। आपको हाईकोर्ट ने सलाह दी थी कि आप किसी किताब को जब्त करें तो उन लाइनों का उल्लेख करें जो आपत्तिजनक हो और किस प्रकार आपत्तिजनक है इसका भी विवरण दें फिर समिति की समीक्षा चाहिए। समीक्षा में समय लगता है।

तुरन्त, जल्दी, कह कर आपने इसकी कार्यवाही की परिस्थिति तय नहीं की। किताब को जब्त करने के लिये प्रमाण दिये जायं। सुन्दर लाल सागर की किताब "हिन्दू संस्कृति में वर्ण व्यवस्था" एवं जातिभेद 1959 में प्रकाशित हुई थी और जब्त की गई 1978-79 में वह किताब 20 साल चलती रही उनकी किताब जब्त करने की आपके दिमाग में कब जरूरत पड़ी यह इससे सिद्ध नहीं होता कि उससे कोई गड़बड़ी फैली। जिस मुख्य मंत्री के मन में आया किताब जब्त कर ली है यह तर्क तो आप सिद्ध नहीं करेंगे कि कोई किताब निकलती है उससे विद्वेष फैलता है आपने उसे तुरन्त जब्त कर लिये 20 साल तक कोई गडबड़ी नहीं हुई लेकिन आपके दिमाग में आया, मुख्य मंत्री के दिमाग में आया तो जब्त कर लिया। यह काम नहीं होना चाहिए। यह बिल्कुल अन्धाधुन्ध, मनमाना, तरीका है। किसी तरह का न्यायिक दृष्टिकोण नहीं है। इसीलिए हाई कोर्ट भी रद्द कर देता है। यह सरकार का कहना कि हम जब्त कर लेंगे और हाई कोर्ट उसमें जो चाहे फैसला देगी हाई कोर्ट का दरवाजा खुला है, इस प्रकार का तर्क न्याय संगत नहीं है। जनता के मन में आक्रोश फैल जाता है जब सरकार मनमाने ढंग से किताब जब्त करती है साहित्य जब्त करती है। जब यह काम समिति करेगी तो जनता के मन से यह बात निकल आयेगी। बाबा साहब भीम राव अम्बेदकर की किताब जब्त कर ली। 1948 में उन्होंने कानपुर में लेक्चर दिये उनको जब्त कर रहे हैं। 1957 में किताब छपी। 1970 में आपको पता लगा कि इससे विद्वेष फैल रहा है। यह क्या कर रहे हैं? सदन को गुमराह करना चाहते हैं? 48 के भाषणों की किताब छपी, 57 में किताब प्रकाशित हुई और 70 में आकर के वह किताब अवैध होती है।'तब आप कहते हैं कि कमेटी नहीं बनायेंगे। कमेटी बनी तो कम से कम एक सत्यता आ जायगी। मनमाना तरीका नहीं अख्तियार करेंगे।

[श्री अम्मार रिजवी]

माननीय मंत्री जी की बात में माननीय अध्यक्ष जी कोई दम नहीं है, न वह सत्य के निकट है और न कहीं किसी प्रकार की परिधि सरकारी कार्यवाही की प्रमाणित करती है। मैं माननीय सदस्य का नाम भूल रहा हूं जो अपना तर्क दे रहे थे। माननीय लाल प्रताप सिंह कह रहे थे उन्होंने ऐसा भाषण कर दिया। वे कहे हमारी किताबें पढ़ होंगें और उनके पढ़ने से जो प्रक्रिया उनके मन में हुई होगी उसी पर वे बोल रहे थे और जो बिल मैंने पेश किया, जो बातें मैंने कही था, उनके बारे में एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। वे कहते रहे कि वर्ग विद्वेष नहीं फैलना चाहिये। मैंने यह भी कहा था कि उस कमेटी में तीन पिछड़े वर्ग के लोग भी हों। वर्ग की जो भी वे परिभाषा करें लेकिन विद्वेष उसमें कहां से आ गया? चार साहित्य की किताबों को चारों अलग-अलग मुख्य मंत्रियों ने जब्त कर लिया। दो हाईकोर्ट में गई क्योंकि उनकी जब्ती मनमाने ढंग से हुई थी। कोर्ट से भी आपको कोई बल नहीं मिला और अलग-अलग जब्त करने का आपने सिलसिला चलाया। मैं नहीं चाहता कि कोई साहित्य की किताब जब्त हो। यदि वह किताब अच्छी होगी तो उसे जनता पढ़ेगी और उससे लाभ उठायेंगे। जब्त तो आपने उनको कर दिया लेकिन हाईकोर्ट कहता है कि वह जब्ती अवैध है। इसीलिये मैंने कहा है कि 11 आदमियों की एक कमेटी बना दी जाय जो कि इन सब मामलों को देखे कि कौन सी किताब जब्त करने के लायक है और कौन सी नहीं है। उसमें आप सब लोगों का प्रतिनिधित्व रख सकते हैं।

माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने तो एक भी शब्द विधेयक के बारे में नहीं कहा। पता नहीं कहां से वे नोट करके एक अंग्रेजी का वाक्य ले आये और उसको वे यहां पर चस्पा करना चाहते थे। लेकिन आदरणीय सदन समझ गया कि उसके अलावा उनके पास बोलने के लिये कुछ भी नहीं है। मान्यवर, आपकी इच्छा के विपरीत भी मैंने उनको एक बार कहा भी कि आप विधेयक पर बोलें लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और सिर्फ यही कहा कि यह संविधान विरोधी है, विद्वेष फैलाने वाला है, यह नहीं आना चाहिए। उन्होंने एक भी बात ऐसी नहीं कही जिससे कि आदरणीय सदन के सदस्य मुतमईन हो जायं।

मान्यवर, यह विधेयक सीधे रूप से इसी प्रक्रिया को अधिनियमित करने के लिये लिया गया है कि जो जब्ती ऐसे साहित्य की मनमाने ढंग से हो रही थी वह न हो पाये। सिर्फ एक बार फिर उधर के सम्मानित सदस्यों का विवेक जागृत करने के प्रयास में हूं और उनसे अपील करता हूं कि वे इस विधेयक को अधिनियमित करें और जो इसमें मनमानी हो रही है, वह न हो। मान्यवर, इससे मनमानी बरी करने के लिये उनको भी नजातमिलनी चाहिये। जो किताब ये जब्त करना चाहते हैं, उसे वह कमेटी करे। इस प्रकार इस विधेयक को पास करने से जनता के अन्दर एक अच्छी भावना आपके प्रति फैलेगी और इस मानवतावादी और समतावादी साहित्य को जब्त करने की जनता की आशंका भी उनके मन से निकल जायगी यदि आप इसके लिये एक कमेटी बना देंगे। आप ऐसा उपदेश दे रहे हैं, मैं कहता हूं कि साधू बनकर रहो, अपने लिये भी कुछ रखा है या नहीं? समता कहने के लिये है और विषमता आचरण के लिये? ऐसे पाखंडी बनोगे? मैं एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि यह समतावादी और मानवतावादी साहित्य प्रचार के योग्य है और अंध विश्वास तथा रूढ़ियों का प्रचार अबाध गति से रोकने के लिये, उनकी किताबों को जब्त करने के लिये उस कमेटी को यह कार्य सौंपा जाय।

इसके लिये यह सदन विधेयक को स्वीकार कर इस कार्यवाही को अधिनियमित करे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः सदन के विवेक के लिए प्रार्थना करते हुए विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे।

श्री अम्मार रिजवी---मान्यवर, सिर्फ यह निवेदन करना है कि आपने कुछ किताबों का हवाला दिया दो साल, तीन साल या 20 साल के बाद उनका छपना मना किया गया। तो जो मैंने बात कही इससे उसी की पुष्टि होती है कि बहुत सोच-समझ कर चीज को देखा जाता है कि वाकयी इसका छपना समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। उसी समय कोई ऐसी कार्यवाही की जाती है। ताकि यह कहने का अवसर न आये कि सरकार जल्दी में कार्यवाही कर लेता है। एसी किताबें जिनका छपना समाज के लिए ठीक नहीं है सरकार प्रिस्क्राइब करती है। बहुत सोच समझ कर जब अवसर आता है ऐसा किया जाता है।

हाईकोर्ट के जजमेंट के संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है जो यहां की बात है वही रखी जा सकती है और कोई भी चीज जो आज कही गयी है वह हो सकता है आज ऐसी बात न हो कि जिससे सांप्रदायिकता फैले लेकिन 10 साल के बाद या दो साल के बाद, समय-समय पर हर चीज बदलती रहती है। और उस समय दूसरी तरफ सोचते हैं तो यह कहना कि आज जो सही है तो कल भी सही रहेगी यह सत्य नहीं है। मैं समझता हूं कि जो प्रक्रिया इस वक्त हमारे पास है, जो धारा है, वह पूरी तरह से सक्षम है यदि कोई ऐसी स्थिति हो तो उससे निपटने के लिए व्यवस्था है और किसी विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय राम स्वरूप वर्मा जी के मुताबिक बहुत सी किताबें जो ऐसी हैं जिनको सरकार द्वारा मना कर दिया गया है, वह इसके बाद पुनः आ जायेंगी जिसका मतलब यह होगा कि वह फिर समाज में आ जायं, उचित नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ फिर निवेदन करता हूं वह ज्यादा सोच रहे हैं इस प्रकार के विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है और यह धारायें काफी हैं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि संविधान विरोधी साहित्य प्रतिबंधन विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

नियम 51 में कुल 8 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिनमें श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री रामआसरे वर्मा, श्री हरिवंश सहाय एवं, श्री नन्दकिशोर सिंह, श्री जटाशकर सिंह, श्री थम्मन सिंह गहलौत एव श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की 1 अप्रैल, 1981 से छात्र अशांति और उपद्रवों के कारण काशीविश्वविद्यालय एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय को अनिश्चितकाल के लिये बन्द किये जाने से उत्पन्न विषम स्थिति के संबंध में है, स्वीकार की गयी है नियम 51 में शेष सूचनायें अस्वीकृत हुई।

इस पर 4 अप्रैल को वक्तव्य होगा।

27 मार्च, 1981 को सदन में श्री जैराज गौतम, उप मंत्री पर भूमि खरीदने का आरोप तथा श्री मोहन सिंह के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना पर श्री अध्यक्ष के निर्णय की सूचना

श्री अध्यक्ष---

मुझे कुछ निर्णय देने थे जिनके सबंध में आपसे कहा था। एक-एक करके दो निर्णय दूंगा।

दिनांक 27 मार्च, 1981 को श्री रियासत हुसैन, सदस्य, विधान सभा ने व्यवस्था का एक प्रश्न उठाते हुए कहा था कि माननीय सदन के सामने आरोप प्रत्यारोप का एक बहुत बड़ा मामला खड़ा हुआ है जिसमें मंत्रिमडल के सदस्य श्री जैराज गौतम, उपमंत्री के विरुद्ध

[श्री अध्यक्ष—]

श्री मोहन सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा जमीन खरीदने का आरोप है और दूसरी ओर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहा है कि उनके पास निश्चित जानकारी है कि उप-मंत्री बनने के उपरांत श्री गौतम द्वारा ऐसी कोई जमीन नहीं खरीदी गयी है। मैंने इस संबंध में कहा था कि मैं सदन के संज्ञान में आये दस्तावेजों को देख कर व्यवस्था दूंगा।

मैंने श्री मोहन सिंह द्वारा सदन में दिये गये बैनामे का अवलोकन किया। उक्त बैनामे के अनुसार जमीन की रजिस्ट्री दिनांक 2 दिसम्बर, 1980 को की गयी है जब कि श्री गौतम द्वारा उपमंत्री पद की शपथ दिनांक 4 दिसम्बर, 1980 को ली गयी थी। माननीय श्री मोहन सिंह स्वयं 27 मार्च, 1981 को, बाद में सदन में यह स्वीकार कर चुके हैं कि उक्त रजिस्ट्री की तारीख 2 दिसम्बर, 1980 है। अतः श्री गौतम के विरुद्ध श्री मोहन सिंह के भाषण में लगाया गया आरोप जैन्यता पर आधारित नहीं है।

इस विषय पर श्री धर्म सिंह तथा श्री विमल प्रसाद तिवारी ने श्री मोहन सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के एक प्रश्न की सूचना दी है जिस में उनका आरोप है कि श्री मोहन सिंह को उक्त बैनामे की तारीख मालूम थी परन्तु उन्होंने उक्त तिथि को जान-बूझकर सदन में नहीं पढ़ा तथा इस प्रकार उन्होंने सदन को भ्रमित किया है। माननीय सदस्यगण को उक्त सूचना एक प्रति में प्राप्त हुई है जबकि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 64 के अनुसार यदि शिकायत सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो ऐसी सूचना द्विप्रतीक होनी चाहिये। इस प्रकार प्रश्नगत सूचना नियमानुसार नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ माननीय सदस्यों द्वारा पूछे जाने पर श्री मोहन सिंह ने उपर्युक्त तिथि को 27 मार्च, 1981 को ही सदन में बता दिया था। अतः मैं इसे विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

डाक्टर सूर्य प्रसाद, जिलाधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

अब दूसरा निर्णय है।

श्रीमती गौरी देवी, सदस्या, विधान सभा ने डा० सूर्य प्रसाद, जिलाधिकारी गोरखपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दिनांक 23-3-81 को दी। उक्त के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी का पत्र आयुक्त, गोरखपुर की आख्या के साथ प्राप्त हुआ। जिन सबके सम्बन्ध में मैंने कल संक्षेप में सदन को सूचित किया था। कतिपय माननीय सदस्यों तथा माननीय मुख्य मंत्री जी के विचारों से भी मैं इस प्रश्न पर अवगत हुआ था। जहां माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस मामले में स्पष्ट रूप से प्रशासनिक कार्यवाही के आश्वासन से, सदन ने और साथ ही साथ मैंने संतोष व्यक्त किया था। वहां उसी समय मैंने सदन की अवमानना के प्रश्न को एक अलग प्रसंग बताते हुए उस पर आज अपना निर्णय देने का आश्वासन दिया था।

मैंने सम्यक रूप से सारे कथनोपकथन पर विचार किया जिसके फलस्वरूप कुछ तथ्य उभयपक्षों द्वारा स्वीकृत निर्विवाद रूप से सामने आये :—

(1) यह कि माननीय सदस्या ने अपने क्षेत्र के अनुदान वितरण के सबन्ध में शासन को शिकायत की थी जिस पर माननीय उप राजस्व मंत्री जी का पत्र तथा शासन का टेलेक्स जिलाधिकारी, गोरखपुर को गया था तथा माननीय सदस्या ने गोरखपुर जिले के संबंध में सदन में कुछ प्रश्नोत्तर भी किया था।

(2) यह कि माननीय सदस्या तथा जिलाधिकारी से उक्त टेलेक्स के सबध में टेलीफोन पर बात हुई थी।

(3) यह कि उक्त टेलेक्स की प्रतिलिपि दिखाने हेतु माननीय सदस्या अपने कुछ साथियों के साथ जिलाधीश, गोरखपुर के निवास स्थान पर गयीं थी और वहां जिलाधीश ने उससे टेलेक्स की प्रतिलिपि प्राप्त की थी और कुछ बातचीत भी माननीय सदस्या और उनके सहयोगियों से हुई थी।

(4) यह भी स्पष्ट हुआ कि किसी समय पुलिस भी वहां आ गयी थी।

जहां उक्त तथ्यों के संबंध में कोई विवाद नहीं है वहां उन्हीं अवसरों पर उभयपक्षों में हुई बातचीत और कार्यकलाप के संबंध में परस्पर विरोधाभास है। माननीय सदस्या ने स्पष्ट रूप से यह व्यक्त किया है कि उनके द्वारा सदन में प्रश्न पूछे जाने तथा अन्य कार्य करने से असंतुष्ट होने के कारण जिलाधिकारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनकी अवमानना की, वहीं जिलाधिकारी की तरफ से यह कहा गया कि उन्होंने माननीय सदस्या के प्रति कोई दुर्व्यवहार या उनको कोई अवमानना नहीं की है। वरन् उनके साथ उपस्थित किसी व्यक्ति के संबंध में कुछ कहा और पुलिस को बुलाने के आदेश दिये। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त कथनों में विरोधीभास है, इसकी सत्यता की जानकारी और तदुपरान्त उचित कार्यवाही आवश्यक है। अतः मैं इस मामले में जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन के निमित्त विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 66 के अन्तर्गत इसे विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया।

सुल्तानपुर जिले के आनापुर गांव के निकट एक बस के बिजली के तार छू जाने से 3 व्यक्तियों की मृत्यु तथा कतिपय व्यक्तियों के घायल हो जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

दिनांक 22-3-1981 को सायंकाल 4.00 बजे थाना गौरीगंज, जिला सुल्तानपुर में ग्राम आनापुर के निकट नेता रोड की कच्ची सड़क पर एक यात्री बस संख्या-यू0 ए0 एस0 जेड-593 चल रही थी इस बस की छत पर यात्रियों के सामान एवं कुछ साइकिलें रखी हुई थीं। यह बस राज्य विद्युत परिषद् की 11 के0 वी0 लाइन के नीचे से निकली। दुर्घटना स्थल पर सड़क से के0 वी0 लाइन के तारों की ऊचाई लगभग 11.5 फीट थी जबकि नियमानुसार यह ऊचाई 20 फीट होनी चाहिए थी। बस की छत पर रखी साइकिलों का हैन्डिल सड़क पार करते समय 11 के0 वी0 विद्युत लाइन के जीवित तार के सपर्क में आ गया तथा साइकिल में विद्युत का प्रवाह होने लगा। बस पर से एक यात्री के उतरने के कारण बस अर्थ के सम्पर्क में आ गई और इस प्रकार विद्युत प्रवाह के कारण बस में बैठे हुये 3 यात्रियों की मृत्यु हो गई तथा 12 व्यक्ति घायल हो गये। उपर्युक्त से स्पष्ट है यह दुर्घटना विद्युत के टूटे तार के कारण नहीं हुई।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के लाइनमैन, श्री रामप्यारे तथा श्रमिक श्री राम प्रसाद जो इन लाइनों की देख रेख करते थे को परिषद् द्वारा निलम्बित कर दिया गया है। संबंधित जूनियर इंजीनियर के निलम्बन के आदेश भी परिषद् द्वारा जारी किये जा रहे ह।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 1,000 रु0 की अनुग्रह धनराशि देने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। यह धनराशि नियमानुसार जिलाधीश के माध्यम से आश्रितों को भुगतान की जायेगी।

इस मामले में विभागीय जांच पूर्ण हो जाने पर मृतक के आश्रितों तथा घायलों को नियमानुसार देय धनराशि परिषद् द्वारा दी जायेगी।

श्री नन्द किशोर सिंह---

मैं माननीय मंत्री जी से जानाना चाहता हूं कि यह बस प्राइवेट थी या रोडवेज की ?

श्री अम्मार रिजवी---

यह बस यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 की थी ।

श्री नन्द किशोर सिंह---

जब निगम द्वारा यह बस अनुबन्धित थी तो जान बूझकर उस बस के ड्राइवर और कन्डक्टर ने क्यों इतना सामान उसको छत पर लादा कि वह बिजली के तारों से छू गयी ?

श्री अध्यक्ष---

आपने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा । इसमें लिखा हुआ है कि तारों की ऊचाई 11.5 फुट थी जबकि नियमानुसार इसे 20 फुट की ऊचाई पर होना चाहिए था ।

श्री नन्द किशोर सिंह---

मान्यवर, इसमें 3 लोग तो मर गये, 12 घायल हुए और मृतक के आश्रितों को केवल 1-1 हजार रुपया दिया । इसमें यह भी कहा गया कि विद्युत विभाग के लाइनमैन और जूनियर इंजीनियर को भी निलंबित कर दिया गया है । चूंकि यह धनराशि बहुत ही कम है अतः क्या माननीय मंत्री जी मृतकों के परिवार वालों को 5-5 हजार रुपया और घायलों को 1-1 हजार रुपया दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी---

चूंकि जिस बस पर यात्री जा रहे थे उनका पता आदि नहीं लग सका था तो यह एक मामूली रिलीफ के आधार पर यह धनराशि स्वीकृत की गयी । जैसे ही उनका सही पता लग जायेगा तो मृतकों के परिवार वालों को 5-5 हजार रुपया और जो घायल हुए हैं उनको भी ज्यादा सहायता दी जायेगी ।

श्रीमती राजपति देवी---

मान्यवर, यह मेरे ही पड़ोस का मामला है । जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि यात्रियों का सही पता नहीं मालूम हो सका था । 22 तारीख को यह बस उन यात्रियों को लेकर 3 बजे चली और 4 बजे के करीब नेता रोड पर आयी । जो सड़क

(व्यवधान)

कच्ची दिखायी गयी, वर्ष 1973 में वह सड़क पक्की बनायी गयी थी 5 किलोमीटर वाले मामले में । तो मैं जानना चाहती हूं कि क्या वह सड़क पक्की नहीं थी ? दूसरे मेरा निवेदन यह है कि मृतकों के आश्रितों को केवल 1-1 हजार रुपया दिया जाना स्वीकृत हुआ है । मरने वाली तीनों ही महिलायें थीं और वे स्वय ही 1-1 हजार रुपया लेकर चली थीं । तो क्या माननीय मंत्री जी उस 1 हजार रुपये की धनराशि को बढ़ाने की कृपा करेंगे ? मृतक महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके परिवार वाले बहुत ही दुखित हैं । तो क्या मृतकों के परिवार वालों को और घायलों के परिवार वालों को और अधिक सहायता दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

उसको बढ़ाने के बारे में तो बता दिया मंत्री जी ने ।

श्री हरिवंश सहाय---

बिजली की लाइन जो 20 फिट ऊंची होनी चाहिये थी वह उतनी न होकर केवल साढ़े 11 फिट ही ऊंची थी जिसके कारण यह दुर्घटना हुई, तो इसके लिये कौन अधिकारी दोषी हैं ? किसकी जिम्मेदारी है इसमें ?

श्री अम्मार रिजवी --

वक्तव्य की मान्यवर, आखिरी लाइन को देखें जिसमें यह कहा गया है कि इसकी जांच की जा रही है कि लाइन इतनी नीची क्यों थी ? जो कर्मचारी जिम्मेदार पाये गये उनके खिलाफ कार्यवाही हुई है और विवेचना के बाद, जो अभी जारी है, जो भी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री हरिवंश सहाय---

लाइन को ऊंचा करने की जिम्मेदारी अधिशासी अभियन्ता की होती है, तो क्या माननीय मंत्री जी उनको निलम्बित करेंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी---

अगर विवेचना में यह पाया जाता है कि डायरेक्ट उनकी जिम्मेदारी है तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

यह बस परिवहन विभाग की थी और रुपया विद्युत् विभाग से एक-एक हजार दिलवाया गया है, नियमानुसार परिवहन विभाग द्वारा भी ऐसे लोगों को रुपया दिया जाता है । तो क्या माननीय मंत्री जी इन लोगों को, जो मरे और घायल हुए हैं, परिवहन विभाग द्वारा भी, नियमानुसार रुपया दिलवायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी---

नियमों के अन्तर्गत जो भी प्राविधान है, उसके अनुसार अवश्य दिया जायेगा ।

श्री मसरूर जाफरी---

इसमें जो एक श्रमिक था उसको तो मंत्री जी ने निलम्बित कर दिया, पर जो अधिकारी था, उसको निलम्बित नहीं किया गया है । क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी ? और उस अधिकारी को निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष---

इसका उत्तर वे दे चुके हैं ।

श्री अम्मार रिजवी---

प्रत्यक्ष रूप से जो दोषी पाये गये उसके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की गयी । यह कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हुई है । विवेचना जारी है । उसके बाद जो भी दोषी पाया जायेगा, कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मुईद अहमद---

मान्यवर, यह बात सही है कि बिजली विभाग की गलती के कारण यह दुर्घटना हुई है । इसमें मेरी अपनी जानकारी यह है कि इसमें श्री एम० एम० श्रीवास्तव, असिस्टेन्ट इन्जीनियर की जिम्मेदारी है क्योंकि सन् 77 में इन्हीं की देख-रेख में यह लाइन खींची गयी थी । मगर उस असिस्टेन्ट इंजीनियर के खिलाफ कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है । जिस श्रमिक के खिलाफ कार्यवाही हुई है उसे तो पता तक नहीं है इस लाइन का कि वह कब खींची गयी ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया) (व्यवधान)

श्री हरिवंश सहाय---

जब आप यह स्वीकार करते हैं कि यह दुर्घटना लाइन के कारण हुई है, तो लाइन की जिम्मेदारी लाइनमैन की नहीं है। तो क्या मंत्री जी लाइनमैन को, जिसे निलम्बित किया है, बहाल कर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलम्बित करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, यह 1977 के जो कुछ मुद्दों की तरफ माननीय सदस्य ने जिक्र किया, तो बहुत सी ऐसी लाइनें हैं जो नीची हैं, उनकी सबकी जांच जारी है। जो विवेचना है, उसमें इस पर भी ध्यान दिया जायगा। जो माननीय सदस्य ने कहा कि लाइनों की जिम्मेदारी लाइन मैन की नहीं होती है, इक्जीक्यूटिव इंजीनियर की होता है, इस पर जानकारी करनी पड़ेगी।

श्री गौरी शंकर भैया---

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1977 में यह लाइन खींची गयी थी। इससे इनकी जिम्मेदारी नहीं खत्म हो जाती। तत्काल तो लाइन मैन को सजा दे दिया। अभी आप कह रहे हैं कि अभी प्रागदर्शन के लिए जांच चल रही है, उनको आपने, मजदूर को उठाकर सस्पेंड कर दिया। क्या माननीय मंत्री जी मजदूर को बहाल कर, जिम्मेदार अधिकारी को दण्डित करने का कष्ट करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, 22 मार्च की यह घटना है। आज दूसरी तारीख है, पहली अप्रैल से एक दिन आगे हम लोग हैं। जो कार्यवाही की गयी थी, फौरन वह की गई जब तक विवेचना पूरी नहीं हो जाती, तब तक उसको वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मित्रसेन---

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि विवेचना जारी है और एक बात यह भी कहा कि जांच हो रही है। तो विवेचना जो हो रही है, वह तो पुलिस के माध्यम से हो रही है। यदि यह विवेचना पुलिस द्वारा हो रही है, तो किस धारा में वह मुकदमा दर्ज है और जांच जो हो रही है, वह क्या विद्युत् विभाग द्वारा कराई जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, विभाग द्वारा जो तार नीचे खींचे गये थे, इसकी जांच हो रही है।

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा---

जिस रोड पर बस पर बैठे हुए यात्रियों की मृत्यु हुई है, वह रोड पक्की थी, कच्ची नहीं थी। लेकिन कच्ची रोड की सूचना आपको दी गयी। तो क्या माननीय मंत्री जी इस गलत सूचना देने वाले व्यक्ति तथा उस अधिकारी को विरुद्ध कोई कार्य- वाही करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी---

किसी भी अधिकारी ने अगर तथ्यों को छिपा कर सूचना दिया है, तो वह सब जांच में आ जायगा और दोषी जो भी पाया जायगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती'---

मान्यवर, जहां पर हाई वे सड़क क्रास करती है, उसके नीचे एक जाली लगाई जाती है और यह जाली क्यों नहीं लगाई गयी ? भविष्य में ऐसे स्थानों पर जाली लगाने का आदेश दे देंगे और जिसने ऐसा नहीं किया, उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, 1977 में यह जाली क्यों नहीं लगाई गयी ? मैं इसकी भी विवेचना करवाऊंगा ।

श्री खुर्शेद अहमद--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यात्रियों से जो किराया लिया जाता है, उसमें इन्श्योरेंस की भी धनराशि रहती है ? तो क्या इस इन्श्योरेंस धनराशि लेने के बाद इसके अन्तर्गत नियमानुसार उन्हें 10 हजार रुपया या कोई धनराशि देने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो प्रश्न पूछा जा चुका है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, इसमें [illegible] है कि बस से एक यात्री के उतरने के कारण बस अर्थ के सम्पर्क में आ गयी और इस प्रकार विद्युत प्रवाहित होने के कारण बस में बैठे तीन यात्रियों की मृत्यु हो गयी । मैं यह जानना चाहती हूं कि जिस रास्ते से यह बस गयी, तो यह मुख्य मार्ग था या उससे हटकर किसी अन्य मार्ग से गयी, जहां पर कि यह एक्सीडेंट हुआ ?

श्री अम्मार रिजवी--

सड़क पर बस जा रही थी और उसी मार्ग से चला करती थी ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

सन् 1977 में, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि यह सड़क बनी और उसके ऊपर यह तार 11 फिट ऊंचे लगे हुए थे तो क्या इससे पहले भी कुछ एक्सीडेंट हुए या यह पहला एक्सीडेंट था ?

श्री अम्मार रिजवी--

अभी जो हम लोगों की जानकारी में आया है, यह पहला है । यदि माननीय सदस्या का जो वक्तव्य है, उसकी तरफ देखें तो कहा जा चुका है कि बस पर कुछ साइकिलें रखी थीं, जो कि ऊंची थीं, उसी के कारण दुर्घटना हुई ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जांच किस अधिकारी से करायी जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जांच निष्पक्ष हो इसलिये जनहित में उसका नाम बताना उपयुक्त नहीं है ।

श्री यदुनाथ--

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि · · · · · ·

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । आपने रोज का यही रवैया बना रखा है कि आप खड़े होकर बिना अनुमति के बोलने लगते हैं ।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981†

कृषि उप मंत्री (श्री सीताराम निषाद)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 की धारा 11 के अनुसार इस अधिनियम से शासित जो विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं, उनके कुलपति की नियुक्ति के सम्बन्ध में इस समय की जो वर्तमान व्यवस्था है, वह एक समिति द्वारा 3 नाम संस्तुत किये जाते हैं और उन्हीं 3 नामों से कुलाधिपति द्वारा किसी एक नाम का चयन करके कुलपति के पद पर नियुक्ति की जाती है। कभी ऐसे मौके आते हैं, जब माननीय कुलाधिपति उन नामों से सन्तुष्ट नहीं होते हैं या कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं होता है, उस स्थिति में, वर्तमान जो अधिनियम है, उसमें यह अधिकार माननीय कुलाधिपति को नहीं दिया गया है कि वे पुनः समिति से पैनल मंगा सकें और कुलपति की नियुक्ति कर सकें। इसीलिये यह वर्तमान संशोधन विधेयक इसी दृष्टि से लाया गया है कि माननीय कुलाधिपति महोदय को यह अधिकार दिया जाय कि यदि वे सन्तुष्ट नहीं हैं समिति द्वारा संस्तुत नामों से तो वे पुनः पैनल मांग सकें।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कुलपति का पद 26 अक्टूबर 1980 से रिक्त है। कुलपति के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में जो समिति बनायी गयी थी, उसने 3 नामों की संस्तुति भेजी थी किन्तु कुलाधिपति इस पैनल से सन्तुष्ट नहीं हैं और उन्होंने कुलपति की नियुक्ति नहीं की है। समिति में 3 सदस्य होते हैं। एक सदस्य कृषि विश्वविद्यालय के बोर्ड का और दो सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामजद किये जाते हैं। वही लोग तीन नामों का चयन करते हैं। फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति का पद 26 अक्तूबर से खाली है, उसके लिये समस्या थी कि उसकी पूर्ति कैसे की जाय? इसके अलावा और जो कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें भी भविष्य में कुलपति के पद पर नियुक्ति करने में कठिनाई न हो, इसलिये यह महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक लाया गया है जिसमें कुलाधिपति महोदय को अधिकार देने की बात कही गयी है। इस स्थिति में जब समिति द्वारा नाम दिये जाने पर संतुष्टि न हो या कोई व्यक्ति जब उपलब्ध न हो तो समिति से पैनल मांग सकते है इसलिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन में मैं अनुरोध करूंगा कि इस संशोधन विधेयक को स्वीकार किया जाय।

श्री जयदीप सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक' 1981 राय जानने के लिये 1 जून, 1981 तक परिचालित किया जाय।

मान्यवर, मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसके ऊपर बहस से पहले मैं सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सत्र में दो संशोधन विधेयक, दो दिनों में प्रस्तुत हुए हैं और मान्यवर, यह दोनों उन धाराओं से संबंध रखते हैं जिनको पिछले सत्र नें 6 महीने पहले ही पारित किया था, उस समय भी इधर से मांग आयी थी कि यह जो संशोधन हैं इन्हें या तो राय जानने के लिये परिचालित किया जाय या प्रवर समिति को दिये जाएं ताकि उसमें कोई जो कमियां रह गयी हों उन पर सभी माननीय सदस्य विचार कर सकें और तभी विधेयक लाया जाय। तो यह जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है मूल अधिनियम की धारा 11 को संशोधित करने के लिए प्रस्तुत हुआ है। मान्यवर, इसका संशोधन दिसम्बर, 1980 में

---

†दिनांक 3 मार्च, 1981 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

हुआ था और 3 महीने के बाद हमें उस पर पुन: विचार करना पड़ रहा है। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले इस बात को देखते हुए कि बार-बार यह संशोधन क्यों करने पड़ रहे है, सारे अधिनियम में कोई कमी हो उस पर विचार करने के लिये या राय जानने के लिये परिचालित करें या सदन की जो स्थायी समिति विधि और न्याय की, उसको दें ताकि यह संशोधन सही रुप में आपके सामने आ सके। चूंकि मान्यवर, हमारी बातों का शासन की ओर से उत्तर नहीं आता है जिससे विधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, वह धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है क्योंकि माननीय सदस्यों को इस पर राय देने का मौका नहीं मिलता है। यह तो ठीक है कि हम विधान का निर्माण करते हैं परन्तु शासन उस विधेयक को यहां रख देता और पार्टी में बहुमत होने के नाते पार्टी अनुशासन से उसको पास करवा लेते हैं। इसलिये यह सदन केवल यहीं तक सीमित रह गया है और विधयक पर हम ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव दे सकें जिसको मंत्री जी मान लें उसके लिये मंत्री जी समय नहीं देते हैं। इस प्रकार विधान सभा मात्र रबर की मोहर बन कर रह गयी है।

मान्यवर, जो भी शासन में आता है वह जन-भावनाओं से हट जाता है उसमें मौजूदा सरकार की बात नहीं है। इसलिये मुझे पुन: दोहराना पड़ रहा है कि और थोड़ी कड़वी बात है, सत्ता पक्ष पर आक्षेप नहीं है.... 62 प्रतिशत जनता ने आपको ठुकराया था। 62 प्रतिशत जनता की भावना इधर से ही प्रगट होती है। सत्ता आपकी है आप शासन करें पूरे पांच वर्ष बहुत अच्छी बात है जनता के लिये, अच्छे काम करें। पर हमारी भावनाओं को आप आदर करेंगे तो यह 62 प्रतिशत जनता की भावना का आदर होगा। मान्यवर, इसकी धारा एक जो संशोधन करती है, धारा दो है। मैं संक्षेप में अपनी बात कह दूंगा। इसको देखने से 3 बातें मेरे सामने आयी। पहली बात यह की गई कि 3 नामों की संस्तुति भेजने वाली समिति के लिये है। कहा गया कि यदि समिति उपयुक्त नाम न दे तो श्रीमन्, यह जो समिति बनती है उसमें कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय का बोर्ड होता है। उस बोर्ड में कौन लोग हैं? कृषि, वित्त और शिक्षा सचिव है, निदेशक कृषि और पशुपालन हैं? विधान सभा के एक और एक विधान परिषद् के सदस्य हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक सदस्य, भारतीय कृषि शिक्षा संस्थान का एक सदस्य और एक ग्रेजुयेट होता है। इनमें से एक सदस्य आता है तथा इस चयन समिति में सरकार द्वारा 2 सदस्य नामांकित किये जाते हैं। क्या इस शासन को अपने द्वारा नामांकित 2 सदस्यों पर भी विश्वास नहीं है कि वह सही नाम देंगे? यह विचार करने की बात है। क्या कारण है कि आप एक अधिकार किसी एक व्यक्ति को दे रहे हैं? माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि जो नाम आते हैं अगर उपयुक्त नहीं है तो कुलाधिपति दुबारा मंगा सकता है लेकिन जो पास करा रहे हैं उसमें है कि तीनों नामों में से एक भी नाम यदि कुलाधिपति के मर्जी का नहीं है तो दुबारा मंगायेंगे। इस तरह से जो 2 लोग फिट हैं वह भी अनफिट हो जायेंगे। और कुलाधिपति तब तक नाम मंगाते रहेंगे जब तक कि उनकी मर्जी का नाम न आ जाय। उपयुक्त व्यक्ति के होते हुए भी उसको मौका नहीं दिया जायेगा। यह कैसा न्याय है?

मान्यवर, विधि का राज्य हो रुल आफ ला हो लेकिन विधि के राज्य में किसी को भी असीमित अधिकार नहीं होना चाहिये कि उसमें आदेश की शक्ति आ जाय, सारे अधिकार एक व्यक्ति को दे दिये जाएं। एक और संशोधन प्रस्तुत हुआ है जिससे मुझे लगता है कि यह भी सरकार की ओर से आया है। मैं पुन: दोहराना चाहता हूं कि दिसम्बर में 6 महीने का समय दिया था कि किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जा सकता है। 6 महीने की जगह अब एक साल का करने जा रहे हैं। आप शक्ति एक व्यक्ति को अधिक से अधिक देते जायेंगे तो निश्चित ही इसका दुरुपयोग होगा। इन्हीं सब कारणों से यह प्रस्ताव मैंने रखा है और पुन: बल देता हूं। माननीय मंत्री जी मेरे तर्कों का उत्तर दे दें तो ठीक है मैं उनकी बात मानने के लिये तैयार हो सकता हूं अगर उत्तर नहीं देते हैं तो मेरा प्रस्ताव है कि राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाय।

(संशोधन के प्रस्तावकों का नाम पुकारे जाने तथा अनुपस्थित होने पर)

*श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 के खण्ड में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, वर्तमान खण्ड 2 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय--"2--उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 11 में :--

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाये, अर्थात् :-

(1-क) जहां कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझते हैं या सिफारिश किये गये व्यक्तियों में एक या अधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हों और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो तो वह समिति से उपधारा (1) के अनुसार नये नामों की एकनामावली प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष--

माननीय बाजपेयी जी खण्डों के विचार की बात आयगी तो आप रखिएगा।

*श्री मित्र सेन--

मान्यवर, माननीय जयदीप सिंह के प्रस्ताव पर मैं अपनी राय जाहिर करने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में कृषि मंत्री जी ने अपने विचार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपतियों के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये। अगर कोई, किसी विश्वविद्यालय का कुलपति रिटायर हो जाता था तो जो डीन थे उसके कार्यकारी कुलपति हुआ करते थे। एक संशोधन में मान्यवर, रजिस्ट्रार को यह अधिकार दे दिया गया कि अगर किसी विश्वविद्यालय के कुलपति रिटायर हो तो रजिस्ट्रार पद ग्रहण करेगा या कार्यभार ग्रहण करेगा। कुलपति की नियुक्ति के सम्बन्ध में यह जो प्रस्ताव आया है, उसमें 3 व्यक्तियों की एक कमेटी होगी जो नाम प्रस्तावित करेगी और प्रस्तावित करने के बाद वह कुलाधिपति के पास जायगा। जिसको वह चाहेंगे, वह स्वीकृत कर देंगे। श्रीमन्, इसमें कोई समय निर्धारित नहीं है कि इतने समय के अन्दर नियुक्ति का निर्णय हो जायगा। दूसरी बात यह है कि जो बोर्ड के सदस्यों का अधिकार है एक नाम को प्रस्तावित करने का और 2 नाम सरकार देगी, तो इसके बाद भी अगर वह चाहें तो इसको वापस कर सकते हैं। तो श्रीमन्, इस प्रस्ताव को एक समिति के सुपुर्द करें। जो जयदीप सिंह का प्रस्ताव है वह न्याय संगत है।

श्री अध्यक्ष--

यह संशोधन तो पेश ही नहीं हुआ। राय जानने के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव है।

श्री मित्रसेन--

समिति के राय जानने के लिये भेज दिया जाय जो 10-15 दिनों का टाइम लेगी। कुलाधिपति की नियुक्ति के लिये 6 महीने का टाइम है। सदन की समिति की राय जानने के लिये 15 दिन का समय नहीं दे सकते। अगर सदन की समिति की राय से इसका निराकरण हो जाय तो नियुक्ति में खास तरह से सुविधा हो सकती है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय यादव जी, सदन की समिति को भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। इसको परिचालित करने का प्रस्ताव आया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मित्रसेन--

मैं पेश किये देता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप कैसे पेश कर सकते हैं ? जिन्होंने नोटिस दिया है वह ही पेश कर सकते हैं ? परिचालित करने के बारे में आप सुझाव दे सकते हैं ।

श्री मित्र सेन--

माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह विचार करेंगे कि इस सम्बन्ध में राय जानने का प्रयास करें कि इसमें क्या राय हैं ? जैसा कि उन्होंने उदाहरण दिया है कि कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में कार्यभार जिनको सौंपा गया है वह निष्क्रिय है । आप समझते हैं कि कृषि का मोडिफिकेशन के सम्बन्ध में जो कार्य हैं, बीज उत्पादन का मामला है, कृषि की तमाम चीजें है, कृषि के डवलपमेन्ट का सवाल होता है । तो इन चीजों को देखते हुए, आपके पड़ोस में जो विश्वविद्यालय है और जो उसकी प्रगति है, वह मंत्री जी भी जानते हैं । इसमें सरकार के समझ और गम्भीर रूप से विचार करने के बाद कोई ऐसी प्रक्रिया अपनावें कि पद रिक्त होने पर तत्काल नियुक्ति एक माह या दो माह के अन्दर हो सके ।

श्री प्रवीन कुमार शर्मा--

मान्यवर, आपने मुझे इसके लिए मौका दिया अपने विचारों को प्रकट करने का, इसके लिए धन्यवाद देता हूं । इस प्रश्न पर बहुत ही संक्षिप्त में बस इतना ही कहा जा सकता है, जैसा कि इस सम्बन्ध में अभी तक प्राविधान रहा है कि समिति तीन आदमियों के नाम भेज देगी और जब वह भेज भी देती है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि उस सूची के एक साहब कहीं और कार्यरत है और वह वहां से रिलीव नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कुलपति का एप्वाइन्टमेन्ट रुका पड़ा रहता है । इसलिए यह प्राविधान किया गया है कि ऐसी दशा में कुलाधिपति जिसको उचित समझें, नियुक्त कर दें । इसमें तो ऐसी कोई शिकायत वाली बात नहीं है ।

श्री गौरी शंकर भैटया--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, कुलपति की नियुक्ति के बारे में जो संशोधन विधेयक लाये हैं, उस पर मुझे जबरदस्त आपत्ति है । हम पहले तो विश्वविद्यालयों को स्वायत्तशासी संस्था बनाये हुए थे । उस पर शासन ने लेखा नियंत्रण के नाम पर एक सरकारी अधिकारी बैठा दिया और उस पर प्रोवाईस चान्सलर बैठा दिया और अब आप यह चाहते हैं कि जब तक आपके मनमाफिक आदमी न मिल जाए कुलपति के लिए, तब तक यह दूसरी सूची मंगाते रहेंगे कुलाधिपति के जरिये । यह बहुत गलत बात है, जो व्यवहारिक भी नही है कि जब तक आपको अपना मन पसन्द आदमी नहीं मिल जायगा, आप दूसरी सूची मंगाते रहेंगे । इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को जनता की राय जानने के लिए परिचालित कर दिया जाए ताकि इस पर जनता की राय सदन को प्राप्त हो सके ।

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, माननीय सदस्य जयदीप सिंह द्वारा यह बताया गया कि इस विधेयक पर 1980 में विचार-विमर्श हुए और नियमों में संशोधन हुए थे । इस सम्बन्ध में यह जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले वर्ष इस अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (6) पर संशोधन किये गये थे, लेकिन आज जो संशोधन विधेयक पेश किया गया है,

[श्री सीताराम निषाद]—

वह इस अधिनियम की धारा 11 की उप धारा (1) के संबंध में है। इसलिए माननीय सदस्यों को जो यह भ्रम हो रहा है, वह गलत है। मूल नियम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मान्यवर, विश्वविद्यालय एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। अनुभवी लोग उसमें नियुक्त हो सकें। इसलिए यह संशोधन लाया गया है। माननीय सदस्य, जो उधर बैठे हैं, उन लोगों ने जो सुझाव दिये हैं, वह सुझाव उपयोगी नहीं है। इस लिए मैं चाहूंगा कि वह अपना संशोधन जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसे वापस ले लें और यह जो संशोधन विधेयक है यह जनहित में है और उपयोगी है और कृषि विश्वविद्यालयों क हित में है। इसलिये इस माननीय सदन से अनुरोध करूंगा कि इसे पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 को राय जानने के लिये 1 जून, 1981 तक परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1981 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958 की धारा 11 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 11 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"(1-क) जहां कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझते हैं या सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हों और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो तो वह समिति से उपधारा (1) के अनुसार नये नामों की एक नामावली प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगे।"

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

अध्यक्ष महोदय, की आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान खण्ड 2 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय --

"2--उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 11 में --

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय; अर्थात्--

'(1-क) जहां कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझते हैं या सिफारिश किये गये व्यक्तियों में एक या अधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हों और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो तो वह समिति से उपधारा (1) के अनुसार नये नामों की एक नामावली प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगे।'

(ख) उपधारा (6) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा अर्थात् --

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कुलाधिपति इस उपधारा के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की अवधि को समय-समय पर इस प्रकार बढ़ा सकते हैं कि ऐसी नियुक्ति की कुल अवधि (मूल आदेश में निर्धारित अवधि सहित) एक वर्ष से अधिक न हो।"

श्री सीताराम निषाद--

यह संशोधन उपयोगी है इसलिये स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वर्तमान खण्ड 2 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय --

"2--उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 11 में --

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् --

'(1-क) जहां कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझते हैं या सिफारिश किये गये व्यक्तियों में एक या अधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हो और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो, तो वह समिति से उपधारा (1) के अनुसार नये नामों की एक नामावली प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगे।'

(ख) उपधारा (6) में अन्त में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा अर्थात्--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कुलाधिपति इस उपधारा के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की अवधि को समय-समय पर इस प्रकार बढ़ा सकते है कि ऐसी नियुक्ति की कुल अवधि (मूल आदेश में निर्धारित अवधि सहित) एक वर्ष से अधिक न हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 2 और खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सीता राम निषाद--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1981 जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 43 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

2 अप्रैल, 1981 ।

सत्य प्रिय सिंह,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी "क"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 434 पर)

जालौन जनपद में 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1980 की अवधि में राजस्व विभाग और खाद्य तथा रसद विभाग के कर्मचारियों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत निम्नांकित अभियुक्तों/व्यक्तियों उनके विरुद्ध उनके सम्मुख अंकित थानों में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और जांच के पश्चात् उनमें से जिन मामलों में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है वह मामले नीचे स्तम्भ 3 में इंगित है :—

अभियुक्त का नाम जिसके विरुद्ध रिपोर्ट लिखायी गयी	थाने का नाम	मामले में जिनमें पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई
1	2	3
1—श्री राम कुमार गुप्ता, जालौन	जालौन	
2—श्री लक्ष्मी नारायण पेट्रोलियम डीलर, जालौन	जालौन	
3—श्री श्रवण कुमार विश्नोई, पेट्रोलियम डीलर, जालौन	जालौन	
4—श्री महावीर प्रसाद डीजल डीलर, कुठौंद	कुठौंद	
5—श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, सरकारी गेहूं/चीनी विक्रेता—कुठौंद	कुठौंद	फाइनल रिपोर्ट
6—श्री सोने सिंह ग्राम नवासी	कुठौंद	
7—श्री चन्द्र भूषण मिश्रा, स0 स0 गल्ला/चीनी विक्रेता कुठौंद	कुठौंद	
8—श्री शिव प्रसाद स0 स0 ग0/चीनी विक्रेता, कुदारी (माधोगढ़)	रेढर	
9—श्री जीवन लाल आदि ग्राम ऊंचा	माधोगढ़	
10—श्री बाबू राम गुप्ता सरावन (माधोगढ़)	माधोगढ़	
11—श्री कृष्णानन्द मिश्रा डीजल डीलर, बंगरा	माधोगढ़	
12—श्री रमाकान्त रावत, एफ0सी0 डीलर, उरई	उरई	
13—श्री महेश चन्द्र गुप्ता, गोपालगंज, उरई	उरई	
14—श्री मोहनलाल गुप्ता, उरई फ्रीसेल चीनी/मिट्टी तेल विक्रेता, उरई	उरई	
15—श्री सूरज सिंह, खड़सा स0 स0 ग0 चीनी विक्रता	एटा	
16—श्री पन्ना लाल पुत्र धनीराम, साकिन छिरावली	एटा	
17—श्री कालका प्रसाद साकिन पहाड़ गांव	कैलिया	फाइनल रिपोर्ट
18—श्री शब्बीर, पुत्र गुलाम अहमद, मिट्टी तेल विक्रेता कदौरा	कदौरा	
19—श्री पुनु ठेकेदार कालपी, उपरोक्त का ही मामला	कालपी कालपी	दो मामले
20—श्री रमेंश चन्द्र, पुरवार हिम्मतपुर (चुर्खी)	चुर्खी	
21—श्री राजेन्द्र सिंह कोटेदार, ग्राम अटराकला (चुर्खी)	चुर्खी	

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 437 पर)

संयुक्त निदेशक संचारी रोग द्वारा वाराणसी, जौनपुर तथा आजमगढ़ जिले में दौरे से सम्बन्धित मुआयना रिपोर्ट की मुख्य बातों का संक्षिप्त विवरण

वाराणसी

वाराणसी जनपद में संयुक्त निदेशक संचारी रोग ने जाकर कार्य का निरीक्षण किया तथा मौके पर समुचित निर्देश व सहायता दी।

जौनपुर

इस जनपद में लगभग 488 ग्राम बाढ़ से प्रभावित पाये गये जिनमें से 25 ग्राम बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित थे। नगर में लगभग 16 बाढ़ राहत केन्द्र खुले थे तथा ग्रामीण क्षेत्र में 78 खुले थे। यहां बाढ़ चेक पोस्ट की संख्या–32 थी 2 अगस्त, 1980 तक 7224 हैजा निरोधी टीके लगाये गये थे तथा 3759 को विस्क्रमित किया गया था। मिनी चिकित्सालय का निरीक्षण किया। बाढ़ सहायता केन्द्र का निरीक्षण किया तथा उनमें रहने वालों को आवश्यक सुझाव दिये। जलकल विभाग को भी आवश्यक परामर्श दिया, जिला चिकित्सालय को भी देखा तथा आवश्यक परामर्श दिया। सफाई तथा औषधियों की आपूर्ति के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी, जौनपुर को निदेश दिये तथा यह आश्वासन दिया कि निदेशालय स्तर से उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जायेगी।

आजमगढ़

संयुक्त निदेशक (संचारी रोग) डा० एस० टी० हुसैन, एम० ओ० इन्चार्ज कालरा, कम्बाट (Combat) टीम के साथ आजमगढ़ गए और उन्होंने वहां सक्रामक रोग फैलने तथा उसको नियंत्रण में लाने की स्थिति का अध्ययन किया। उन्होंने वहां जिला अस्पताल का मुआयना किया। एपीडेमिक इन्टेलिजेन्स रिकार्ड देखे और इस संबंध में जो कमियां पायीं उसके लिये मुख्य चिकित्साधिकारी को आवश्यक निर्देश एवं परामर्श दिया। संयुक्त निदेशक (संचारी रोग) ने शहर का भी दौरा किया और वहां के ड्रेनेज स्टिम के सुधार के विषय में वहां के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक परामर्श दिया। संयुक्त निदेशक ने दो स्वास्थ्य केन्द्रों का भी दौरा किया जहां वे लोग संक्रामक रोग से अधिक रुप से ग्रसित हुये थे और उन केन्द्रों पर जो भी कमियां पाई गई या जिन चीजों की वहां आवश्यकता थी उनके लिये मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से व्यवस्था करवाने की कार्यवाही की।

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे 438 पर)

सक्तेशगढ़, ग्राम समूह पेयजल योजना, तहसील–चुनार, विकास क्षेत्र राजगढ़, जनपद मिर्जापुर।

अनुमानित लागत रु0 46.836 लाख। कुल ग्रामों की संख्या––37

ग्रामों की सूची

1––ककराही	2––इन्दरपुर	3––चतुर्भुजपुर	4––चोरमरवा
5––विजुरही	6––टक्टहिया	7––बजाहुर	8––रनभवा जमती
9––जौगढ़	10––भइका	11––दुलहाडौल	12––मिसिरपुर
13––करकछा	14––गंगोदरा	15––लहौरा	16––अटारी
17––बड़ागांव	18––शिवपुर	19––वाराडीह	20––भेड़ी
21––कुसुमही	22––पौहा	23––तितिवा	24––रामपुर सक्तेश-गढ़
25––लालपुर	26––गोबरदहा	27––कुबाखुर्द	28––बड़गवां
29––कुबाकलां	30––नुनौटी	31––गोल्हनपुर	32––तेदुआकलां
33––अनन्तपुर	34––पिपराही	35––छितमपुर	36––पुनीआमाही
37––कोटी कांवा			

राजगढ़ सुकृत, ग्राम समूह पेयजल योजना–लागत–69.83 लाख, तहसील चुनार, विकास क्षेत्र राजगढ़, जिला मिर्जापुर।

कुल ग्रामों की संख्या 43

ग्रामों की सूची

1–सुकृत	2–खानआजमपुर	3–दुतवा	4–लोहरा
5–बट	6–बनतारा	7–कोराली गौरही	8–कुतुलपुर
9–बघौर	10–बघौरी	11–सुई	12–मुबारकपुर
13–भवानीपुर	14–पराही	15–मद्धूपर	16–नागनार हर्रया
17–आमडीह	18–खाम्हरिया	19–राजगढ़	20–भवानीपुर
21–हिनौता	22–दरबान	23–नदिहार	24–आराजी रामपुर
25–रामपुर	26–चौरा	27–पिपरवार	28–निकरिया
29–पुरैनिया	30–सेमरावरहों	31–कटखरिया	32–मिनिगवां
33–धनसेरिया	34–ददरा	35–कोन	36–भीटी
37–निबियां	38–तालर	39–गौराडीह	40–चित विश्राम
41–चम्हरिया	42–रामपुरकराहो	43–सोनवरसा	

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 49 का उत्तर पीठे पृष्ठ 448 पर)

मांगों की सूची

1—जिला उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (द्वितीय) डा0 जी0 सी0 दास गुप्ता एवं डा0 राजेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, द्वितीय चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोहम्मदाबाद गोहना को तत्काल मुअत्तल कर दिया जाय साथ ही उनके कार्यों की जांच करके कार्यवाही की जाय।

2—श्री नरेन्द्र सिंह, स्वास्थ्य सहायक, दयाशंकर सिंह, एल0 टी0 राम बच्चा सिंह, बी0 एच0 डब्लू0, अवधेश यादव, वी0 एच0 डब्लू0 को तत्काल हटाया जाय साथ ही शिवनाथ मल्ल, स्वास्थ्य निरीक्षक, विन्ध्याचल राम, वैक्सीनेटर को तत्काल हटाकर उपरोक्त सभी कर्मचारियों के साथ जांच कार्यवाही की जाय।

3—मुहम्मदाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए बेडों/चपरासी की बढ़ोत्तरी की जाय।

यी0 एस0 यू0 पी0-ए0 पी0 68 विधान सभा—20-9-82 (1902)-1982-(प्रो0)।